विकेन्द्रित नियोजन

आठवीं पंचवर्षीय

जिला योजना

वर्ष 1990 - 1995

एवं

वार्षिक जिला योजना

वर्ष 1991 - 92

जनपद - जालौन

कार्यालय
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,
जालौन स्थान उरई
☎ 2367

+230
309.26
JAL-N

जिला योजना हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्र

§1§ जिला/मण्डल स्तर समितियों का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

§2§ जनपद में चल रही केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं/बाहरी संस्थाओं द्वारा पोषित कार्यक्रमों के लिये राज्यांश के रूप में प्राविधान कर लिया गया है ।

§3§ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की मदों हेतु राष्ट्रीय लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में आंकलन कर यथेष्ठ प्राविधान सुनिश्चित कर लिया गया है ।

§4§ सातवीं पंचवर्षीय योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये यथेष्ठ प्राविधान कर दिया गया है ताकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों में पूर्व में विनियोजित धनराशि का लाभ प्राप्त किया जा सके ।

§5§ शासन को प्रस्तुत की जा रही जिला योजना में स्थल चयन का उल्लेख, नई योजनाओं का विस्तृत विवरण, सड़क एवं पुलों का विवरण तथा पूर्व में निर्धारित सभी अध्यायों का समावेश किया गया है।

NIEPA DC
D05485

— 54230
309.26
JAL-V

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-5485
Date 11/12/90

विभिन्न विभागीय परियोजनाओं हेतु आवंटित परिव्यय का वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 का तुलनात्मक अध्ययन ।

जनपद- जालौन (हजार रू0 में)

क्रम सं0	विभाग/सेक्टर	वर्ष 1990-91 हेतु आवंटित परिव्यय		वर्ष 1991-92	
		शासन द्वारा आवंटित परिव्यय	विभागाध्यक्ष द्वारा 14.9.90 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 1991-92 में आवंटित परिव्यय	जनपद के कुल परिव्यय के सापेक्ष में आवंटित परिव्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1-	कृषि विभाग	1250	400	1325	0.90
2-	उद्यान	685	685	2260	1.52
3-	लघु/सीमांत कृषकों को आर्थिक सहायता	851	238	1089	0.73
4-	पशुपालन	767	678	1615	1.09
5-	मत्स्य	196	196	262	0.18
6-	वन	5450	5450	5640	3.80 X
7-	सहकारिता	101	-	132	0.09
8-	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम	7378	3889	8116	5.47 IV
9-	सुखोन्मुख कार्यक्रम	2475	618	2475	1.67
10-	जवाहर रोजगार योजना	11338	2230	9869	6.66 V
11-	पंचायत	898	-	1637	1.10
12-	सामुदायिक विकास विभाग	3000	3000	12499	8.43 III
13-	निजी लघु सिंचाई	2191	2191	3690	2.49
14-	राजकीय लघु सिंचाई	13437	13437	8100	5.46 VI
15-	विद्युत	2500	-	2750	1.86
16-	ग्रामीण लघु उद्योग	1326	-	1355	0.91
17-	सड़क एवं पुल	35975	21558	26735	18.03 I
18-	अर्थ एवं संख्या	24	24	62	0.04
19-	प्राथमिक शिक्षा	10007	1051	7367	5.00 IX
20-	माध्यमिक शिक्षा	1159	-	7809	5.27 VII

1	2	3	4	5	6
21-	प्राविधिक शिक्षा	412	349	250	0•17
22-	युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल	511	250	458	0•31
23-	खेलकूद	60	-	80	0•05
24-	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	10431	5335	12732	8•59
25-	ग्रामीण पेयजल व्यवस्था				
	(अ) जल निगम द्वारा	10843	1512	7584	5•11
	(ब) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा	2500	2338	1920	1•29
26-	मूल्ड हाउसिंग	2557	-	2600	1•75
27-	ग्रामीण आवास निर्माण	2673	-	2500	1•71
28-	हरिजन एवं समाज कल्याण				
	(अ) हरिजन कल्याण	1224	-	2598	1•75
	(ब) समाज कल्याण	1769	-	2079	1•40
29-	शिल्पकार प्रशिक्षण	369	292	383	0•26
30-	पुष्टाहार कार्यक्रम	833	-	4866	3•23
31-	दुग्ध विकास विभाग	-	-	5303	3•58
32-	पर्यटन	-	-	150	0•10
	योग	135190	65721	148290	100•00

अध्याय- 1

:: भूमिका ::

1.0 स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार का ध्यान देश के आर्थिक विकास की ओर गया । आर्थिक विकास को कार्यरूप देने हेतु सन 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ तथा वर्ष 1951 से पंचवर्षीय योजना लागू की गई । इन्ही पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर देश में आर्थिक प्रगति का सूत्रपात हुआ । प्रारम्भिक पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में देश के विभिन्न भागों की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में नही रखा गया था क्योंकि इन योजनाओं के दूरगामी प्रभाव तथा उनके अनुभव की कमी ही थी जिसके कारण विकास की गति में एकरूपता का अभाव रहा और क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न हुई । धीरे-2 आधारभूत आंकड़ो के एकत्रीकरण एवं संलग्न तथा अनुभव में वृद्धि के साथ-2 क्षेत्रीय समस्याओं तथा जन आकांक्षाओं का आभास हुआ और उन्ही के अनुरूप विकास की दर में गतिशीलता लाने हेतु योजनाये बनाई गई । प्रारम्भ में प्रदेश स्तर पर प्रत्येक जनपद की आवश्यकताओं को समान मानते हुए योजनाओं का निर्माण हुआ जिससे क्षेत्रीय विषमताओं के कारण योजना कार्यान्वयन में कठिनाई हुई और जन आकांक्षाओं की अपेक्षित पूर्ति सम्भव न हो सकी । अतः शासन ने वर्ष 1982-83 में यह निर्णय लिया कि योजनाओं का निर्माण जनपद स्तर से क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कराया जाय। इसी आधार पर विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली को लागू किया गया ।

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत योजनाओं के महत्व को समझते हुए योजनाओं को केन्द्र सेक्टर, राज्य सेक्टर तथा जिला सेक्टर में विभाजित किया गया । राज्य को कुल आवंटित परिव्यय का 30 प्रतिशत परिव्यय जनपदों को तथा 70 प्रतिशत परिव्यय राज्य सेक्टर की योजनाओं पर व्यय का प्रावधान किया गया । जनपद की मौलिक आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन एवं संसाधनो का अधिकतम उपयोग ही इस प्रणाली की विशेषता है । विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत स्थानीय प्राकृतिक तथा तकनीकी संसाधनों द्वारा उत्पादन वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, अशिक्षा निवारण, रोजगार सृजन तथा विकास कार्यक्रमों के संचालन को विशेष महत्व दिया गया है ।

क्रमशः-

1.2

जनपद-जालौन के विकास में विकेन्द्रित नियोजित प्रणाली ने महत्त्व पूर्ण भूमिका निभाई है । गरीबी उन्मूलन, कृषि उत्पादन, औद्योगिकरण, सड़क यातायात, सिंचन सक्षता में वृद्धि तथा जनसंख्या में वृद्धि को रोकना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर सफलता पाने में विशेष योगदान रहा है ।

1.3

प्रारम्भिक वर्ष 1982-93 में इस जनपद की जिला सेक्टर योजना 613 लाख की थी परन्तु आगे की वर्षों में इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई । वर्ष 1991-92 की जनपद की विभिन्न विभागीय परियोजनाओं हेतु शासन द्वारा 1482.90 लाख रूपये के परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें गत वर्ष 90-91 की अपेक्षा वर्ष 1991-92 की योजनाए हेतु 9.69 प्रतिशत परिव्यय में वृद्धि की गई है जो जनपद की आवश्यकताओं के लिऐ यथेष्ट नही है ।

जनपद - जालौन की आठवी पंचवर्षीय योजनाओं में विकेन्द्रित/ एकीकृत वार्षिक योजनाए हेतु आवंटित /प्रस्तावित परिव्यय निम्न प्रकार है :-

मद	वर्ष 90-91	वर्ष 91-92	वर्ष 92-93	वर्ष 93-94	वर्ष 94-95	योग
1. आवंटित/ प्रस्तावित धनराशि	135190	148290	181250	227560	296920	989210
2. गतवर्षों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	-	6.69	22.23	25.55	30.48	-

नियोजन प्रणाली सार्थकता बनाऐ रखने हेतु स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप वजट आवंटन में प्राथमिक शिक्षा भवन निर्माण, सड़क निर्माण, राजकीय लघु सिंचाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण पेयजल, हरिजन तथा समाज कल्याण तथा पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ बनाने हेतु गाँव के विकास की हमत्वपूर्ण योजनाऐ प्रस्तावित है ।

प्रयास यह किये गये है कि गत वर्ष के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करा लिया जाये । सम्पर्क मार्गों के अभाव में बीहड़ों से घिरे इस जनपद के ग्राम जहाँ एक ओर दस्यु प्रभावित है वहीं उनके विकास के प्रयास भी सफल नहीं हो पा रहे है । क्योंकि इन बीहड़ क्षेत्रों के ग्रामों की मूल समस्या सम्पर्क मार्गों का अभाव है जिन्हे विकास हेतु धन की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है । जनपद के 1000 से अधिक जनसंख्या वाले अवशेष 32 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को लगभग 250 लाख रूपया के अतरिक्त आवंटन की आवश्यकता होगी ।

1.5

इस जनपद के नदीगाँव, रामपुरा, महेवा, एवं कुठौंद विकास खण्ड विकास की दौड़ में अन्य विकास खण्डों की अपेक्षा पिछड़े है । विकास दर को ध्यान में रखते हुए प्रयास किये गये है कि क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करते हुए अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं निर्मित की गई है ।

1.6

वर्ष 1991-92 की जिला योजना को एकीकृत वार्षिक जिला योजना का स्वरूप देकर इसमें जनपद के विकास कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों के माध्यमों से होने वाले विनियोजन को ~~हृदयंगम~~ दिग्दर्शित करने का भी प्रयास किया गया है । जिसे आठवी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक स्वरूप दिया जायेगा ।

क्रमशः -

जनपद में वर्ष 1991-92 में विकेन्द्रित /एकीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत वित्त पोषण निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	वित्त पोषण का श्रोत	परिव्यय ह0 रू0 में
1-	केन्द्र पुरोनिधानित	52543·00
2-	राज्य योजना राज्य सेक्टर	40610·00
3-	जिला योजना जिला सेक्टर	148290·00
4-	राज्य योजना अन्य विभाग	41410·00
5-	स्वायत्तशाषी संस्थाओं, जिला परिषद, नगरपालिकायें तथा टाउन एरिया आदि	16890·00
6-	संस्थागत वित्त	
	1- जिला सेक्टर	43518·00
	2- निजी क्षेत्र द्वारा विनियोजन	56415·00
	3- ग्राम पंचायतों द्वारा विनियोजन	261·00
	योग	399937·00

1·7 योजनाओं की संरचना के उपरान्त शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा विभागवार परियोजनाओं का परिव्यय आवंटन विभागाध्यक्षों को भेजा जाता है तथा विभागाध्यक्ष विभिन्न जनपदों की योजनाओं को उनकी आवश्यकतानुसार व्यय की स्वीकृतियां निर्गत करते हैं जिससे धन के अवमुक्त कीप्रक्रिया दो स्तरों से पारित होने के उपरान्त जिला स्तर पर पहुंच पाती है । इस प्रक्रिया में पर्याप्त विलम्ब होते हैं तथा बरसात प्रारम्भ हो जाती है और वर्ष की लगभग आधी अवधि तक निर्माण कार्य प्रारम्भ ही नहीं हो पाते हैं अवशेष समय में निर्माण कार्यों को पूरा कराना पड़ता है जिससे समयाभाव के कारण उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है और घटिया स्तर के निर्माण होने से उनका सही लाभ नहीं मिल पाता है । अतः इस कमी को दूर करने हेतु यह आवश्यक है कि जनपद की विभिन्न विभागीय परियोजनाओं हेतु आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होते ही एक मुश्त निर्गत कर दी जाय तथा जिलाधिकारी अपने स्तर से विभिन्न विभागीय अधिकारियों को उनकी आवश्यकतानुसार निर्गत करते रहें ।

अध्याय - 2

जनपद- परिचय

2.0 प्राकृतिक एवं भौगोलिक विशेषतायें

2.0.1 स्थिति :-

झाँसी मण्डल के उत्तरी भाग में स्थित जनपद जालौन का भौगोलिक क्षेत्रफल 4565 वर्ग कि0मी0 है । इसके उत्तर पूर्व में यमुना नदी, दक्षिण पूर्व में बेतवा नदी, तथा पश्चिम पूर्व में पहूज नदियाँ जनपदो के मध्य सीमा निर्धारित करती है । जनपद जालौन 26.27 व 25.46 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 79.52 डिग्री पूर्व देशान्तर रेखाओं के मध्य फैला हुआ है । जनपद के उत्तर पूर्व में इटावा व कानपुर, दक्षिण पूर्व में हमीरपुर जनपद तथा पश्चिम में पहूज नदी के पार मध्य प्रदेश का जिला भिण्ड है । इस प्रकार यह जनपद पूर्व से पश्चिम 93 कि0मी0 और उत्तर से दक्षिण में 68 कि0मी0 की दूरी के विस्तार में बसा है ।

2.0.2 भौगोलिक संरचना :-

जनपद जालौन प्राकृतिक विषमताओं, भूमि की संरचना एवं विकास के स्तर की दृष्टि से दो संभागों में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम संभाग में कालपी तथा उरई तहसील एवं उनमें स्थित विकास खण्ड क्रमशः महेवा, कदौरा, एवं डकोर आते है । द्वितीय नदीगाँव तथा जालौन, कुठौद माधौगढ़ एवं रामपुरा आते है । प्राकृतिक सीमाओं के निर्धारण में जनपद के तीन ओर से बहने वाली नदियों ने अहम भूमिका निभाई है । उत्तर में यमुना नदी कानपुर एवं इटावा जनपदो से सीमा बनाती है । पश्चिम में पहूज नदी मध्यप्रदेश के भिण्ड जनपद से सीमा निर्धारित करती है तथा दक्षिण पूर्व में बेतवा नदी जनपदहमीरपुर से सीमाये निर्धारित करती है ।

उपरोक्त सदा बहती नदियों ने जनपद की भौगोलिक स्थिति को प्रभावित किया है । यमुना, बेतवा तथा पहूज नदियों के तट गहरे होने के कारण निकट वर्ती क्षेत्र खार और रेवाइन्स में बदल गये है जो मीलो दूर तक फैले हुए है । जनपद के अन्दर जल निकासी का कार्य नोन, मलंगा एवं जोंधर नाले करते है जो उत्तर पूर्व की ओर बहकर यमुना नदी में गिरते है ।

क्रमशः -

2.0.3 जलवायु :-

जनपद की जलवायु शुष्क है । यहाँ ग्रीष्म ऋतु शीघ्र प्रारम्भ हो जाती है तथा अधिक समय तक रहती है । शीत ऋतु प्राय: शुष्क रहने के कारण अधिक प्रभाव डालती है फिर भी यहाँ कदा फसलों पर पाला का प्रभाव पड़ जाता है । वर्षा प्राय: जून के अंत में देर से प्रारम्भ होती है । वार्षिक औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है जो जनवरी में घटकर 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मई में बढ़कर 36 डिग्री सेंटीग्रेड पहुच जाता है ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुच जाता है । जनपद में राज्य के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वर्षा कम होती है जिससे बाढ़ का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहता है परन्तु अवर्षण या समय से वर्षा न होने के कारण कुछ क्षेत्रों को सूखा अवश्यक प्रभावित करता है ।

2.0.4 भूमिगत जल उपलब्धता :-

जनपद की भूमिगत शुद्ध जल उपलब्धता 14350 लाख घनमीटर जबकि शुद्ध उपयोग 1140 घनमीटर है । इस प्रकार भूमिगत जल का केवल 8 प्रतिशत उपयोग होता है । प्राय: जल स्तर 90 फीट से 150 फीट या इससे अधिक भी नीचे है । -2 पर उपर का जल स्तर खारा है इसी कारण अल्प सिंचाई एवं पेयजल की योजनाओं में अनेक कठिनाइयाँ आती है ।

2.0.5 भूमि :-

जनपद के 77 प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है यहाँ पर मार, काबर, पडुवा एवं राकड़ किस्म की मिट्टियाँ पायी जाती है जैसे कि बुन्देलखण्ड मण्डल के अन्य जनपदों में पाई जाने वाली मिट्टियों का प्रकार है । सामान्यतय: जनपद के माधौगढ़ एवं कुठौंद विकास खण्ड को छोड़कर अन्य 7 विकास खण्डों में एक ही फसल ली जाती है । शुद्ध बोये जाने वाले क्षेत्रफल 346606 है0 का मात्र 23839 (6.88) प्रतिशत ही द्विफसली क्षेत्रफल है जिसका मुख्य कारण सिंचाई सुविधाओं की कमी है इसके अतिरिक्त कृषि जोतो का आकार बड़ा होना भी है ।

2.0.6 खनिज सम्पदा :-

खनिज सम्पदा की दृष्टि से यह जनपद बहुत ही पिछड़ा हुआ है । यहाँ पर कोई भी खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता है जनपद के कुछ क्षेत्रों में बेतवा नदी के किनारे मोरंग पाया जाता है जो भवन निर्माण कार्य के लिये बहुत उपयोगी है और जो उत्तर प्रदेश के उत्तरी, पूर्वी एवं पश्चिमी भागों को भेजी जाती है । जनपद में

इसके अतिरिक्त जनपद के महाड़गाँव एवं मैदनगर में छोटी-2 पहाड़ियाँ हैं जिनसे गिट्टी तोड़ने का कार्य किया जाता है परन्तु यह पत्थर उच्चकोटि का नहीं है ।

2.0.7 वन सम्पदा :-

वन सम्पदा के रूप में जनपद में केवल बबूल, खैर एवं छोटी-2 झाड़ियाँ पाई जाती है । जनपद में इस समय 25731 है0 क्षेत्रफल वनों के अन्तर्गत है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 456111 का 5.76 प्रतिशत है । यहाँ के वनों का कोई औद्योगिक उत्पादन नहीं है अत: औद्योगिक महत्व के वन जनपद में शून्य है । विगत वर्षों से यूकेलिप्टस के पौधों के रोपण की ओर ... कृषक तथा वन विभाग सक्रिय है तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत इसे विशेष रूप से सड़कों आदि के किनारे रोपित किया जा रहा है । जिससे औद्योगिक महत्व की लकड़ी उपलब्ध हो सकेगी ।

2.0.8 जनसंख्या एवं घनत्व :-

जनपद की वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 9,86,238 कुल जनसंख्या है जिसमें से 537017 पुरुष तथा 449221 स्त्रियाँ है । जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 789785 है तथा नगरीय जनसंख्या 196453 है । वर्ष 1961 की जनगणना की तुलना में वर्ष 1971 में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि वर्ष 1971 की तुलना में 1981 के दशक में 21.2 प्रतिशत वृद्धि हुई । जनपद में जनसंख्या का घनत्व 217 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है जो प्रदेश के घनत्व 377 से बहुत कम है । वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 80.11 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यह प्रतिशत वर्ष 1971 में 86.25 प्रतिशत थी । इससे आभास होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का पलायन शहरों की ओर बढ़ रहा है । जहाँ तक अनुसूचित जाति का प्रश्न है, जनपद की वर्ष 1971 की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 27.6 प्रतिशत था जो वर्ष 1981 की जनसंख्या में घटकर 27.2 प्रतिशत रह गया । जनपद में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वर्ष 1981 तक शून्य रही है ।

2.1.2 साक्षरता :-

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद का साक्षरता प्रतिशत (35.9) मण्डल के 28.7 और प्रदेश के 27.4 प्रतिशत की अपेक्षा कहीं अधिक है । जनपद की कुल जनसंख्या 986238 में से 354500 स्त्री पुरुष साक्षर है । मण्डल में साक्षरता प्रतिशत में झाँसी जनपद के बाद यह जनपद दूसरा स्थान पर आता है ।

2.1.3 श्रम शक्ति :-

जनगणना 1981 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या का 80.11 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में तथा 19.89 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्र में निवास करता है। उपरोक्त कुल जनसंख्या के कर्मकारों में 164189 कृषक 56469 कृषक मजदूर, 6005 उद्योग कर्मकार, 53259 अन्य कर्मकार तथा कुल कर्मकार 279922 है। जनपद की अर्थ व्यवस्था में कृषि का मुख्य स्थान है।

2.2.0 आर्थिक कार्य कलाप :-

प्रदेश की भाँति जनपद की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है कृषि के उपरान्त पशुपालन इस जनपद का दूसरा व्यवसाय है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न हस्त शिल्प उद्योग भी है। कालपी एवं उरई में हाथ कागज उद्योग तथा कालपी में हस्त शिल्प टेरीकाट कपड़ा के उत्पादन हेतु लगभग 1500 कार्यरत है जिनमें रानीपुर टेरीकाट के समकक्ष अच्छी किस्म का कपड़ा तैयार किया जाता है तथा दूर-2 तक बाजारों में बेचा जाता है। बुनकरी उद्योग शहरों के साथ-2 ग्रामीण क्षेत्रों में फैला है।

जनपद के चार नगरों में प्रमुख रूप से उरई कानपुर मार्ग पर निजी क्षेत्र में बड़े बड़े कारखाने लगे है जिनमें मुख्यतः: गिलिंडिया ग्लैक्सो, उर्वसी, सेन्थिटिक, भटिण्डा केमिकल्स, तलवार स्टीलवर्क्स, उरई फ्लोर मिल है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक आस्थान में अन्य कई नये उद्योग लगने जा रहे है जिनके निर्माण कार्य प्रगति पर है। कालपी में भी औद्योगिक आस्थान है लेकिन अभी तक वहाँ पर न तो कोई निजी क्षेत्र और न ही सार्वजनिक क्षेत्र में किसी कारखाने के लगाने के प्रस्ताव है उरई के साथ-2 अन्य तीन नगरों के विकास हेतु उद्योग लगाने के लिये निजी क्षेत्र को प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ-2 ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनेक योजनाओं के माध्यम से परम्परागत उद्योगों के विकास के लिये प्रयत्न किये जा रहे है।

2.2.1 कृषि

प्रदेश की भाँति जनपद की आर्थिक समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल वर्तमान में ही नहीं आने वाले भविष्य में भी जनपद की अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि उद्यम ही रहेगा। मण्डल के अन्य जनपदों की तुलना में भूमि समतल एवं उपजाऊ है। कृषि जोते बड़ी है परन्तु सिंचाई सुविधायें अपर्याप्त होने के कारण प्रति हे0 कृषि उपज बहुत कम है। रबी की फसल ही जनपद की एक मात्र मुख्य फसल है। जिससे किसानों को लाभ मिलता है तथा खरीफ की फसल नगण्य है। जनपद की फसल सिंचाई की सुविधाओं के अभाव में तथा छुट्टा पशुओं के उत्पात के कारण लगभग शून्य है। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार एवं छुट्टा पशुओं के उत्पात को रोककर

2•2•2 कृषि जोत :-

वर्ष 1981 की कृषि जोत गणना के आधार पर औसत कृषि जोत 2•03 है0 है । जनपद में कुल 179749 जोतों में से 82380 जोतें 1•0 है0 से कम तथा 39712 जोतें 1•0 से 2•0 है0 के मध्य हैं । उपरोक्त से स्पष्ट है कि जनपद में 45•8 प्रतिशत सीमांत कृषक तथा 22•1 प्रतिशत लघु कृषक है । परिणामत: बड़ी जोतों की संख्या अधिक है ।

2•2•3 भूमि उपयोगिता :-

जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4565 वर्ग किमी0 है जिसके 77 प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है । वनों का क्षेत्रफल 5•76 प्रति0 है । कुल कृषि क्षेत्रफल पर सकल सिंचित क्षेत्रफल 23•06 प्रतिशत है । जनपद के कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाली मुख्य बाधक समस्या सिंचाई के संसाधनों की कमी है । वर्तमान में जनपद को नहरों से सिंचित करने वाला मुख्य श्रोत परीक्षा बांध जो तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्र बन जाने तथा बांध में अत्यधिक मिट्टी भराव हो जाने के कारण रबी की फसल को मात्र एक या दो पानी दे पाता है जिससे कृषि उत्पादन और अधिक प्रभावित हो गया है और यदि नहर सिंचाई के अन्य उपाय न खोजे गये तो भविष्य में जनपद के कृषि उत्पादन हेतु सिंचाई की गहन समस्या खड़ी हो जायेगी । इसके संबंध में शीघ्र उपाय खोजना नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है ।

सिंचाई संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण फसल सघनता प्रभावित हुई है । जनपद की फसल सघनता 105•8 प्रतिशत प्रदेश की फसल सघनता 145 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है । सिंचाई के साधनों की कमी के कारण प्रति है0 उर्वरकों का प्रयोग 31•3 कि0ग्रा0 है । जनपद के कुल बोये गये क्षेत्रफल 370445 है0 का 21•5 प्रतिशत खरीफ तथा 78•4 प्रतिशत रबी है । जायद फसलों का क्षेत्रफल नगण्यहै । सकल बोये गये क्षेत्र में 91•35 प्रतिशत समस्त फसलों तथा 6•2 प्रतिशत क्षेत्र में तिलहनी फसलों की बुआई की गई है ।

जनपद की मुख्य फसलों में खरीफ में धान, ज्वार, बाजरा, अरहर उर्द तथा सोयाबीन है । रबी में मुख्य रूप से गेहूं, चना, मसूर तथा लाही सरसों हैं । सिंचाई के पर्याप्त एवं सुनिश्चित साधन न होने के कारण कृषक सघन एवं नवीनतम कृषि विधियों को नहीं अपना पा रहे हैं ।

2•2•4 • जनपद में वर्ष 1987-88 के अनुसार विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र एवं क्षेत्रफल का प्रतिशत निम्न प्रकार है :-

जनपद में वर्ष 1987-88 में विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र का विवरण निम्नवत है ।

क्र0सं0	सिंचाई के साधन	सिंचित क्षेत्रफल है0 में	प्रतिशत
1-	नहरों से	78187	86•53
2-	नलकूपों से	9386	10•39
3-	कुओं से	223	2•46
4-	तालाबों व पोखरों से	25	0•03
5-	अन्य साधनों से	534	0•59
	योग	89055	100•00

2•2•5 उत्पादकता :-

जनपद में कृषि उत्पादकता का गत तीन वर्षों का तुलनात्मक विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है ।

20. जनपद में मुख्य फसलों का उत्पादन (मीटरटन)

फसल	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4
1- धान्य			
1. धान	2251	2304	1292
2. गेहूँ	152586	171541	180577
3. जौ	11379	11707	13943
4. ज्वार	15199	13866	10802
5. बाजरा	6945	8595	8205
6. मक्का	56	19	3
7. अन्य धान	12	23	2
8. कुल धान्य	188728	208055	214824
2- दालें			
9- उर्द	3105	1094	1922
10- मूंग	82	78	64
11- मसूर	75408	78004	84015
12- चना	83689	82054	69839
13- मटर	6679	8641	10774
14- अरहर	22930	25583	12439
15- अन्य दालें	-	-	-
16- कुल दालें	191893	195454	179053
कुल खाद्यान्न (8+16)	380621	403509	393877
3- तिलहन			
17- लाही सरसों	2100	1981	2671
18- अलसी	5646	3770	4260
19- तिल	40	8	11
20- रेड़ी	15	8	4
21- मूंगफली	54	55	26
22- अन्य तिलहन	-	-	-
23- कुल तिलहन	7865	5822	6972
4- अन्य फसलें			
24- गन्ना	84461	90902	71854
25- आलू	5492	7117	7866
26- तम्बाकू	-	-	-
27- जूट	-	-	-
28- पाट	-	-	-
29- सनई	466	233	131
30- हल्दी	-	-	-

2•2•6 उर्वरक वितरण :-

कृषि उत्पादन में उर्वरक की उपलब्धता तथा समय से प्रयोग का अत्यधिक महत्त्व है । गत तीन वर्षों में उर्वरक वितरण इस बात का संकेत है कि कृषक अपनी उपज का भरपूर लाभ लेने हेतु कितने जागरूक हैं परन्तु गत चार वर्षों से वर्षा की अनिश्चितता एवं न्यूनता ने कृषि उत्पादन को अत्यधिक प्रभावित किया है तथा उर्वरकों का प्रयोग घटता जा रहा है ॥

उर्वरक का वितरण निम्न तालिका से स्पष्ट है :-

क्रमसं0	वर्ष	नत्रजन मी0ट0	फासफोरस मी0टन	पोटाश मी0टन	योग	प्रति हे0 उर्वरक का प्रयोग कि0मी0में
1-	85-86	7114	3903	510	11527	31•00
2-	86-87	6520	3900	356	10776	29•50
3-	87-88	3549	2731	138	6418	18•52

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में सिंचाई एवं वर्षा की अनिश्चितता के कारण उर्वरकों के उपभोग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ।

2•2•7 सिंचन क्षमता :-

कृषि विकास एवं अधिक अन्न की उपज प्राप्त करने के लिये सिंचाई एक मूलभूत आवश्यकता है । जनपद में कृषि जोतों का आकार प्रदेश के अन्य जनपदों की तुलना में बड़ा है जिसके कारण बड़े कृषक निजी साधनों से सिंचाई सुविधायें बढ़ाने हेतु इस दृष्टिकोण से उदासीन रहते है कि सिंचित क्षेत्र बढ़ाने से उनकी स्वामित्व की भूमि सीलिंग से प्रभावित होगी ।। इसके अतिरिक्त राजकीय नलकूपों की क्षमता का भरपूर उपयोग इसलिये नहीं हो पाता है कि अधिकांश नलकूप यांत्रिक दोषों या विद्युत की व्यवस्था से प्रभावित प्रभावित रहते हैं ।

2.3.1 पशुपालन :-

कृषि के बाद कृषि से सम्बद्ध पशुपालन जनपद का सबसे बड़ा व्यवसाय है। माधौगढ़ कुठौंद, तथा रामपुरा विकास खण्डों में दुग्ध उत्पादनों का अच्छा व्यवसाय होता है। जनपद में आई0आर0डी0पी0 कार्यक्रम तथा निजी साधनों से अच्छी नस्ल की भैंस उपलब्ध कराने के फलस्वरूप इस व्यवसाय में और प्रगति हुई है। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादनों के विपणन के लिए सहकारी समितियाँ भी स्थापित की गयी है।

2.3.2 मत्स्य पालन :-

मत्स्य पालन का मुख्य उद्देश्य विभागीय जलाशयों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे जलाशयों का विकास करके ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में निवास करने वाले दुर्बल वर्ग के लोगों को रोजगार एवं जीविकोपार्जन उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। जनपद में 18 मत्स्य सहकारी समितियाँ कार्यरत है जिनसे वर्ष 1988-89 में 1137 हजार अंगुलिकाओं का वितरण किया गया है।

2.4.1 उद्योग एवं व्यवसाय :-

रोजगार के सुलभ अवसर प्रदान कर लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी क्षेत्र विशेष का औद्योगिक विकास उसकी भौगोलिक स्थिति, कच्चेमाल की उपलब्धता कुशल कारीगरों तथा संचार साधनों की पर्याप्तता पर निर्भर करता है। जनपद में खनिज सम्पदा केवल बेतवा नदी की मौरम को छोड़कर व्यापारिक महत्व की अन्य कोई नही है अत: खनिज उद्योग में यह जनपद अधिक पिछड़ा है। जनपद में विकास की किरण अभी हाल ही में प्रस्फुटित हुई है जिसमें निजी क्षेत्र के कुछ वृहद एवं मध्यम स्तर के उद्योग कालपी रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग) पर स्थापित हुए है जिनमें मुख्य रूप से गिल इन्डिया (गैलैक्सी) उर्मी सैन्थिटक भटिण्डा केमिकल्स, बलवीर स्टील उद्योग तथा उरई फ्लोर मिल कार्यरत है तथा कुछ अन्य उद्योग इकाईयों भी निर्माणाधीन है जिससे वे राजगार व्यक्तियों को रोजगार के सुलभ अवसर मिल रहे है तथा भविष्य में भी रोजगार के अवसर सुलभ होंगें। कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत जनपद में वर्ष 1985-86 तक मात्र 2 इकाइयाँ पंजीकृत थी जिनमें 41 कर्मचारी कार्यरत थे इसी अवधि में 22 लघु उद्योग इकाइयाँ कार्यरत थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1983-84 तक 1400 हथकरघे सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत लाये जा चुके हैं।

क्रमशः

2.4.2 वर्ष 1980 की आर्थिक गणना के अनुसार जनपद में कुल 22075 लघु उद्योग इकाइयाँ कार्यरत है जिनमें 759 कृषि पर आधारित है तथा 1121 कृषि संबंधी उद्योग एवं 44877 परिवार अकृषीय उद्यमों में कार्यरत है । जनपद में वर्ष 1989 तक 5 वृहद एवं मध्य उद्योग कार्य कर रहे है जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने में पर्याप्त सहयोग दिया है । जनपद के कालपी एवं कोंच नगरों में लगभग 2000 पावरलूम टेरीकाट कपड़े का उत्पादन करते है । इसके अतिरिक्त इन कस्बों में दरी कालीन का भी निर्माण होता है । जनपद के कालपी, उरई, कोंच तथा जोल्हूपुर मोड़ पर औद्योगिक आस्थान की स्थापना की गई है जिसके लिए विद्युत की हाई पावर फीडर लाइन बिछाई जा रही है । उरई कालपी रोड पर स्थित नगरीय क्षेत्र के औद्योगिक आस्थान के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु सरकार द्वारा 50लाख रु0 का व्यय प्रस्तावित है जिसमें उरई कालपी रोड पर 600 एकड़ भूमि पर औद्योगिक आस्थान की स्थापना का कार्य प्रगति पर है ।

2.5.1 सहकारिता :-

प्रदेश/ जनपद के विकास में सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है । इनके माध्यम से जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति व वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाते हुए उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने में पर्याप्त सहायता मिल है ।

2.5.2 सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.4.90 को कृषक सेवा सहकारी समितियाँ 7 बड़े आकार की समितियाँ 14 व प्रारम्भिक सार्व समितियाँ 111 कार्यरत थी जिनमें 185472 सदस्य है इसके अतिरिक्त जनपद में 17 सहकारी बैंक तथा 4 भूमि विकास बैंक की शाखाये कार्यरत थी ।

2.5.3 सहकारिता के माध्यम से जनता को आवश्यक वस्तुए उपलब्ध कराने हेतु 303 दुकाने कार्यरत है तथा जनपद में खाद्यान्न संग्रहण हेतु 30 सहकारी विभाग के गोदाम कार्यरत है जिनकी संग्रहण क्षमता 30 हजार मी0 टीन है ।

2.5.4 ग्रामीण आर्थिक विकास में सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है प्राथमिक सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर उनका पुनर्गठन किया जा रहा है जिससे उनके द्वारा बहु उद्देशीय ग्रामीण गोदामों का निर्माण कराया जायेगा । यह समितियाँ केन्द्रीय कृषि निवेश, रासायनिक खाद, बीज तथा कीटनाशक दवाये, एवं उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के अतिरिक्त लघु बैंकों का भी कार्य करेगी । यह समितियाँ कृषि के अतिरिक्त कमजोर वर्ग तथा सीमान्त एवं लघु कृषकों को दुधारू पशु, भेड़, सुअर एवं मुर्गीपालन के लिये ऋण प्रदान करेगी ।

2.6.12 बैंकिंग सेवायें

जनपद के कुल 44 राष्ट्रीयकृत बैंक, 35 ग्रामीण तथा 17 सहकारी एवं 4 भूमि विकास बैंक शाखायें कार्यरत है जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनपद के विकास में योगदान दे रहे है ।

जनपद के विकास में अवरोधक समस्यायें

2.7.1 जनपद की चारो ओर सीमायें नदियों से घिरी है जिनके किनारे मीलों लम्बे बीहड़ एवं रेवाइन्स है तथा इन बीहड़ एवं रेवाइन्स में बसे ग्राम आज भी सम्पर्क मार्गों के अभाव में दुर्गम बने हुए है जिसके कारण इन रेवाइन्स एवं जंगलों में दस्यु समस्या विकराल रूप धारण किये है और इन ग्रामों के निवासियों का जीवन सदैव खतरे मे बना रहता है । आवागमन के साधनों के अभाव में विकास कार्यक्रम को लागू करने में अत्यधिक कठिनाई आती है ।

2.7.2 जनपद का मुख्य व्यवसाय कृषि है परन्तु सिंचाई साधनों के अभाव में कृषि उत्पादन अत्यधिक प्रभावित रहता है । जनपद में पारीछा बाध, से निकली नहर की शाखायें आती है जिनमे एक हमीरपुर तथा दूसरी कुठौंद शाखा है । हमीरपुर शाखा जनपद हमीरपुर के कुरारा विकासखण्ड के कुछ ही क्षेत्र को सीचती है । उक्त नहरो से किसानो को दो या तीन पानी फसल हेतु मिल पाते थे परन्तु पारीछा बाँध पर पारीछा तापीय विद्युत गृह बन जाने तथा बाध में अत्यधिक मिट्टी का भराव हो जाने के कारण गत तीन वर्षों में कृषि उपज को अत्यधिक हानि हुई है । यदि इस ओर अधिक ध्यान न दिया गया तो किसानो को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ेगी ।

2.7.3 जनपद में वर्ष 1987-88 तक कुल 415 राजकीय नलकूप लगाये गये है परन्तु विद्युत की अनिश्चितता तथा नलकूपो के यांत्रिक दोष के कारण उनका भरपूर उपयोग नही हो सका है फलत: नलकूपो से केवल 9386 है भूमि सींची जा सकी है । इस ओर और प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है । निजी नलकूपो हेतु जल स्तर 90 फीट से 150 फीट तक गहराई में है अत: निशुल्क बोरिंग सफलनही हो पा रही है । नि:शुल्क बोरिंग की लागत भी लगभग 5-6 हजार तक आती है जबकि शासन द्वारा इसकी लागत केवल 3 हजार रू0 निर्धारित की गई है ।

2.7.4 जनपद में अधिकतर एक फसली क्षेत्र है बड़ जोतो के कारण सीलिंग के भय के किसान दूसरी फसल लेना नही चाहते है, अन्ना प्रथा - जिसमें जानवर निर्बाधरूप में रबी फसल के महीनो को छोड़कर पूरे साल खेतो में चरते है, उन किसानो को भी जो दूसरी फसल बोना चाहते है फसल बोने से विरत रखती है ।

2.7.3 जनपद में अन्य जनपदों की अपेक्षा वर्षा प्रायः कम होती है रवी की फसल बोने के पूर्व यदि वर्षा नहीं हुई तो प्रायः जनपद सूखे से प्रभावित हो जाता है ।

2.7.6 जनपद में काली कपासी मिट्टी होने के कारण निर्माण कार्यों में लागत बढ़ जाती है । प्रायः जब इसका बिना विचार किये हुए कोई योजना स्वीकृत हो जाती है तो उसके क्रियान्वयन में कठिनाई आती है ।

2.7.7 जनपद में बिजली की लाइनें पुरानी होकर ढीली हो चुकी है लकड़ी के पुराने खम्भे प्रायः टूटने वाले है और झुक गये है । काली कपासी मिट्टी का बिना ध्यान रखे जो लोहे या कांक्रीट के खम्भे भी लगे हुए है वे भी कालान्तर में झुक गये है जिसके कारण सामग्री विद्युत व्यवस्था दोषपूर्ण हो गई है । खतरे की सदैव सम्भावना रहती है । तथा विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है । इसके पुनर्निर्माण एवं मरम्मत की आवश्यकता है ।

2.7.8 चालू योजनाओं की पूर्ति हेतु विद्युत परिषद सामग्री कन्डक्टर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति नहीं कर पा रही है जिससे जनपद की प्रगति बाधित हो रही है ।

- - - -

अध्याय- 3

::::::::::::

अन्तर्जनपदीय एवं अन्तर विकास खण्डीय विषमतायें

3.0 विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली का सूत्रपात विकास खंड जनपद मण्डल एवं आर्थिक क्षेत्रों के विकास में विषमताओं के कारण हुआ । विकेन्द्रित नियोजन वर्ष 1981-82 में वार्षिक योजना 1982-83 की संरचना से हुआ । विकेन्द्रित नियोजन का प्रमुख उद्देश्य अन्तर्जनपदीय एवं अन्तर विकास खण्डीय विषमताओं को दूर करना है । इसी उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर जनपदों के मध्यम परिव्यय आवंटन का आधार जनसंख्या तथा कतिपय संकेतांकों पिछड़ेपन के वस्तुपरक मानकों के आधार पर किया जाता है । जिससे पिछड़े जनपदों को अपने विकास के लिये उचित आधार मिल सकें । जनपद स्तर पर इन विषमताओं को दूर करने के लिए विषमताओं का अभिज्ञान करना अति आवश्यक है । जिसके आधार पर विश्लेषण कर जनपद तथा विकास खण्डों में विषमताओं को अभिसारित किया जा सकें ।

3.1 जनपद तथा विकास खण्डीय विषमताओं को कम करने के लिए शासन ने 30 मदों को चयनित किया है । विकास खंड स्तर पर जनपद के सभी विकास खण्डों की स्थिति 30 मदों में देना आवश्यक है । परन्तु जनपद की प्रदेश स्तर पर स्थिति हेतु कुछ प्रमुख मदों को लिया गया है ।

3.2 संकेतकों के आधार पर किये गये विवेचन से स्पष्ट है कि जनपद के सबसे पिछड़े हुए विकास खण्डों के सर्वांगीण विकास हेतु योजना में विशेष ध्यान दिया गया है ।

3.4 समीक्षा से यह स्पष्ट है कि जनपद जालौन तुलनात्मक दृष्टि से उद्योग के क्षेत्र में उत्यन्त पिछड़ा हुआ है । यद्यपि अभी हाल ही मे गिलिन्डिया उर्वसी सिन्थि हिन्दुस्तान लीवर लि0, प्रगति स्टील वर्क्स, भटिण्डा केमिकल्स, उरई फ्लोर मिल्स, बलबीर स्टील वर्क्स उरई कालपी मार्ग पर स्थापित होकर कार्य कर रहे है । तथा अन्य उद्योगों के भी लगने की सम्भावना है परन्तु कोंच, कालपी एवं जालौन में कोई भी बड़ा उद्योग नही लगा है । अतः कस्बों में उद्योग लगाने हेतु निजी क्षेत्र को प्रेरित करने की आवश्यकता है । कालपी एक ऐसा स्थान है जो राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित है तथा औद्योगीकरण हेतु सभी सुविधायें उपलब्ध है ।

क्रमशः -

तालिका प्रदेश में जनपद का स्थान

क्र0	मद	जनपद का स्थान
1.	जनपद का क्षेत्रफल ॥1981॥	इकतीस ॥31॥
2.	कृषि का क्षेत्रफल ॥ 85-86 ॥	उन्तालीस॥39.॥
3.	जनपद की जनसंख्या ॥1981॥	अड़तालीस ॥ 48 ॥
4.	जनसंख्या का घनत्व ॥1981॥	पैतालीस ॥ 45 ॥
5.	अनुसूचित जाति की संख्या ॥1981॥	सत्तावन ॥ 57 ॥
6.	अनुसूचित जनजाति की संख्या ॥1981॥	सत्तावन ॥ 57 ॥
7.	वनों के क्षेत्रफल॥ 85-86 ॥	पच्चीस ॥ 25 ॥
8.	भूमिगत जल उपलब्धता॥31.12.86॥	अड़तालीस ॥ 48 ॥
9.	साक्षरता प्रतिशत ॥ 1981॥	
॥1॥	कुल	तेरह ॥ 13 ॥
॥2॥	पुरुष	आठ॥ 8 ॥
॥3॥	स्त्री	चौदह॥ 14 ॥
10.	कृषि उद्यमों की संख्या ॥1980॥	छियालीस॥ 46 ॥
11.	अकृषि उद्यमों की संख्या॥1980॥	तितालीस॥43 ॥

क्रमशः -

तालिका अन्त विकास खण्डीय विषमतायें

क्रमसं0	विकास खण्ड का नाम/विकास का सूचक	कदौरा	कुठौंद	कोंच	जालौन	डकोर	नदीगाँव	महेवा	मधौगढ़	रामपुरा
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	फसल गहनता (1985-86)	79.9	86.8	89.0	90.7	78.2	83.3	72.0	85.0	93.3
2-	फसलों का सकल बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत (85-86)	104.0	115.5	104.0	105.0	106.1	106.0	104.4	110.2	116.0
3-	प्रति है0 उर्वरक खपत (85-86 किलोग्राम में)	19	41	37	40	27	31	28	39	33
4-	सकल सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत (85-86)	101.2	102.0	101.0	101.3	101.4	102.0	101.0	101.5	101.0
5-	सकल सिंचित क्षेत्र का कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत (85-86)	25.0	40.0	18.5	18.5	18.0	21.0	15.0	43.1	41.0
6-	शुद्ध बोये गये क्षेत्र का प्रतिवेदित क्षेत्र से प्रतिशत (85-86)	76.8	75.1	85.7	86.6	73.7	78.9	68.9	77.6	84.1
7-	प्रति कृषक परिवार द्वारा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है0 (85-86)	2.7	1.6	3.0	2.7	2.8	2.1	2.0	1.5	1.5
8-	प्रति ग्रामीण व्यक्ति पर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (85-86)	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3
9-	वन क्षेत्र का प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत (85-86)	5.7	4.9	2.5	-	6.3	6.3	6.6	5.0	6.9
10-	उसर और कृषि अयोग्य भूमि का प्रतिवेदित क्षेत्र से प्रतिशत (85-86)	3.1	5.0	0.8	0.9	3.0	1.8	6.5	3.3	9.0
11-	(ब) मूलभूत तथा संचार सुविधायें									
11-	प्रति 100 वर्ग किमी0 पर पक्की सड़क लम्बाई (84-85)	10	21	16	14	22	18	14	17	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12- प्रति लाख जनसंख्या पर पक्की सड़कें कि0मी0 (86-87)	116.6	81.1	104.2	97.6	163.2	106.5	110.3	78.8	111.3
13- विद्युतीकरण ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत (86-87)	70.4	57.3	37.6	53.0	65.3	42.8	85.6	42.9	42.5
14- प्रति लाख जनसंख्या पर तारघर (86-87)	10	-	-	-	9	10	-	-	17
15- प्रति लाख जनसंख्या पर डाकघर संख्या (86-87)	245	225	360	313	250	270	208	300	250
(स) सामाजिक तथा अन्य सेवायें									
16- प्रति लाख जनसंख्या पर सीनियर बेसिक स्कूल (86-87)	950	1025	1441	1188	1125	1170	987	1063	1250
17- प्रति लाख जनसंख्या पर सीनियर बेसिक स्कूल (86-87)	173	225	218	413	275	250	128	225	267
18- प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सैकेण्डरी स्कूल (86-87)	50	50	97	75	75	49	65	12	17
19- प्रति वर्ग कि0मी0 प्रतिवेदित क्षेत्र पर पशुधन संख्या (1982)	116	162	109	103	106	121	130	142	155
20- प्रति स्टाक मैन केन्द्र पर पशुधन संख्या (1982)	80344	16916	17151	21739	95464	22698	71017	15191	40774
21- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र की सं0	1	1	-	1	8	1	1	-	1
22- प्रति बैंक शाखा पर जनसंख्या (86-87)	17723	16020	15740	13313	13821	20650	9630	19984	30085

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ﾠ॥द॥ जनैकिकी विवरण									
23-	जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी० ॥1981॥	152	256	164	188	138	185	138	251	225
24-	दशक 1971-81 में जनसंख्या वृद्धि	14.8	18.6	14.4	15.7	10.8	10.5	21.4	10.7	12.5
25-	साक्षरता पुरूष प्रतिशत ॥1981॥	37.8	49.4	56.1	54.8	50.8	49.4	38.8	48.9	44.9
26-	साक्षरता प्रतिशत स्त्री ॥1981॥	10.4	16.3	18.9	20.8	16.1	15.1	7.0	17.5	13.8
27-	साक्षरता कुल व्यक्ति ॥1981॥	25.2	34.2	39.1	39.3	35.0	34.0	24.4	34.4	30.8
28-	अनुसूचित जाति/जनजाति प्रतिशत ॥1981॥	25.2	25.8	30.6	32.7	28.9	27.8	20.8	28.6	29.3
29-	मुख्य कर्मकर प्रतिशत-कृषक 1981॥	91.7	89.1	89.1	90.4	89.6	90.9	94.9	92.5	89.1
30-	मुख्य कर्मकर प्रतिशत मजदूर ॥1981॥	1.8	1.3	2.3	1.2	1.8	1.5	0.7	0.9	1.3

अध्याय - 4

जिला योजना के उद्देश्य रणनीति एवं प्राथमिकतायें

4:0 आर्थिक विकास में उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग तथा संतुलित समाज के लिये नियोजन प्रक्रिया एक अपरिहार्य माध्यम है । स्वतन्त्रता के बाद देश का तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए भारत में सरकारी स्तर पर सर्वप्रथम 1950 में योजना-आयोग की स्थापना की गई । भारत के पहले प्रधान मंत्री स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू के इसका अध्यक्ष बनाकर देश में आर्थिक पंचवर्षीय योजना । अप्रैल 1951 से आरम्भ की गयी तथा अब तक सातवीं पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी है । ये योजनाएं इस प्रकार है :-

1. पहली पंचवर्षीय योजना	। अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक
2. दूसरी पंचवर्षीय योजना	। अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक
3. तीसरी पंचवर्षीय योजना	। अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक
4. चौथी पंचवर्षीय योजना	। अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक
5. पांचवी पंचवर्षी योजना	। अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक
6. छठी पंचवर्षीय योजना	। अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक
7. सातवी पंचवर्षीय योजना	। अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक
8. आठवी पंचवर्षीय योजना	। अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1995 तक

तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू करने में कुछ बाधायें आ गई थी क्योंकि 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया जिससे देश की रक्षा सम्बन्धी कार्यों पर खर्च बढ़ने के कारण आर्थिक विकास के काम पर बुरा प्रभाव पड़ा और तीन वर्षों तक वार्षिक योजना चलाकर विकास कार्य किये गये । और इसे योजना "स्थगन" या योजना अवकाश" का नाम दिया गया । पंचवर्षीय योजना केवल चार वर्ष की ही रही क्योंकि वर्ष 1977 में जन सत्ता परिवर्तित हो जाने से ठोस निर्णय न लिये जा सके और छठी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1अप्रैल 1978 से प्रारम्भ हुई परन्तु वर्ष 1980 के चुनाव में पुनः सत्ता परिवर्तन हो जाने के कारण संशोधित छठी पंचवर्षीय योजना । अप्रैल 1980 से प्रारम्भ हुई । जिसमें वर्ष 1982-83 में राष्ट्रीय स्तर, जन आकांक्षाओं के अनुरूप आवश्यकता की की पूर्ति हुई पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जिला योजना निर्माण की आवश्यकता अनुभूति की गई ।इसी संदर्भ में योजनाओं में जनपद की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ जो वास्तव में बहुत ही लाभदायी सिद्ध हुई ।

4.1 जिला योजना के उद्देश्य :-

राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक योजनाओं के निर्दिष्ठ उद्देश्यों के अनुरूप जनपद के संसाधनों, स्थानीय परिस्थितियों, उपलब्ध क्षमता एवं वर्तमान विषमता को ध्यान में रखकर जनपद की योजना के निम्न लिखित मुख्य उद्देश्य निर्धारित किये गये है ।

1. गरीबी तथा बेकारी में कमी करना ।
2. बेरोजगारी दूर करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना ।
3. आर्थिक नियोजन के सभी कार्यक्रमों में सभी वर्गों से सहयोग प्राप्त करना ।
4. आमजनता के जीवन स्तर ऊचा उठाने का प्रयास करना ।
5. कृषि पशुधन, लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धों में उत्पादकता की वृद्धि का प्रयास करना ।
6. स्थानीय संसाधनों भूमि, वन, जल एवं खनिज का समुचित एवं श्रेष्ठतम उपयोग करना
7. भूमिहीन तथा छोटे कृषकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये रोजगारपरक योजनाओं का सृजन करना ।
8. विकास एवं सुविधाओं के परिपेक्ष्य में अन्तर्जनपदीय एवं अन्य विकास खण्डीय विषमताओं का अभियान कर उन्हे दूर करना ।
9. जनपद में औद्योगिकीकरण की दिशा में अधिक से अधिक प्रयास करना ।
10. जनपद में बचत को प्रोत्साहित एवं अपव्यय को हतोत्साहित कर विकास के लिए अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराना ।
11. ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा सिंचाई, परिवहन के साधनों का तेजी से विकास करना ।
12. जनपद की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार योजनाए बनाना ।

अतः जिला योजना के स्थानीय स्तर पर मोटे तौर से तीनों उद्देश्यों 1. उत्पादन को बढ़ाना 2. बेरोजगारी उन्मूलन तथा 3. गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1991-92 की जिला योजना की मुख्य रणनीति निम्न प्रकार है :-

4.2 जिला योजना की रणनीति

1. आर्थिक वृद्धि पर संसाधनों के उपयोग तथा उन्नत उत्पादकता के विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि करना है ।

2. आर्थिक एवं प्रौद्योगिक आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए औद्योगिक तकनीकी का उच्चीकरण और नई तकनीकी का समावेश करने दक्षता स्पर्धा और आधुनीकरण पर बल दिया जायेगा ।

(3) गरीबी तथा बेरोजगारी में प्रभावी कमी करने के लिये रोजगार वृद्धि तथा गरीबी निवारण की अधिकाधिक योजनायें प्रभावी ढंग से चलायी जायेगी ।

(4) कृषि विकास एवं खाद्यान उत्पादन वृद्धि को बढ़ाने के लिये कृषि निवेशों की आपूर्ति तथा सिंचन क्षमता में वृद्धि की जायेगी ।

(5) भारतीय ऊर्जा के संसाधनों में तीव्र गति से विकास तथा वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधनों में वृद्धि की जायेगी ।

(6) आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अविकसित व्यक्तियों में जीवन में गुणात्मक सुधार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के द्वारा करना तथा निर्धारित मानकों को पूरा किया जायेगा ।

(7) आय तथा धन की असमानता कम करने के उद्देश्य से गरीबों के हित में सार्वजनिक नीतियों एवं सेवाओं के पुनर्वितरण के भेदभाव को कम किया जायेगा ।

(8) क्षेत्रीय असंतुलन में तीव्र गति से कमी लाना है ।

(9) पर्यावरण तथा इकोनोमिकल्स सम्पत्तियों को प्रोत्साहित करना एवं रक्षा करना है ।

(10) सातवीं पंचवर्षीय योजना में चालू सभी अपूर्ण निर्माण कार्यों को इस वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा । जिससे अधिक से अधिक रोजगार का सृजन भी होगा ।

(1) खाद्यान उत्पादन वृद्धि के लिए कृषि निवेशों की आपूर्ति एवं सिंचन क्षमता में वृद्धि को प्राथमिकता दी गई है ।

(2) रोजगार परक कार्यक्रम को अधिक से अधिक प्रस्तावित किया गया है जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि हो सकें ।

(2) अन्तर विकास खण्ड एवं अन्तर्जनपदीय विषमता दूर करने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है ।

(11) शिक्षा संचार, जन स्वास्थ्य, उर्वरता नियंत्रण, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता तथा आवास के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये जायेंगे ।

(12) योजनाओं स्कीमों के सम्बन्ध में अनुश्रवण की समय-समय व्यवस्था की जायेगी ।

प्रदेश की रणनीति भी राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप निर्धारित की जा रही है परन्तु इस योजना काल में राष्ट्रीय वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिये अधिकाधिक पूर्ण नियोजन, अनुशासन एवं कठिन परिश्रम पर बल दिया जायेगा ।

4.3 जिला योजना की प्राथमिकतायें

आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1991-92 की जिला योजना में निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

§4§ निर्बल वर्ग के आर्थिक उत्थान हेतु एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में वर्ष 1991-92 में अधिक से अधिक परिव्यय का प्राविधान रखा गया है।

§5§ अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना को प्राथमिकता दी गई है।

§6§ हरिजनों के लिये निर्बल वर्ग आवास योजना में वर्ष 1991-92 के लिये यथोचित परिव्यय रखा गया है।

§7§ वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले अवशेष सभी ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की योजनायें प्रस्तावित है।

§8§ शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु प्राथमिकता दी गई है।

§9§ प्राथमिक शिक्षा के जूनियर बेसिक तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के भवनों/रहित अवशेष विद्यालयों के भवनों के निर्माण में प्राथमिकता दी गई है।

§10§ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों के भवनों के निर्माण में प्राथमिकता दी गई।

§11§ सातवीं पंचवर्षीय योजना के अधूरे सभी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।

अध्याय-5

5.0 जिला योजना का वित्तीय पोषण

आर्थिक विकास उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग संतुलित समाज के निर्माण एवं समन्वित विकास के लिये नियोजन प्रणाली एक अपरिहार्य माध्यम है । आर्थिक एवं सामाजिक विकास हर क्षेत्र के लिये अत्यधिक विशाल एवं व्यापक श्रोत रहा है । समाज में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के रहन-सहन एवं आय में वृद्धि करने, बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी की समस्या में कमी करने तथा न्यूनतम आवश्यकता के राष्ट्रीय कार्यक्रमोंके निर्दिष्ट सुविधाओं को उपलब्ध कराने का सप्तम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी इन्हीं समस्याओं को विशेष रूप से दृष्टिगत रखा गया है । इन विकट समस्याओं के समाधान के लिये राज्य के साधन सीमित हैं अतः विकास की गति को और अधिक तीव्र करने के लिये केन्द्र सरकार, वित्तीय संस्थाओं, जनता का अंश तथा स्वायत्त सेवी संस्थाओं आदि का सहयोग अपेक्षित ही नहीं अपरिहार्य भी है ।

5.1 अभी तक जनपदों की वार्षिक योजना जिला सेक्टर के परिव्यय तक ही सीमित थी, परन्तु वर्ष 88-89 से इसे आर्थिक दृष्टि से व्यापक बनाकर एकीकृत जिला योजना का स्वरूप प्रदान किया गया है जिसमें जिला सेक्टर के साथ-2 राज्य सेक्टर, केन्द्र सेक्टर, वित्तीय संस्थाओं, स्वायत्व सेवा संस्थाओं ग्राम पंचायतों को भी जनपद के बहुमुखी विकास में भागीदार बनाया गया है, जिससे एकीकृत विकास की प्रमाणिकता सार्थक हो सके ।

5.2 जनपद की जिला योजना वर्ष 91-92 का कुल परिव्यय • 148290 हजार रू0 शासन द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 2424 हजार रू0 का परिव्यय जनपद की अल्प बचत की उपलब्धि के आधार पर आवंटन सम्मिलित है इसके अन्तर्गत केन्द्र पुरोनिधानित, राज्य सेक्टर, संस्थागत वित्त, स्वायतशासी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र द्वारा दिये जाने वाले योगदान का भी समावेश किया गया है जिसका विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है :-

क्रम्स0	सेक्टर	परिव्यय (हजार रू0)
1	2	3
1-	जिला सेक्टर	148290.00
2-	केन्द्र पुरोनिधानित	52543.00
3-	राज्य योजना जिला सेक्टर	40610.00
4-	राज्य योजना अन्य विभाग	41410.00
5-	स्वायतशासी संस्थायें (नगरपालिका, टाउन एरिया, जिला परिषद आदि)	16890.00
6-	संस्थागत वित्त	
	1- जिला ऋण योजना	43518.00
	2- निजी क्षेत्र	56415.00
	3- ग्राम पंचायतें	261.00
	योग	3,99,937.00

अध्याय - 6

चालू विकास कार्यक्रमों का समालोचनात्मक मूल्यांकन एवं प्रस्तावित विभागवार कार्यक्रम

6.0 जनपद जालौन की जिला विकेन्द्रित/एकीकृत योजना में विकास की मूलभूत आवश्यकताओं तथा पिछड़ेपन को देखते हुए वर्ष 1991-92 हेतु शासन द्वारा कुल आवंटित परिव्यय 148290 हजार रुपया प्राप्त हुआ है। वर्ष 1990-91 के कुल आवंटित परिव्यय 135190 हजार रुपये के विपरीत वर्ष 1991-92 में 13100 हजार रु0 का अतिरिक्त परिव्यय का आवंटन प्राप्त हुआ है। जो 9.69 प्रतिशत अधिक है।

6.1 वर्ष 1991-92 के चालू कार्यक्रमों, योजनाओं की उत्पादकता एवं रोजगार सृजन तथा जन आकांक्षाओं को महत्व देते हुए धन की व्यवस्था की गई है। प्रान्त स्तर से विभागवार कार्यक्रमों के जो लक्ष्य निर्धारित किये जाते है उन्हीं के परिपालन में धन की व्यवस्था की जाती है परन्तु सीमित परिव्यय उपलब्ध होने के कारण समस्त विभागों की सभी प्रस्तावित योजनाओं को परिव्यय आवंटन सम्भव नहीं हो पाता है। अतः उनकी उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्था की जाती है।

6.2 वर्ष 1991-92 की जिला योजना में प्रस्तावित विभिन्न विभागीय योजनाओं / कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

6.2.1 कृषि

1. प्रदेश के मैदानी भागों में गुणात्मक बीजों के सम्बर्द्धन संग्रहण एवं वितरण की योजना

जनपद जालौन में खरीफ रबी तथा जायद के बीज सम्बर्द्धन कार्यक्रम को पूरा करने के लिये 5 राजकीय कृषि प्रक्षेत्र है। कालपी तहसील में बागी प्रक्षेत्र, उरई तहसील गिरथान एवं बोहदपुरा प्रक्षेत्र कोंच तहसील में जखौली प्रक्षेत्र तथा जालौन तहसील में रूरामल्लू प्रक्षेत्र। इन प्रक्षेत्रों की मुदाओं एवं स्थानीय भूमि को दृष्टिगत रखते हुए इन पर प्रमाणित एवं आधारीय बीज तैयार किये जाते है। इन उत्पादित बीजों को विभिन्न विकास खण्डों में स्थित बीज भण्डारों के माध्यम से कृषकों को वितरित किये जाते है। इन प्रक्षेत्रों पर बीज सम्बर्द्धन कार्यक्रम को सफलता पूर्वक चलाने के लिये कृषि उपकरण, कृषि निवेश, खाद, बीज कीटनाशक तथा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिये धन की आवश्यकता होती है।

जनपद जालौन के कुल प्रक्षेत्रों का कृषि योग्य क्षेत्रफल 88.98 हे0 है। प्रक्षेत्रों में श्रमिकों की मजदूरी के लिए 450 हजार रूपये मजदूरी हेतु तथा जनपद की

फसलों के लिये उर्वरक, बीज एवं कीट नाशकों के लिये 470 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है आलेच्य वर्ष में खरीफ रबी एवं जायद कुल मिलाकर लगभग 5750 कु0 प्रमाणित बीज पैदा होना सम्भावित है जिनका वितरण कृषकों को किया जायेगा ।

3. प्रक्षेत्र हेतु ट्रैक्टर क्रय करना :-

राजकीय कृषि प्रक्षेत्र पर स्थित ट्रैक्टर लगभग 13 वर्ष पुराना है तथा इसके रखरखाव पर व्यय बहुत अधिक व्यय आता है । सुविधा एवं बचत के दृष्टिकोण से उक्त प्रक्षेत्र हेतु एक ट्रैक्टर क्रय करने हेतु 150हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

3- धन्जा बीज भण्डार के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करना :-

धन के अभाव में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उरई द्वारा इस गोदाम का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ा हुआ है जिसको पूर्ण कराने हेतु 80,000 रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

4. जखौली प्रक्षेत्र पर माड़पत का निर्माण करना :-

धन के अभाव में जखौली प्रक्षेत्र पर एक माईपत का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उरई द्वारा नहीं कराया गया है जिसको बनवाने हेतु 40,000 हजार रुपये की अतिरिक्त माँग का प्रस्ताव रखा गया है ।

5. जखौली प्रक्षेत्र पर अधीक्षण के आवास भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त धन की माँग

जखौली प्रक्षेत्र पर प्रक्षेत्र अधीक्षण आवास भवन के निर्माण हेतु 30,000 रुपये की माँग हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ।

6 प्रक्षेत्र पर एल्मो नियम पाइप का क्रय करना

जखौली प्रक्षेत्र पर सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से 10सेमी0 व्यास के 500मीटर एल्मो नियम के पाईप क्रय करने हेतु 50हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

2- कृषि रक्षा यंत्रों का क्रय :-

जनपद में कृषि रक्षा हेतु दवाये छिड़कने के लिये 23 यंत्रों के क्रय के लिये 55 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

6.2.2 उद्यान विभाग :-

1- औद्यानिक पसलों के गुणात्मक उत्पादन, बीज सम्बर्द्धन एवं आधुनिकीकरण की योजना :-

सामान्य जीवन में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने व राष्ट्रीय स्वास्थ्य में वृद्धि करने तथा बढ़ते हुए कृषकों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि फल एवं सब्जियों व आलू का जनपद में अधिक उत्पादन किया जाय । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस योजना के अन्तर्गत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में राजकीय पौधशालयें एवं बीज सम्बर्द्धन प्रक्षेत्र स्थापित करके उनसे उन्नतिशील जाति के फलदार पौधे एवं शाकभाजी के बीज उत्पादित करके कृषकों को बिना हानि व लाभ के आधार पर उपलब्ध कराये जाते हैं जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ गुणवत्ता भी बनायी जा सके । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत इकाइयों का विवरण निम्न प्रकार है जिन पर वर्ष 1991-92 में 15.35 हजार रू0 के परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

(1) राजकीय पौधशाला बागी :-

विकास खण्ड कदौरा के बागी ग्राम में 11.25 एकड़ क्षेत्र में बहु उद्देशीय पौधशाला की स्थापना 1980 में हो चुकी है । वर्ष 1991-92 में इस पौधशाला पर निम्न लि कार्य कराये जायेंगे ।

1- 2.0 एकड़ क्षेत्र में मातृ पौधों का रखरखाव ।

2- शाक भाजी बीज का उत्पादन 22 कुण्टल ।

3- कलमी पौध उत्पादन 34000

4- बीजू फलदार व रूट स्टाक का उत्पादन 88000

5- शोभाकार पौधा का उत्पादन 20000

6- पब्लिक के बैठने के लिये स्थान (पार्क) की स्थापना

7- शाकभाजी बेहन का उत्पादन 3.75 लाख ।

(2) राजकीय पौधशाला :-

यह पौधशाला वर्ष 1974-75 में सूखोन्मुख योजनान्तर्गत विकास खण्ड कालपी के ग्राम बोहटपुरा में स्थापित की गयी थी जिस पर विगत वर्षों से व्यय जिला योजना से किया जा रहा है । इस पौधशाला पर शाकभाजी बीज उत्पादित करके विधायन उपरान्त कृषकों को मूल्य पर उपलब्ध कराये जाते हैं । इस पौधशाला पर वर्ष 1991-92 हेतु निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है :-

1- 6.10. एकड़ क्षेत्र में लगे मातृ पौधों का रखरखाव ।

2- 2 लाख कलमी तथा बीज शोभाकार पौधों का उत्पादन ।

3- 15 कु0 शाक भाजी बीजों का उत्पादन ।

4- 3.75 लाख शाक भाजी वेहन का उत्पादन ।

5- आम जनता के लिये बैठने का स्थान स्थापित करना ।

पौधशाला पर पहले से नलकूप 3" पानी देने की क्षमता का चालू है जिसके पुराना हो जाने के कारण उसमें पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती है और पौधशाला के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा अधिकांश क्षेत्र सूखा पड़ा रहता है । पौधशाला पर पूरा उत्पादन लेने के लिये एक नये नलकूप की जिसका पानी की निकास कम से कम 6" का हो, लगवाना अति आवश्यक है । इस नलकूप लगवाने से पौधशाला का उत्पादन अवश्य बढ़ेगा । इस नलकूप पर रू0 1,85000/- व्यय करना प्रस्तावित है । पौधशाला पर 400 मीटर पक्की नालियां बनवाना भी अत्यावश्यक है जिस पर रू0 80,000 व्यय होना प्रस्तावित है ।

(3) राजकीय प्रक्षेत्र करसान :-

इस योजना के अन्तर्गत सामान्य जनों के आहार में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिये एवं कृषकों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिये 32.00 एकड़ क्षेत्र में एक शाकभाजी एवं आलू प्रक्षेत्र की स्थापना वर्ष 1978-79 में विकास खण्ड इकौर के ग्राम करसान में की गयी थी । इस प्रक्षेत्र पर उन्नतशील शाकभाजी व आलू के बीज उत्पादित कर विधायन उपरान्त कृषकों को उपलब्ध कराये जाते हैं । इस प्रक्षेत्र पर वर्ष 1991-92 में निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे :-

1- रबी मौसम में 47 कु0 शाकभाजी बीजों का उत्पादन ।

2- खरीफ मौसम में 32 कु0 शाकभाजी बीजों का उत्पादन ।

3- जायद में 28 कु0 शाकभाजी बीजों का उत्पादन ।

4- आलू बीज 360 कु0 का उत्पादन ।

प्रक्षेत्र पर खेतों का तल ऊंचा नीचा होने तथा प्रक्षेत्र की लम्बाई बहुत अधिक होने के कारण प्रक्षेत्र का दक्षिणी-पश्चिमी भाग का 4.00 एकड़ भाग असिंचित रह जाता है । अतः प्रक्षेत्र पर 600 मीटर लम्बी पक्की नालियों का बनवाना अत्यावश्यक हो गया है । इसके अतिरिक्त प्रक्षेत्र पर वर्षा एवं धूप से उपज को बचाने एवं सुरक्षा रखने हेतु एक टीन शेड 18×36 फीट का बनवाना भी अति आवश्यक है । इस शेड में आलू बीज स्टोरिंग, छटाई, ग्रेडिंग आदि का कार्य किया जायेगा जो खुली धूप में सम्भव नहीं है ।

(4) राजकीय पौधशाला बाबई (धरमपुर उबारी)

इस योजना के अन्तर्गत जनपद के विकास खण्ड महेवा के बावई ग्राम के मौजा धरमपुर उबारी में 1.90 एकड़ क्षेत्र में बहु उद्देशीय पौध शालाउ की स्थापना वर्ष 91-92 में की जा रही है । विकास खण्ड महेवा जनपद का सबसे पिछड़ा विकास खण्ड है । इस विकास खण्ड का विकास नितान्त आवश्यक है । इसी उद्देश्य से ग्रामसभा ने इस ग्राम में 1.90 एकड़ भूमि विभाग को नि:शुल्क उपलब्ध करा दी है जिसका विधिवत हस्तान्तरण विभाग को हो चुका है तथा पौधशाला स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

2- बीसा नरसरी (पैराइलाइट इम्प्रूवमेंट एण्ड सोर्स एरिया) बनाने की योजना :-

राजकीय पौध शाला बागी को बीसा नरसरी में परिवर्तित करने हेतु इस पौधशाला पर भी पूरी सुविधायें जैसे- स्प्रिकलर सिटम, मिस्ट हाउस, प्रोपोगेशन चैम्बर, ग्लास हाउस, ग्रीन हाउस आदि को उपलब्ध कराया जायेगा । इसका प्लाण्ट मैटेरियल ग्राम स्टेशनों से प्राप्त किया जायेगा और पौध उत्पन्न कर इलाइट नरसरियों को उपलब्ध कराये जायेंगे । इस प्रकार इस पौधशाला का स्तर भी प्रदेशीय स्तर का हो जायेगा । उक्त आधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु 6.00 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

3- प्रसंस्करण, प्रशिक्षण एवं विधायन कीयोजना :-

वर्ष 87-88 में फल संरक्षण केन्द्र का भवन बनवाने हेतु उरई में 1.00 एकड़ भूमि नजूल की जिलाधिकारी जालौन के आदेश से उपलब्ध करायी गयी थी जिसमें से 0.10 एकड़ भूमि पर फल संरक्षण केन्द्र का भवन बन चुका है और 0.90 एकड़ भूमि को जिला उद्यान कार्यालय का भवन बनवाने हेतु अभी तक खाली पड़ी है । भूमि के खाली पड़े रहने के कारण भूमि का कटाव हो रहा है तथा पड़ोसी भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं । बनाया गया भवन भी बाउण्ड्री वाल न होने के कारण सुरक्षित नहीं है क्योंकि रात व दिन में चोरों व अराजक तत्वों का बराबर भय बना रहता है । इस भवन में सम्भ्रान्त घरानों की महिलायें व लड़कियां प्रशिक्षण व अपने खाद्य पदार्थ बनवाने आती हैं और अराजक तत्व भवन के आस पास मड़राते रहते हैं । भूमि के कटाव को रोकने, चोरों व अराजक तत्वों की रोकथाम, भूमि पर अवैध रोकने तथा भूमि पर वृक्षों के लगाने व उनकी सुरक्षा करने हेतु इस भूमि की पक्की चहारदीवारी 6 फीट ऊँची जिस पर तीन काटेदार तार आयरन एंगिल सहित लगवाने हेतु 125 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

6.2.3 निजी लघु सिंचाई :-

1- अल सिंचाई कार्यों हेतु अनुदान :-

इस योजना के अन्तर्गत जनपद में निजी लघु सिंचाई कार्यक्रमों द्वारा सिंचन क्षमता में वृद्धि के लक्ष्य प्रस्तावित रहते हैं जिनमें इन्हें प्रोत्साहन देने हेतु नलकूपों/पम्पसेटों के क्रय पर अनुदान की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 1991-92 में इस योजना पर व्यय हेतु 13.00 लाख रू0 के परिव्यय के लक्ष्य प्रस्तावित हैं जिनमें निजी नलकूप एवं पम्पसेट 465 गहरे नलकूप, 30 आर्टीजन बेल80 के निर्माण हेतु अनुदान प्रस्तावित हैं

2- बोरिंग गोदाम निर्माण एवं सुदृणीकरण :-

जनपद मे लघु सिंचाई भण्डार निर्माण में वर्ष 1985-90 तक 23.00 लाख रू0 व्यय हुआ है तथा विकास खण्ड स्तर पर लघु सिंचाई भण्डारों का सामान के रखरखाव हेतु निर्माण होना शेष है तथा जनपदीय भण्डार में भी निर्माण कार्य होना शेष है इसके लिये 3.20 लाख रू0 प्रस्तावित है।

3- उपकरण एवं संयंत्र :-

जनपद में वर्ष 85-90 तक लघु सिंचाई उपकरण जैसे बोरिंग सेट, डबल पिंग यूनिट क्रय एवं उसके रखरखाव पर 1400 हजार रू0 व्यय किया जा चुका है। वर्ष 1991-92 में उपकरण क्रय करने तथा उनके सामान के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु 420 हजार रू0 प्रस्तावित किया गया है।

4- अन्य व्यय :-

जनपद में वर्ष 85-90 तक कार्यालय साज सज्जा, लघु सिंचाई कार्यों का निरीक्षण करने हेतु जीप पर एवं डिप्लोमा होल्डर स्टाईपेन्ड आदि पर 1100 हजार रू0 व्यय किया जा चुका है। वर्ष 1991-92 के लिये इस मद में 180 हजार रू0 प्रस्तावित किये गये हैं।

5- निःशुल्क बोरिंग हेतु नये बोरिंग सेटों का क्रय :-

इस योजना के अन्तर्गत बोरिंग सेटों क क्रय हेतु वर्ष 1991-92 में 250 हजार रू0 प्रस्तावित किये गये हैं।

नई योजनायें

1- स्प्रिंकलर संयंत्र पर अनुदान :-

जनपद के लिये यह योजना कृषकों के लिये बड़ी ही उपयोगी एवं लाभकारी सिद्ध होगी। इस योजना से कृषक अपनी फसल को सिंचाई आसान आवश्यकतानुसार तथा पानी के वेस्टेज एवं संयंत्र का पूर्ण तरीके से लाभ ले सकते हैं। वर्ष 1991-92 मु0 700 हजार रू0 प्रस्तावित किये गये हैं।

2- प्राइवेट एजेन्सी द्वारा गहरी बोरिंग पर अनुदान :-

चालू वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा प्राइवेट बोरिंग एजेन्सियों से बोरिंग कराने के आदेश दिये जा चुके हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष में 30 बोरिंग का लक्ष्य प्रस्तावित है । विभागीय बोरिंग की भांति इसमें भी कृषकों को अनुदान देने की व्यवस्था है । वर्ष 1991-92 में 700 हजार रू0 इस योजना के लिये प्रस्तावित किये गये हैं ।

इस प्रकार समस्त योजनाओं पर वर्ष 91-92 के लिये 36.90 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है जिससे 2985 है0 पर सिंचन क्षमता का सृजन होगा ।

6.2.4 राजकीय लघु सिंचाई :-

जनपद में राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु वर्ष 1991-92 के लिये 81.00 लाख रू0 तथा ~~४७०४७~~ आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 476.37 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया जिससे वर्ष 91-92 में 8 नलकूपों का छिद्रण, एलिवेटेड टैंकों का निर्माण, विकास, पम्प गृहों का निर्माण, कराया जायेगा तथा 8 पम्प सेटों की स्थापना की जायेगी । पी0वी0सी0 पाइप लाइन का निर्माण 35 किमी0 किया जायेगा । 8 पम्प सेटों का ऊर्जीकरण एवं 56 किलोमीटर बरहा का निर्माण किया जायेगा ।

6.2.5 पशुपालन :-

(1) पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा रोग निदान सेवाओं के सुधार एवं विस्तार की योजना :-

आठवीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1991-92 में जिला योजना के अन्तर्गत एक पशु चिकित्सालय, 2 पशु सेवा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है पिछले वर्षों में खोली गयी संस्थाओं के लिये जिला योजना में अतिरिक्त सुविधाओं के परिव्यय उपलब्ध कराया जाता है । योजना में खोले गये नये केन्द्रों के बढ़ जाने से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि में बढ़ोत्तरी होगी । पशुओं में बीमारी आदि के लिये संक्रामक रोगों का टीकाकरण किया जाता है ।

(2) खुरपका, मुंहपका रोग पर नियंत्रण रखने की योजना :-

यह केन्द्र पोषित योजना है इस योजना के अन्तर्गत पशुओं में खुरपका, मुंहपका रोग के रोकथाम हेतु वैक्सीन क्रय कराकर 50 प्रतिशत कीमत पर पशु पालकों को पशुओं में टीकाकरण कराया जाता है चूंकि यह वैक्सीन कीमती है । अतः उन्नतिशील पशु पालकों के पशुओं में इसका टीकाकरण कराया जाता है ।

(35)

D. 5485
Date 11/12/90

3- गाय/भैंस में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंक के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना :-

यह बड़ी महत्वपूर्ण योजना है इस योजना में 21 केन्द्रों पर कार्य चल रहा है तथा एक तरल नत्रजन के प्लांट संयंत्र की स्थापना बोहदपुरा फार्म पर वर्ष 87-88 में की गयी है तब से ये संयंत्र पूर्णरूपेण कार्य कर पूरे मण्डल में तरल नत्रजन की आवश्यकता की पूर्ति उपरान्त कानपुर मण्डल में भी पूर्ति करता है । इस योजना के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्र सरावन में खोलने का प्रस्ताव है जिसके संचालन हेतु अतिरिक्त धन का प्रस्ताव रखा गया है ।

अति हिमीकृत वीर्य द्वारा इस योजना के अन्तर्गत गायों में प्रजनन की सुविधा जनपद के चार केन्द्रों पर उपलब्ध है । इसमें स्टाफ द्वारा 10 कि0मी0 की दूरी पर स्थलीय तौर पर सुविधा प्रदान की जाती है । पशुपालकों की देशी गायों से इस प्रकार की बछियें जो माँ की क्षमता से अधिक दूध देती हैं पैदा की जाती है । इन केन्द्रों के संचालन हेतु एवं पशुओं में बीमारी आदि की रोकथाम हेतु अतिरिक्त धन का प्राविधान किया जाता है ।

4- पशुधन प्रक्षेत्रों पर उन्नतिशील पशुओं के प्रजनन हेतु विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराने की योजना :-

पशुधन प्रक्षेत्रों से उन्नतिशील नस्ल के सांड़ पशुपालकों को अंशदान पर उपलब्ध कराये जाते हैं । इसी योजना में एक वर्णसंकर सांड क्रय करने का प्रस्ताव है जिसके लिये धन का प्राविधान रखा गया है । इस सांड़ के द्वारा देशी गायों को गर्भित कराकर उन्नतिशील बछिया/बछड़ा पैदा कराये जाते हैं ।

5- प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत 9 नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों में से केन्द्रों पर सांड़ परिचरों के पदों के सृजन हेतु धन का प्राविधान किया गया है । इसके साथ नैसर्गिक केन्द्र कोटरा, पिरौना एवं भदेख के आगणन के अनुसार पूर्ण कराने हेतु धन प्राविधान किया गया है । इस योजना में केन्द्रों पर रखे गये उन्नतिशील सांड़ों द्वारा पशु प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ।

6- बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना एवं प्रजनन सुविधाओं के विस्तार की योजना :-

राज्य योजना अन्तर्गत वर्ष 83-84 में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष में 100 बरबरी बकरियों के एक प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु धन स्वीकृत किया गया था । यह योजना पूर्णरूपेण कार्यरत है । इसकी निरन्तरता बनाये रखने हेतु खिलाई पिलाई दवाइयों आदि के लिये धन का प्रस्ताव है तथा प्रजनन

सुविधा विस्तार हेतु पशु पालकों को प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये उत्तम नस्ल के बरबरी बकरों को अंशदान पर वितरण किया जाता है । जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 91-92 में ऐसे 20 बकरों का क्रय करके वितरण करने का प्रस्ताव है ।

7- भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना उन्नयन श्रेणीकरण क्रय विक्रय सघन विकास एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने की योजना :-

इस योजना में 20 भेड़ा क्रय एवं वितरण का कार्यक्रम रखा गया है । यह भेड़े राज्य की योजनाओं/राजस्थान से क्रय कराकर पशु पालकों को नस्ल सुधार हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं । भेड़ पालकों की भेड़ों में बीमारी की रोकथाम हेतु दवा आदि क्रय करने का प्राविधान रखा गया है जिससे भेड़ में होने वाले परजीवी रोगों की रोकथाम की जा सके ।

8- सूकर विकास हेतु प्रक्षेत्रों की स्थापना सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार तथा प्रजनन सुविधाओं के विस्तार की योजना :-

इस योजना अन्तर्गत स्थित सूकर केन्द्रों पर उपस्थित सूकर साड़ों की खिलाई पिलाई आदि के व्यय हेतु धन का प्राविधान रखा गया है । इसके अन्तर्गत 20 सूकर क्रय करने हेतु धन का प्राविधान किया गया है जो क्षेत्र में अंशदान पर सूकर पालकों को वितरित किये जाते हैं । इसके द्वारा उन्नतिशील नस्ल के सूकर पैदा किये जाते हैं ।

9- विभिन्न पशुपालन संबंधी विकास कार्यक्रमों के प्रचार एवं प्रसार की योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत चल रही प्रजनन की सुविधाओं द्वारा किये गये कार्यों के प्रोत्साहन हेतु धन का प्राविधान है तथा विभिन्न समय में स्टाल लगाने एवं पशु प्रजनन कार्यक्रमों को आकर्षित करने हेतु धन का प्राविधान है ।

10- चारा एवं चारागाह विकास की योजना :-

पशुओं के हरे चारे की उपलब्धता हेतु इस धन से चारा बीज क्रय कराकर बिना लाभ:हानि उपलब्ध कराया जाता है । सुखोन्मुख योजना अन्तर्गत बोहदपुरा प्रक्षेत्र पर चारा बीज/ विभिन्न प्रकार की घास पैदा करने की योजना चल रही है । इस योजना के अन्तर्गत ट्यूबवेल बिजली मजदूरी आदि कार्यों को पूर्ण कराने हेतु धन का प्राविधान किया गया है ।

6.2.6 मत्स्य

जनपद जालौन में शासन द्वारा वर्ष 1982-83 में मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना का सृजन किया गया । जनपद में ग्रामीण अंचल में सर्वेक्षित 942 तालाब जिनका क्षेत्रफल 787.64 हे0 है । यह तालाब जनपद की विभिन्न ग्राम सभाओं में स्थित हैं । वर्तमान में यह तालाब पूर्णतया मत्स्य पालन हेतु उपयुक्त नहीं है । यदि इनमें सुधार करा दिया जाय तो मत्स्य उत्पादन की प्रचुर मात्रा बढ़ने की सम्भावना है । वर्ष 1991-92 में इन तालाबों से 95 हे0 तालाब का सुधार कराना प्रस्तावित है । सुधार हेतु जनपद में स्थित व्यवसायिक बैंकों से ऋण दिलाकर विभागीय मानकों के आधार पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । मत्स्य पालन आधुनिकतम वैज्ञानिक तकनीक मत्स्य पालकों तक पहुंचाने के लिये 95 मत्स्य पालकों को दस दिवसीय मत्स्य प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसमें उन्हें 15/- प्रति दिन प्रतिकर भत्ते के रूप में दिया जायेगा । मत्स्य पालकों के निकट का सम्पर्क स्थापित करने से कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार मत्स्य बीज वितरण वाहन के संचालन हेतु कार्यालय मद में धनराशि का प्राविधान कराया गया है जो योजना के कार्यान्वियन हेतु आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है । इस प्रकार योजना में निम्न प्रकार व्यय प्रस्तावित है :-

क्रमांक	मद	राज्यांश	केन्द्रांश	योग
1-	कार्यालय व्यय	90000.00	-	90000.00
2-	मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण	7500.00	7500.00	15000.00
3-	तालाब सुधार एवं इनपुट हेतु अनुदान	119100.00	119100.00	238200.00
	योग	216600.00	126600.00	343200.00

इस प्रकार अभिकरण के मत्स्य बीज वितरण से आय होगी तथा समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को मत्स्य उत्पादन पर आय के श्रोत का सृजन होगा । जिससे गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के जीवन के स्तर का उत्थान होगा तथा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी ।

नई योजना

आटा मत्स्य प्रक्षेत्र का सुधार

जनपद जालौन में आटा मत्स्य प्रक्षेत्र उरई कालपी मार्ग पर उरई से 15 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । मत्स्य प्रक्षेत्र का निर्माण वर्ष 1966-67 में हुआ था । मत्स्य प्रक्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्रफल लगभग 1.20 हे0 तथा जल क्षेत्र 0.60 हे0 है । इस प्रक्षेत्र में 4 नर्सरी पाण्ड 2 रियरिंग पाण्ड तथा एक ब्रूड पाण्ड है । वर्तमान में

मत्स्य प्रक्षेत्र के बन्धे कटकर जीर्णशीर्ण हालत में हो गये हैं प्रक्षेत्र के तालाबों की गहराई भी कम हो गयी है जिसमें लगातार पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है । यद्यपि मत्स्य प्रक्षेत्र पर ट्यूबवेल उपलब्ध है परन्तु कभी-2 विद्युत न आने के कारण ट्यूबवेल चलाना सम्भव नहीं हो पाता है और प्रक्षेत्र के तालाबों की गहराई कम होने के कारण शीघ्र पानी सूखने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है जिससे संचित मत्स्य स्टाक के मृत्यु होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है । प्रक्षेत्र पर निर्मित भवन भी काफी जीर्ण हालत में हैं । अत: मत्स्य प्रक्षेत्र एवं भवन के सुधारीकरण पर लगभग रू0 45000/- व्यय नियमानुसार होने का अनुमान है ।

6. 2.7 वन-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजाति वृक्षारोपण केन्द्र द्वारा पूरी निधा नित :-

इस योजना के अन्तर्गत शासन के निर्देशानुसार वर्ष 1991-92 में 50 प्रतिशत 500 हजार रू0 केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत 5.00 लाख रू0 राज्यांश परिव्यय का प्रस्तावित किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत शासन के निर्देशानुसार केवल वृक्षारोपण का कार्य तथा स्वीकृत अधिष्ठान का परिव्यय निहित किया गया है ।

(2) संचार साधन :-

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में 1.05 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

(3) भवन निर्माण :-

इस योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण को प्रस्तावित किया गया है जिसके लिये 1991-92 में 1.10 लाख रू0 के परिव्यय को प्रस्तावित किया गया है ।

(4) शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी :-

शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिये वर्ष 1991-92 के लिये 55.00 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

(5) वन मनोरंजन केन्द्र :-

इस योजना के अन्तर्गत वन पार्कों का विकास व वन पार्कों का रखरखाव के लिये वर्ष 1991-92 में 1.10 लाख रू0 का प्रव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

(6) वन कर्मचारियों को सुविधा :-

इस योजना के अन्तर्गत एक ओवर हैड टैंक का निर्माण, भवनों के विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1991-92 के लिये 1.10 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

(7) सामाजिक वानिकी :-

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में पुनरोपिण कार्य 544 है0, वृक्षारोपण कार्यक्रम 316 है0, भूमि सृजन कार्य 324 है0 तथा पौधे लगाने का लक्ष्य 40 लाख रखा गया है जिसके लिये रु0 46.50 लाख रू0 की के परिव्यय को प्रस्तावित किया गया है ।

6.2.8 सहकारिता :

(1) जिला सहकारी बैंक को प्रबन्धकीय अनुदान :-

वर्ष 1991-92 में जिला सहकारी बैंक उरई की शाखाओं के लिये 10 हजार रू0 प्रबंधकीय अनुदान की व्यवस्था 1991-92 की वार्षिक योजना में की गयी है ।

(2) उपभोग ऋण वितरण पर रिस्क फण्ड हेतु अनुदान :-

वर्ष 1991-92 में 5 लाख रू0 उपभोग ऋण वितरण पर का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिये 5 प्रतिशत की दर से 25-25 हजार रू0 राज्य सरकार तथा भारत सरकार से अनुदान की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें 50 हजार रू0 का प्रावधान जिला वार्षिक योजना में किया गया है ।

(3) निर्बल वर्ग (अनु0 जाति/जनजाति) के लोगों को अंश क्रय हेतु मध्यकालीन/अनुदान :

वर्ष 1991-92 में 55 हजार रू0 अंश क्रय हेतु मध्यकालीन ऋण/अनुदान के रूप में प्रावधान किया गया है जो सदस्यों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जायेगा । इस प्रकार 100=00 रू0 प्रति सदस्य की दर से 550 अनुसूचित जाति के नये सदस्य बनाये जा सकेंगे ।

उपभोक्ता योजना :-

1- केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों की मूल्य उतार चढ़ाव निधि हेतु अनुदान हानि घटाने हेतु वर्ष 1991-92 की योजना में 10 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

2- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत समितियों के पैक्स/ब्लाक यूनियन/एप0एस0 एस0 को व्यवसाय हेतु 7 हजार रू0 का प्रस्ताव वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना में किया गया है । यह केन्द्र पोषित योजना है ।

6.2.9 पंचायत

1- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय निर्माण :-

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया जाता है । कठिनाई वाले क्षेत्र में प्रति शौचालय की लागत 1900.00 रू0 रखी गयी है जिसमें 20 प्रतिशत अंश लाभार्थियों को स्वयं वहन करना होगा । इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय (1990-95) तक के लिये इस जनपद में कठिनाई एवं साधारण क्षेत्रों को मिलाकर मु0 6431 हजार रू0 का अनुमानित प्रस्ताव रखा गया है जिससे कुल 3550 शौचालयों का निर्माण कराया जा सकेगा । वर्ष 1991-92 हेतु इस योजना के अन्तर्गत 985 हजार रू0 का व्यय प्रस्तावित किया गया है ।

2- ग्राम सभाओं की अपनी आय में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन :-

इस योजना के अन्तर्गत जनपद की 3 सर्वश्रेष्ठ सभाओं को क्रमशः 6,000.00, 4,000.00 व 2,000.00 रू0 तक का पुरस्कार क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के रूप में प्रदान किया जाता है । आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के अन्तर्गत मु0 60.00(हजार) रू0 का प्राविधान रखा गया है । वर्ष 1991-92 के लिये इस योजना के अन्तर्गत मु0 12.00 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है । इस जनपद की 3 सर्वश्रेष्ठ गांव सभाओं जिन्होंने अपनी आय में करो, शुल्क, भूमि प्रबंध समिति सम्पत्ति एवं साधनों से विगत वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि की है को पुरस्कृत किया जायेगा ।

3- ग्राम सभा स्तर पर पंचायत कार्यालय स्थापित करने हेतु पंचायत भवन निर्माण :-

इस योजना के अन्तर्गत एक पंचायत भवन का अनुमानित मु0 80,000 हजार रू0 है जिसमें 10 प्रतिशत धनराशि गांव सभा अंश भी शामिल है । जवाहर रोजगार योजना के तहत पंचायत भवनों का निर्माण कम धन एवं श्रमांश का प्रतिबंध होने के कारण नहीं कराया जा सकता है । आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95 में इस जनपद में 64 भवन निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव रखा गया है जिस पर मु0 3720 हजार रू0 का व्यय प्रस्तावित है । इन पंचायत भवनों का निर्माण ग्राम सभाओं में होना नितान्त आवश्यक है क्योंकि ग्राम सभा की बैठकों तथा गांव पंचायत की बैठकों आदि का संचालन इन्हीं भवनों में किया जाता है । वर्ष 91-92 में मु0 640 हजार रू0 ; 9 पंचायत भवनों के लिये प्रस्तावित है ।

6-2-10 ग्राम्य विकास- चालू योजनायें

(ब) एकीकृत ग्राम्य विकास योजना :-

योजनान्तर्गत ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले ऐसे परिवार जिनकी समस्त श्रोतों से वार्षिक आये रुपये 6400 से कम हो, में से प्रथम प्राथमिकता में 4800 रुपये से कम को उनकी अभिरुचि के अनुसार व्यवसाय/सेवायें/ उद्योग आदि परियोजनायें देकर गरीबी रेखा से उपर उठाने हेतु 25 प्रतिशत एवं 33-$\frac{1}{3}$ प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत अनुदान सहित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवक एवं महिलायें जिन्हें स्वत: रोजगार स्थापना हेतु व्यवसाय में प्रशिक्षण की आवश्यकता है, टाइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिलवाकर रोजगार स्थापन के लिये बैंकों से ऋण तथा अभिकरण द्वारा अनुदान दिलाकर गरीबी रेखा से उपर उठाने का प्रयास किया जाता है ।

इस कार्यक्रम में वर्ष 1989-90 में 5744 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है जिसके विपरीत वर्ष 89-90 तक 6664 परिवारों को लाभान्वित कर 147-84 लाख वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष 182-52 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है ।

वर्ष 1990-91 के लिये 4690 गरीबतम परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 147-56 लाख रुपया का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें 73-78 लाख रुपये राज्यांश के रुप में जिला योजना के अन्तर्गत प्रावधानित करते हुये कुल लक्षित परिवारों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 40 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है । योजनान्तर्गत बैंकों से 312-00 की धनराशि ऋण के रुप में उपलब्ध कराई जायेगी । प्रयास यह है कि जिन ग्रामों में योजना का प्रसार अब तक नगण्य रहा है, उन्हें अपेक्षाकृत प्राथमिकता देकर गाँव सभा की खुली बैठकों में पात्र परिवारों को चयन किया जाये । यह भी प्रयास किया जाना अपेक्षित है कि लाभार्थियों का उत्पादन के लिये कच्चे माल की उपलब्धता तथा बने माल के विक्रय के लिये उपयुक्त अवस्थापना परक संसाधनों की स्थापना की जाय । आठवीं योजना काल में इस योजना के अन्तर्गत 27447 परिवारों को लाभान्वित करने के लिये 42979 हजार रुपया का प्रावधान जिला योजना में किया गया है । वर्ष 91-92 में 5169 परिवारों को लाभान्वित करने के लिये 8116 हजार रुपया राज्यांश के रुप में उपलब्ध कराये जाने का अनुमान है बैंकों द्वारा 40518 हजार रुपया ऋण स्वरुप वितरित किये जाने की सम्भावना है ।

॥स॥ जवाहर रोजगार योजना :-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को भरपूर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर ग्रामीण अंचल में स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन करना है । यह योजना वर्ष 89-90 से मुख्यतया ग्राम सभाओं के माध्यम से परिचालित की जा रही है । वर्ष 1988-89 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम कार्यक्रम के रूप में रोजगार प्रदान कर स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन कराया जाता था । कुल आवंटित परिव्यय का 80 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 20 प्रतिशत राज्यांश के रूप में आवंटित किया जाता है । वर्ष 1989-90 के लिये कुल निर्धारित परिव्यय 566-93 लाख है जिसमें राज्यांश 113-39 लाख रुपये है । इसके सापेक्ष 541.36 लाख रू0 व्यय कर 17-15 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं ।

वर्ष 1990-91 की जिला योजना में राज्यांश के रूप में 8963 हजार रुपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है । जिससे 17-74 लाख मानव दिवसों का सृजन सम्भाव्य है तथा इन्दिरा आवास के साथ साथ प्रत्येक ग्राम सभा में निर्धारित परिव्यय के सापेक्ष 1-5 प्रतिशत की धनराशि से अनुसूचित जाति के परिवारों को सीधे लाभ प्रदान करते हुये निर्बल वर्ग आवासों का निर्माण कराया जाना है ।

इस योजना में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस वर्ष श्रम व सामग्री का अनुपात 60:40 रखा गया है । आठवीं योजना काल में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 103-78 लाख मानव दिवस सृजन करना सम्भाव्य है । । वर्ष 91-92 में 19-51 लाख मानव दिवस का सृजन 9859 हजार राज्यांश के रूप में व्यय होगा ।

क्षेत्रीय विकास

॥अ॥ सूखा-ग्रस्त क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम :-

भारत सरकार की पुरो निर्धारित योजना है जो जनपद में 1974-75 से परिचालित है । यह कार्यक्रम जनपद के विकास खण्ड डकोर, कदौरा, महेवा के चुने गये सूक्ष्म जल समेटों में समन्वित विकास के परिपेक्ष्य में परिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखने, रोजगार के अवसर प्रदान करने, सूखे की आवृत्ति को रोकने तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिये चलाया जा रहा है । इस योजना में नियोजन की इकाई जल सोत है । जल सोत का

का लैन्ड रिसोर्स एवं सोसियो इकोनोमिक सर्वेक्षण करके क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार बिभिन्न कार्यों का नियोजन एवं कार्यान्वयन किया जाता है । वर्ष 1989-90 में राज्यांश 24-75 लाख सहित 49-50 लाख परिव्यय के 748 हे0 भूमि संरक्षण, 806 हे0 वृक्षारोपण, 253 हे0 सिंचन क्षमता सृजन कर 54-570 लाख रुपया व्यय किया गया है ।

वर्ष 1990-91 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यांश के रुप में 24-75 लाख रुपया का प्राविधान जिला योजना में किया गया है । इस प्राविधानित धनराशि से भूमि संरक्षण कार्य, सामाजिक वानिकी, लघु सिंचाई के अन्तर्गत सिंचन क्षमता का प्रसार एवं पशुपालन के अन्तर्गत चारागाह विकास कार्यक्रम परिचालित किया जायेगा । वर्ष 91-92 में राज्यांश के रुप में 24-75 लाख रुपया व्यय होने की सम्भावना है ।

(ब) लघु सीमान्त कृषकों की कृषि उत्पादकता बढ़ाने का कार्यक्रम :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु तथा सीमान्त कृषकों की कृषि उत्पादकता बढ़ानें के लिये निःशुल्क बोरिंग हेतु 3000 रुपये की धनराशि लघु कृषकों तथा 4000 रुपये की धनराशि सीमान्त कृषकों को प्रदान की जाती है तथा पम्पसेट स्थापन हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को क्रमशः 25 प्रतिशत, 33-1/3 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान है । पंप सेट की मानक लागत 6000 रु0 है । वर्ष 1989-90 में 400 निःशुल्क बोरिंग लक्ष्य की पूर्ति हेतु 989-50 लाख राज्यांश सहित 1979-0 लाख का प्राविधान किया गया है । वर्ष 89-90 में शत प्रतिशत बोरिंग पूर्ण 18-15 लाख रुपया व्यय किया गया है ।

वर्ष 1990-91 की योजना में 300 निःशुल्क बोरिंग के लक्ष्य की पूर्ति हेतु राज्यांश के रुप में जिला योजना में 9-89 लाख रुपया का प्राविधान किया गया है । जिससे जनपद में 300 लघु एवं सीमान्त कृषक कृषि उत्पादन का लाभ प्राप्त कर गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकेंगे । लक्षित 300 पम्पसेट में से 50 प्रतिशत पम्पसेट स्थापन एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के चयनित पात्र परिवार होंगे ।

आठवी पंचवर्षीय योजना काल में वर्ष 1990-95 तक 1755 निःशुल्क बोरिंग पर पूर्ण सम्पसेट स्थापित करके सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा । वर्ष 1991-92 में 330 बोरिंग सुनिश्चित करने हेतु 1089 हजार रुपया राज्यांश के रूप में आवश्यक होगें ।

6.2.11 सामुदायिक विकास -चालू योजनायें

1- विकास खण्डों में आवासीय भवन निर्माण :-

जनपद में 9 विकास खण्डों के लिये 198 आवासीय भवनों की आवश्यकता है जिसमें से 82 आवासीय भवन 31.3.90 तक बनवाये जा चुके हैं । आठवीं पंचवर्षीय योजना में 62 आवासीय भवन बनवाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से वर्ष 1990-91 में 10 भवन बन चुके हैं तथा वर्ष 91-92 के 16 भवन बनवाने का लक्ष्य रखा गया है । इन आवासीय भवनों के निर्माण हेतु आठवीं योजना में 87.82 लाख रू0 तथा वर्ष 91-92 के लिये 20.40 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

2- सामुदायिक विकास जिला संग्रहीत कार्यालय भवन निर्माण :-

संग्रहीत जिला विकास कार्यालय के निर्माण हेतु कलेक्ट्रेट का पुराना भवन जिस पर जिला विकास कार्यालय था की भूमि उपलब्ध हो गयी है । पुराना जी0 जीर्ण-शीर्ण भवन जो कण्डम घोषित हो चुका है का मलवा हटाने एवं नये भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है इस हेतु शासन से प्राप्त 30 लाख रू0 की धनराशि अधिशाषी अभियंता {ग्रामीण अभियंत्रण सेवा} उरई को हस्तगत करा दी गई है । जिला संग्रहीत भवन का आगणन 122.00 लाख रू0 का है । इस योजना के लिये वर्ष 91-92 की वार्षिक योजना में 10 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

संग्रहीत जिला विकास कार्यालय भवन में स्थापित होने वाले अनुभागीय अधिकारियों के कार्यालयों की सूची :-

क्रम्स0	अधिकारी का पदनाम जिसका कार्यालय संग्रहित जिला विकास कार्यालय भवन में स्थापित किया जाना है ।
1-	जिला विकास अधिकारी
2-	जिला कृषि अधिकारी
3-	जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां ।
4-	जिला पशुधन अधिकारी
5-	जिला पंचायतराज अधिकारी
6-	सहायक अभियंता {अल्प सिंचाई}
7-	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
8-	कृषि रक्षा अधिकारी
9-	जिला उद्यान अधिकारी
10-	जिला युवा कल्याण एवं प्रा0वि0 दल अधिकारी
11-	आवास विकास अधिकारी, ग्रामीण आवास परिषद
12-	अपर जिला विकास अधिकारी {ह0क0}
13-	अधिशाषी अभियंता ग्रामीण अभियंता सेवा
14-	जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी

नई योजनायें

1- प्रशिक्षण संस्थान बोहदपुरा में ओवर हैड टैंक का निर्माण :-

शासनादेश संख्या 1187§1§/38-5-86 दिनांक 18.2.86 द्वारा प्रदेश के 18 जनपदों में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र वर्तमान जिला ग्राम्य विकास संस्थानों की स्थापना की गयी है जिसमें जनपद जालौन भी है । नव सृजित जिला ग्राम्य विकास संस्थान पर 6.88 लाख रू0 की लागत से एन0आर0ई0पी0 पी0 योजना द्वारा प्रशासनिक भवन, छात्रावास, गोष्ठी कक्ष आदि का निर्माण कार्य किया जा चुका है तथा 10.80 लाख रू0 की लागत से ट्राइसेम योजना/ योजना अन्तर्गत छात्रावास तथा क्लास रूम/वर्क शेड का निर्माण कार्य प्रगति पर है परन्तु प्रशिक्षार्थियों हेतु पेयजल एवं अन्य दैनिक उपयोग हेतु पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके अभाव में प्रशिक्षार्थियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ।

संस्थान पर कृषक/कृषक महिलाओं, एकीकृत ग्राम्य विकास के लाभार्थियों, ट्राइसेम योजना अन्तर्गत चयनित नवयुवकों, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों के लिये ग्राम्य विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम एवं अन्य ग्रामीण प्रौद्योगिक के प्रशिक्षण आयोजित किये जातेहैं । जनपद में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सम्पर्क जानकारी करानेतथा उन्नत कृषि तकनीक के प्रचार प्रसार के लिये यह एक मात्र संस्था है ।

संस्थान पर निर्मित छात्रावास में प्रशिक्षार्थियों के यिले जल आपूर्ति अति आवश्यक है जिससे प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का पूर्ण उपभोग सुनिश्चित हो सकेगा । अतः 5000 लीटर क्षमता के एक ओवर हेड टैंक के निर्माण की नितान्त आवश्यकता है जिस पर अनुमानतः एक लाख रू0 व्यय होने का अनुमान है जिसका आगणन जल निगम से तैयार कराया गया है । जिसका विवरण निम्न प्रकार है :=

क्रमांक	मद/कार्य विवरण	अनुमानित लागत
1-	नलकूप हेतु बोरिंग सफाई तथा पम्प की स्थापना	25,000=00
2-	पम्प हाउस का निर्माण	25,000=00
3-	5 किलो लीटर ओवर हैड टैंक की 7 मीटर ऊंचाई पर स्थापना	25,000=00
4-	मुख्य डिलीवरी पाइप §65 मिमी0जी0आई0पाइप§	10,000=00
5-	जल वितरण प्रणाली आदि	15000=00
	योग	1,00,000=00

अतः वर्ष 91-92 में जिला योजना के अन्तर्गत एक लाख रू0 का प्रस्ताव प्रस्तावित है ।

6•2•12 भूमि सुधार

सीलिंग भूआवंटियों को आर्थिक सहायता

इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षों के 5•62 लाख रू0 पी0एल0ए0 खाते में जमा है । वर्ष 1991-92 में इस योजना में कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं की जा रही है ।

6•2•13 विद्युत विभाग

वर्ष 1991-92 कीवार्षिक योजना में 2150 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिससे 9 ग्रामों का विद्युतीकरण व हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण तथा 11 निजी नलकूपों का ऊर्जन का लक्ष्य पूर्ण करने का प्रस्ताव है । आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामों का विद्युतीकरण, हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण तथा निजी नलकूपों का ऊर्जन क्रमशः 60, 60 एवं 71 इकाइयों का लक्ष्य पूर्ण करने का प्रस्ताव रखा गया है जिसके लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1867 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

6•2•14 ग्रामीण एवं लघु उद्योग :-

1- औद्योगिक फीडर लाइन/ओ0आर0 की सड़कों नालियों आदि की मरम्मत हेतु :-

ग्रामीण अंचलों में मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की जा रही है जो ग्रामीण उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु आवंटित किये जायेंगे जहां लघु लघुत्तर इकाइयों की स्थापना कराकर ग्रामीण बेरोजगारी को दूर किया जायेगा । इन औद्योगिक आस्थान के रखरखाव एवं फीडर व्यवस्था हेतु 110 हजार वर्ष 91-92 हेतु प्रस्तावित किया गया है ।

2- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण बेरोजगार युवकोंको जो बेरोजगार है और नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं उन्हें जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से इस कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षित कर उद्योग लगाने हेतु प्रेरित किया जायेगा जिसमें वर्ष 1990-91 में लगभग 560 युवकों को प्रशिक्षित कर उद्योग लगवाने कीकार्यवाही की जायेगी जिससे ग्रामीण अंचलों की बेरोजगारी दूर होगी इस कार्यक्रम के संचालन हेतु वर्ष 1991-92 हेतु रू0 55 हजार का प्रस्ताव रखा गया है ।

3- मेला एवं प्रदर्शनी :-

जनपद में औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन का नव युवकों को जनपद में लगे उद्योगों के उत्पाद प्रदर्शित कर उद्योग लगाने हेतु प्रेरित किया जायेगा । तथा विकास खण्ड स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन भी कराना प्रस्तावित है । इस योजना हेतु वर्ष 1991-92 हेतु 33 हजार रू0 प्रस्तावित किये गये है ।

4- जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण योजना :-

2 लाख तक के पूंजी विनियो वाली इकाइयों केमार्जिन मनी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 91-92 हेतु रू0 110 हजार प्रस्तावित है किया गया है इस योजना से उद्यमियों द्वारा लगाये जा रहे मार्जिन मनी में सहयोग प्रदान किया जाता है ।

5- एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना :-

इस योजना में 2 लाख से ऊपर के पूंजी विनियोजन वाली इकाइयों को योजना लागत का 10% मार्जिन मनी ऋण उद्योग स्थापनार्थ सहायता दी जाती है जिसके लिये वर्ष 1991-92 हेतु 990 हजार रू0 का प्रस्ताव रखा गया है ।

6- औद्योगिक सहकारिता :-

कुशल तथा अकुशल कारीगरों की आर्थिक स्थिति सुधारने का एक मात्र साधन सहकारिता है । औद्योगिक सहकारी समितियां पंजीकृत करके उनकी कच्चे माल, विपणन आदि की सभी समस्यायें सुगमता से हल की जा सकतीहैं । विकेन्द्रिकरण के सिद्धांत के अनुरूप सहकारी समितियों से संबंधित कार्य जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जा चुका है एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिये विशेष समितियों तथा शीर्षस्थ संस्था हेतु विपणन केन्द्र योजनाओं को राज्य सेक्टर में सम्मिलित किया गया है जिला सेक्टर में निम्नलिखित योजनाओं को सम्मिलित किया गया है ।

(अ) पूर्वाधकीय राज्य सहायता :-

उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 में वैतनिक सचिव की नियुक्ति होनी अनिवार्य है अधिकतर औद्योगिक सहकारी समितियों की प्रारम्भ में आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे सचिव के वेतन पर भार उठा सकें । अतः पूर्वाधकीय सहायता इस प्रयोजन हेतु प्रदान की जाती है।

अतः वर्ष 1991-92 में दो सहकारी समितियों को इस सुविधा से लाभांवित कराने हेतु रू0 12.00 हजार की धनराशि का परिव्यय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

(ब) अंश पूंजी ऋण :-

औद्योगिक सहकारी समितियां (अवस्त्रीय) के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने तथा ऋण लेने की क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से संबंधित सहकारी समिति के माध्यम से इन सदस्यों को ऋण दिया जायेगा जोकि अपने पूरे हिस्से का मूल्य देने में अक्षम हैं अतः वर्ष 1991-92 में दो सहकारी समितियों को रू0 11.00 हजार की धनराशि का परिव्यय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

7- हस्तकला सहकारी समितियों को सहायता :-

जयपद की हस्त शिल्प समितियों एवं कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करके एवं उनको उन्नत उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाने तथा उत्पादन स्तर में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाना है । इस योजना के अन्तर्गत समितियों को अंश पूंजी ऋण तथा प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराकर उत्पादन में वृद्धि की जाती है तथा दस्तकारों को रोजगार प्रदान किया जाता है । प्रस्तावित मद का विवरण निम्नवत है ।

(अ) अंश पूंजी :-

प्रत्येक समिति को अपना अंश पूंजी ऋणबद्ध करने के लिये शासन द्वारा प्रत्येक समिति को सदस्य 3/4 अंश पूंजी ऋण दिया जाता है इस प्रकार ऋण उपलब्ध हो जाने के पश्चात यह समिति जिला सहकारी बैंक का सदस्य बनकर अंश पूंजी का 10 गुना तक कार्यशील पूंजी बैंक से प्राप्त कर सकती है । अस्तु वर्ष 91-92 में दो सहकारी समितियों को रू0 22.00 हजार की धनराशि का परिव्यय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

(ब) प्रबंधकीय सहायता :-

हस्त शिल्प सहकारी समितियों के अधिकांश सदस्य एवं कारीगर अशिक्षित होते हैं । अतः समिति का लेखा जोखा रखने के लिये एक पर्यवेक्षक एक बिक्री सहायक की नियुक्ति हेतु प्रबंधकीय सहायता प्रदान की जाती है । अतः वर्ष 1991-92 में दो सहकारी समितियों को इस मद से लाभांवित कराने हेतु 12.00 हजार की धनराशि का परिव्यय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

6-2-15 सड़क एवं पुल

वर्तमान में जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग व्दारा सड़क एवं पुलों का निर्माण कराया जा रहा है । वर्ष 91-92 में खड़ंजा स्तर का कार्य 36 किलोमीटर, मध्य सतह स्तर का कार्य 35 किलोमीटर तथा 4 सेतुओं का निर्माण प्रस्तावित है जिनके लिये क्रमशः 8120 हजार, 16845 हजार तथा 1770 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

6-2-16 पर्यटन

1- अक्षरा देवी मन्दिर रक्त दंतिका देवी मन्दिर सैदनगर का विकास।

बुन्देलखण्ड में रक्त दंतिका देवी तथा अक्षरादेवी का मन्दिर धार्मिक तथा शक्ति साधना की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी इन मन्दिर की विशेष महत्ता है ।

झांसी लखनऊ रेलमार्ग पर एट स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा के किनारे पर सैदनगर ग्राम में अक्षरा देवी का मंन्दिर स्थित है और यहाँ लगभग 1-5 कि0मी0 की दूरी पर बेतवा नदी के ऊँचे मंदिर शक्ति और साधना के प्रतीक हैं यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती है, सिध्द होती है । अक्षरा देवी महालक्ष्मीपीठ है और यह पीठ शंकर के 108 प्राचीन पीठों में से है । यहाँ सिंहासन के उपर बने त्रिकोणात्मक यन्त्र की साधना की जाती है । यह तांत्रिक स्थान है । रक्त दंतिका देवी को काली पीठ कहा जाता है । इन्हें शौर्य की देवी की संज्ञा दी जाती है । मार्कण्डेय पुराण में भी देवी का वर्णन है । रक्त दंतिका देवी ने हिरण्याक्षयप के 13 बुन्देला ने सेंट लतीफ से युध्द करते समय इन्हीं देवी से आशीर्वाद लिया था ।

यहाँ पर्यटकों को स्थला पर जाने हेतु पहुंच मार्ग, विद्युतीकरण, बैंचों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था तथा पर्यटकों को बैठने हेतु शेड्स एवं रैन बसेरा का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है जिसमें से पेयजल की व्यवस्था एवं कुछ धनराशि विकास कार्य हेतु प्राप्त हो चुका है ।

वर्ष 1991-92 में पेयजल व्यवस्था हेतु 150 हजार रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

6-2-17 अर्थ एवं संख्या प्रभाग

1- कार्यालय में साज सज्जा एवं उपकरण आदि की आपूर्ति :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यालय साजसज्जा हेतु 4 रैक, 2 स्टील अलमारी, 1 कूलर तथा फोटोकापीयर एवं अन्य प्रिन्ट मशीनों के रखरखाव हेतु वर्ष 91-92 में 27 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

2- सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी को स्थलीय सत्यापन हेतु एक मोटर साईकिल की व्यवस्था :-

जनपद स्तर पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालयों में एक सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी (स्थलीय सत्यापन) का पद सृजित है जिसका मुख्य कार्य विकास कार्यों के आंकड़ों का स्थलीय सत्यापन कर पर्जो रिपोर्टिंग की पद्धति को रोकना है । परन्तु वाहन के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों के दूरदराज स्थलों में जाने में समय व धन अधिक लगता है तथा स्थलीय सत्यापन की उपलब्धि कम हो पाती है । अतः कार्यक्रमों को सुचारु रुप से संचालन हेतु एक मोटर साईकिल की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है जिसके लिये वर्ष 91-92 में 30 हजार का परिव्यय प्रस्तावित है ।

3- कार्यालय भवन निर्माण :-

अर्थ एवं संख्याधिकारी के कार्यालय भवन का निर्माण संग्रहीत विकास कार्यालय में किया जायेगा, जिसके लिये आवश्यक धनराशि विकास विभाग को उपलब्ध करा दी गई है ।

6-2-18 प्रारम्भिक शिक्षा

1- ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में भवन रहित स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान :-

वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना में उक्त मद के अन्तर्गत ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के 2 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 4 सीनियर बेसिक स्कूलों के भवनों के निर्माण करने हेतु 11-30 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है । यह भवन अत्यन्त जीर्णशीर्ण है, इन भवनों के नीचे बैठने से छात्र/छात्राओं का जीवन अन्धकार में है, अतः इन भवनों का निर्माण होना अनिवार्य है ।

2- ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने पर अनुदान :-

ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोले जाने का प्रावधान वर्ष 91-92 की वार्षिक योजना में किया गया है, जिसके लिये 15-92 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

3- जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार एवं साज सज्जा हेतु अनुदान

शिक्षण में गुणात्मक एवं प्रयोग विधि द्वारा शिक्षा की उन्नति के लिये विज्ञान किट प्राईमरी स्कूलों में उपलब्ध कराना आवश्यक है । जनपद में 132 प्राईमरी स्कूल हैं, जिनमें से 89-90 तक 712 स्कूलों में विज्ञान किट उपलब्ध है । आठवीं योजना में 220 विद्यालयों के लिये तथा 91-92 में 40 विद्यालयों के लिये क्रमशः 240 हजार व 48 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

4- ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा विस्तार हेतु बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरणार्थ अनुदान :-

जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाली बालिकाओं में पढ़ने के प्रति जागृति पैदा करने तथा विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिये प्रोत्साहन की योजना विभाग द्वारा बनायी गयी है । उक्त योजना के अन्तर्गत 15/-रु० प्रति छात्रा को पुस्तकें कक्षा 1 से 5 तक विभागीय निर्देशों के परिपेक्ष्य में प्रधानाध्यापकों को वितरण हेतु दी जानी हैं । इस योजना में आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में 3 लाख रुपया तथा 91-92 की वार्षिक योजना में 60 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

5- सीनियर बेसिक स्कूलों को विज्ञान उपकरण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान :-

सीनियर बेसिक स्कूलों में छात्र/छात्राओं को प्रयोगात्मक विधि द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में 46 स्कूलों तथा 91-92 की वार्षिक योजना में 6 स्कूलों को विज्ञान किट उपकरण प्रदान करने का प्रस्ताव है, इसके लिये क्रमशः ::230 हजार तथा 30 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

6- प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6-8 में 15/-रुपया प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिये योग्यता छात्रवृत्ति :-

200 छात्र/छात्राओं को परीक्षा के आधार पर जूनियर हाई स्कूल छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है । इस योजना से छात्र/छात्राओं में पढ़ाई के प्रति स्पर्धा पैदा होती है, इस हेतु आठवीं योजना में 259 हजार तथा 91-92 में 48 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण :-

जनपद में 4 शिक्षा अधीनस्थ । उप विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय है । प्रत्येक कार्यालय को इस कार्यालय के साथ साथ 2 अलमारी, एक टाईपराईटर, एक डुप्लीकेटर आदि उपलब्ध कराना है, अतः प्रति वर्ष 50 हजार तथा 250 हजार का परिव्यय प्रस्तावित है ।

8- जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का भवन निर्माण :-

भवन निर्माण हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में 3700 हजार तथा 91-92 की वार्षिक योजना में 1500 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है । भवन हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है ।

9- बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार :-

जनपद के ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को शत प्रतिशत परीक्षाफल तथा उनके द्वारा शिक्षण कार्य में अभिरुचित रखने वाले अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार 1000-00 रुपया प्रति अध्यापक की दर से आठवीं पंचवर्षीय योजना में 204 हजार तथा 91-92 की वार्षिक योजना में 36 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

10- सीनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षण सामग्री, फर्नीचर तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान :-

जनपद में 113 सीनियर बेसिक स्कूल हैं । सातवीं योजना में 56 स्कूलों को सामग्री उपलब्ध करायी गयी । आठवीं योजना में 57 स्कूलों को सामग्री उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जिसमें 91-92 में 8 स्कूलों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, [illegible]

11- जूनियर बेसिक स्कूलों को साजसज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान :-

जनपद के 9 विकास खण्डों के 878 प्राईमरी स्कूलों में आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना लागू है जिसके अन्तर्गत साज सज्जा एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी गयी है, इनकी मरम्मत हेतु 200-00 रु0 प्रति स्कूल प्रति वर्ष की दर से आठवीं योजना में 798 हजार तथा 91-92 की वार्षिक योजना में 175 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

12- अरबी मदरसों को अनुरक्षण एवं विकास अनुदान :-

जनपद में चार अरबी मदरसा हैं । कालपी में 2, कदौरा में 1 तथा कौंच में 1 है । उक्त योजना में प्रति वर्ष 40 हजार रुपये के हिसाब से आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

6.2.19 माध्यमिक शिक्षा :-

1- कक्षा 6-8 में बालकों को 30/- तथा बालिकाओं को 40/- रू0 प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति :-

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 91-92 के लिये 9 हजार रू0 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में 86 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

2- राजकीय इण्टर कालेज में अतिरिक्त अनुभाग तथा नये विषयों का समावेश :-

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 91-92 में 150 हजार तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में 550 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

3- विभिन्न स्तरों पर खेलकूद, रैली, युवा शिविरों का आयोजन :-

इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर प्रत्येक वर्ष छात्र/छात्राओं की रैली, खेलकूद आयोजित किये जाते हैं । इस रैली/खेलकूद आयोजन पर वर्ष 91-92 में 20 हजार तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में 114 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

4- राजकीय जिला पुस्तकालय का विकास :-

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 91-92 के वास्ते 120 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

5- उ0मा0 विद्यालयों में छात्रवृत्ति, कक्षा वृद्धि एवं काष्ठोपकरण आदि हेतु अनुदान तथा विद्यालय में पढ़ रही बालिकाओं को विशेष सुविधा :-

अशासकीय उ0मा0 विद्यालयों की छात्रा संख्या में निरन्तर होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप कमरों की कमी को पूरा करने के लिये प्रबंध समितियों अनुदान देने की व्यवस्था है इस अनुदान की धनराशि से प्रबंध समितियां अतिरिक्त कक्षा का निर्माण कराती हैं तथा आवश्यकतानुसार साज सज्जा एवं काष्ठोपकरण की भी व्यवस्था करती है । इसके साथ ही छात्राओं के लिये अलग से सेनेटरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये व्यय करती है । इस योजना के वास्ते 91-92 में 100 हजार तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में 566 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

6- राजकीय उ0मा0 विद्यालयों के भवन निर्माण :-

इस योजना के अन्तर्गत 2 विद्यालयों के भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है जिसके लिये आठवीं पंचवर्षीय

7- असहायिक उ0मा0 विद्यालय को अनुरक्षण अनुदान :-

उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 91-92 के लिये एक तथा आठवीं पंचवर्षीय काल में 5 के लिये प्रस्ताव रखा गया है जिसके लिये वर्ष 91-92 में 20 लाख तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में 226 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

8- विकास खण्ड स्तर पर राजकीय कन्या स्कूल खोला जाना :-

जनपद के ऐसे विकास खण्ड जहां पर छात्राओं को शिक्षा की सुविधा अब भी उपलब्ध नहीं है वहां पर आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में 8 तथा वर्ष 91-92 में एक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है जिसके लिये क्रमशः 102 लाख तथा 5 लाख रू0 के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

9- कक्षा 9 से 12 तक के बालकों को शुल्क मुक्ति :-

इस योजनान्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में 190 लाख तथा वर्ष 1991-92 के वास्ते 40 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

6·2·20 प्राविधिक शिक्षा :-

1- नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना :-

इस योजना के अन्तर्गत एक अतिरिक्त क्लास रूम, व्याख्याता कक्ष दो तथा फर्नीचर क्रय, उपकरण क्रय, पुस्तकालय, अतिरिक्त स्टाफ कच्चा माल तथा रखरखाव इत्यादि का खर्च पांचों वर्षों में बांटा गया है ।

2- छात्रावास एवं आवास :-

संस्था में कोई छात्रावास एवं आवास उपलब्ध न होने के कारण 60 छात्रों हेतु एक छात्रावास तथा टाइप-4, टाइप-3, टाइप-2 तथा टाइप-1 के 3 आवास बनवाये जा रहे हैं आवश्यक फर्नीचर, उपकरणों का क्रय, अतिरिक्त स्टाफ, कच्चा माल एवं रखरखाव खर्च 5 वर्षों में विभाजित किया गया है ।

3- पालीटेक्निक का आधुनिकीकरण :-

इस योजना के अन्तर्गत प्रयोगशालाओं में उपकरणों की कमियों को आधुनिक उपकरण लगाकर पूरा किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त संस्था में कम्प्यूटर सेण्टर लर्निंग रिसोर्स सेण्टर, पुस्तकालय हेतु एअरकूलर, आवश्यक उपकरण, आवश्यक पुस्तकें, संस्था के लिये एवं जीप का प्राविधान किया गया है । इसी योजना के अन्तर्गत एक अतिरिक्त कक्ष, ट्रिटोरियल कक्ष, परीक्षा नियंत्रण कक्ष, स्टेनोग्राफी लैब का प्राविधान तथा योजना के लिये अतिरिक्त स्टाफ का प्राविधान किया गया है ।

4- भवन तथा उपकरणों का रखरखाव :-

संस्था में भवन तथा उपकरणों का रखरखाव प्रबंध न होने से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था । इसी प्रकार उपकरणों की देखभाल उपयुक्त स्टाफ न होने से नहीं हो पा रही पाती थी । इस योजना के अन्तर्गत एक इलेक्ट्रीशियन, एक मेशन, एक फिटर, एक आपरेटर तथा एक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का प्रावधान किया गया है ।

5- जिला योजना द्वारा 1990-91 में आवंटित 4.12 हजार में 1.00 हजार भवन निर्माण में स्वीकृत आगणन की शेष धनराशि है एवं 3.12 हजार रू0 उस 3.70 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिये है जो पहले तो जिलाधिकारी ने ग्राम सभा में लेकर दी थी लेकिन भूमि मालिक के न्यायालय में दावा करने पर अधिग्रहण करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं । जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा भूमि मूल्य तय करने पर उक्त धनराशि का प्रावधान कराया गया है ।

वर्ष 1991-92 में उपरोक्त प्रकार की 2.43 एकड़ दूसरी भूमि हेतु 2.50 हजार की आवश्यकता बताई गई है इस भूमि को भी अधिग्रहण करना होगा ।

6.2.21 प्रादेशिक विकास दल

1- प्रादेशिक विकास दल के रक्षकों को वर्दी एवं प्रशिक्षण दिया जाना :-

प्रान्तीय रक्षक दल (प्रादेशिक विकास दल) के रक्षकों की ग्राम सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, एवं मेला आदि में शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस बल के साथ ड्यूटी लगायी जाती है । इन्हें वर्दी व मानदेय देकर प्रारम्भिक प्रशिक्षण, पुनर्प्रशिक्षण, रिफ्रेशर प्रशिक्षण देने का प्रावधान है । आठवीं पंचवर्षीय योजना में 724 हजार तथा 91-92 की वार्षिक योजना में

2- ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन :-

ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले युवाओं में छिपी प्रतिभा को विकसित करने तथा प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु खेलकूद की टीमें भेजी जाती है । 12 वर्षीय, 16वर्षीय बालक/बालिकाओं की खुली प्रतियोगिताओं को ब्लाक स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर पर आयोजित करने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में 307 हजार तथा 91-92 की वार्षिक योजना में 47 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

3- युवक मंगल दलों तथा महिला मंगल दलों के सुदृणीकरण हेतु आर्थिक सहायता :-

इस योजना का नाम परिवर्तित होने के फलस्वरूप ग्राम सभा स्तर पर स्थापित युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल अपना योगदान राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे- वृक्षारोपण, परिवार कल्याण, अल्प बचत, दहेज उन्मूलन, श्रमदान, सफाई, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक शिक्षा आदि में विशेष रूप से देते हैं । इन स्वैच्छिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिये शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 1000/- प्रति दल के हिसाब से 10 युवक मंगल दल तथा 5 महिला मंगल दलों प्रति विकास खण्ड की दर से नगद रूप से धनराशि प्रदान की जायेगी जिससे वह अपनी आवश्यकतानुसार खेलकूद के उपकरण साज सज्जा सामग्री क्रय कर सकें । इसी के अन्तर्गत अवैतनिक महिला संगठकों को मानदेय देने का प्रस्ताव है । आठवीं योजना में 1198 हजार तथा 91-92 के वास्ते 152 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

4- युवा संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम :-

जनपद के विकास खण्ड स्तर पर व जिला स्तर पर युवा वर्ग को युवा कार्यक्रमों की जानकारी देने के साथ-2 विचार विमर्श करने का अवसर भी इन गोष्ठियों के माध्यम से मिलता है जिससे उनमें नेतृत्व

की भावना पैदा होती है उस पर होने वाला भोजन, यात्रा भत्ता, प्रकीर्ण व्यय, निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

क- विकास खण्ड स्तर	9×1000	=	9,000=00
ख- जनपद स्तर	4000	=	4,000=00
	योग	=	13,000=00

आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95) में लु0 95 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

5- व्यायामशालाओं का निर्माण एवं संचालन :-

जनपद के ग्रामीण युवाओं के शारीरिक सम्वर्द्धन हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड में एक व्यायामशाला का निर्माण गत वर्षों में कराया जा चुका है तथा उरई में निर्माणाधीन विभागीय व्यायामशाला की बाउण्ड्री वाल की नितान्त आवश्यकता है जिसे पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है । निर्मित व्यायामशालाओं में अवैतनिक व्यायाम प्रशिक्षक रखने तथा उरई की व्यायामशाला के लिये उपकरण क्रय करने के लिये निम्नानुसार व्यय प्रस्तावित है ।

क- व्यायामशाला की बाउण्ड्री लेवलिंग बिजली व नल फिटिंग		=	91,000=00
ख- व्यायामशाला उपकरण		=	3,000 =00
ग- 6 अवैतनिक व्यायाम प्रशिक्षक 500/-प्रतिमाह मानदेय की दर से 500×6×12		=	36,000=00
	योग		130,000=00

आठवीं पंचवर्षीय योजना में 816 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

6- जिला कार्यालय का सुदृणीकरण :-

इस मद के अन्तर्गत कार्यालय हेतु स्टेशनरी, डाक टिकट, पेट्रोल अन्य प्रकीर्ण व्यय जिसमें बिजली व पानी की व्यवस्था को सम्मिलित करते हुए वर्ष 91-92 में 6 हजार का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में 42 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

6-2-22- खेल कूद

- खेलकूद उपकरण/सामग्री की सम्पूर्ति :-

इस योजना के अंतर्गत इच्छुक खिलाड़ियों को निरन्तर अभ्यास के लिये खेलकूद उपकरणों की आपूर्ति हेतु आठवी पंच वर्षीय योजना में 225 हजार तथा वर्ष 91-92 के वास्ते 35 हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

2- विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 9 खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु वर्ष 90-91 में 45 हजार तथा आठवी पंच वर्षीय योजना में 275 हजार रुपये का परिव्यय प्रास्तावित है ।

6-2-23- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

1- उपकेन्द्रों के भवन निर्माण

वर्ष 91-92 में 12 उपकेन्द्रों का भवन निर्माण प्रस्तावित है जिसमें प्रति उपकेन्द्र 1.90 हजार रुपया व्यय की दर से अनुमानित व्यय कुल रू0 2280 हजार रुपया प्रस्तावित किया जा रहा है ।

2- प्रा0स्वा0केन्द्रों का भवन निर्माण

वर्ष 91-92 में 2 नये प्रा0स्वा0केन्द्रों के भवनों के निर्माण का लक्ष्य है जिसके लिये प्रति प्रा0स्वा0के0 रू0 875 हजार की दर से 1750 हजार रुपये की आवश्यकता होगी ।

3- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण

वर्ष 91-92 में सामुदायिक स्वा0 केन्द्र जालौन के निर्माण हेतु 3600 हजार रुपये का प्रस्ताव किया जारहा है, क्योंकि सा0स्वा0केन्द्र के भवन निर्माण पर स्टेन्डर्ड के अनुसार 3600 सौ हजार रुपये व्यय आता है ।

4- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

वर्ष 91-92 में एक सा0 स्वा0केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया जा रहा है जिसके लिये 500 हजार रुपये राजस्व व्यय प्रस्तावित है ।

5- डीजल जनरेटर का क्रय

जिला चिकित्सालय उरई में आकास्मिक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने एवं बिजली फेल हो जाने की स्थिति में चिकित्सालय का कार्य चलाने हेतु 25 के0वी0 पावर के एक डीजल जनरेटर अनुमानित लागत 212 हजार की दर से वर्ष 91-92 में प्रस्तावित है ।

6- राजकीय होम्योपेथिक चिकित्सालय भवन निर्माण

वर्ष 91-92 में 3 राजकीय हो0चिकित्सालयों के भवन निर्माण का प्रस्ताव है, जिस पर 405 हजार रुपये व्यय प्रस्तावित है ।

उपचारिका आवासों की सुदृढीकरण

उपचारिका आवास भवन जो निर्मित हो चुका है, में साज सज्जा उपलब्ध राने हेतु 50 हजार रूपया राजस्व व्यय प्रस्तावित किया जा रहा है । फर्नीचर जैसे ज कुर्सी अलमारी पलंग इत्यादि की आपूर्ति आवश्यकता ।

- सी0एम0ओ0 कार्यालय भवन का निर्माण

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय एवं अधीनस्थ अधिकारियों कार्यालय किराये के भवनों स्थापित है । सुदृढ व्यवस्था एवं राजकीय कार्य सुचारू प से चलाने के लिये संयुक्त कार्यालय भवन होना अति आवश्यक है गत वर्ष की योजना ं प्रस्ताव भेजा गया था परन्तु वह धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है अत: संयुक्त ार्यालय भवन निर्माण हेतु 1000 हजार रूपये प्रस्तावित किया जा रहा है ।

0- ई0एन0टी0यूनिट की स्थापना

सा0स्वास्थ्य केन्द्रों कोंच, जालौन कालपी में ई0एन0टी0 यूनिट की स्थापना प्रस्तावित है जिसके लिये 65 हजार रूपया राजस्व व्यय वर्ष 91-92 में स्तावित हैं ।

1- प्रा0स्वा0केन्द्रों/सामु0स्वा0केन्द्रों/चिकित्सालयों के अतिरिक्त औषधियों की व्यवस्था

ग्रामीण चिकित्सालयों/औषधालयों में रोगियों की बढती हुई संख्या एवं औषधियों के दाम बढने की दृष्टि से अतिरिक्त औषधियों की व्यवस्था रने के लिये वर्ष 91-92 में 350 हजार रूपया राजस्व व्यय प्रस्तावित है ।

2- जिला चिकित्सालय उरई के लिये अतिरिक्त दवाओं की व्यवस्था

जनपद मुख्यालय पर स्थित जिला चिकित्सालय में स्थापित विभिन्न विशेषज्ञ सेवाओं स्थापित हो जाने के कारण मरीजों की बढती हुई संख्या के नुपात में प्राप्त धनराशि नगण्य है अत: चिकित्सालय कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु वर्ष 91-92 के लिये 200 हजार रूपया राजस्व व्यय प्रस्तावित है ।

3- होम्यो0चिकित्सालयों में अतिरिक्त दवाओं की व्यवस्था

जनपद के ग्रामीण अंचलों में स्थापित 14 रा0हो0चिकित्सालयों के लिये प्राप्त राशि बहुत ही कम है, चिकित्सालयों की दैनिक मॉग की पूर्ति हेतु र्ष 91-92 के लिये 55 हजार रूपये राजस्व व्यय प्रस्तावित है ।

4- सामु0 युनानी औषधालयों की स्थापना

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नए चिकित्सालय खोलने ा है वर्ष 1991-92 में चार नए चिकित्सालय खोलने का लक्ष्य रक्खा गया है जिसके लिए 250 हजार रूपयों का परिव्यय प्रस्तावित है ।

15- 25/15 शैय्यायुक्त आयु0/यूनानी औषधालय की स्थापना

इस योजना के अतंर्गत शहरी क्षेत्र में 25/15 शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है जिसके 200 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

16- वर्तमान आयु0/यूनानी औषधालयों का प्रोनयन

इस योजना के अतंर्गत पुराने चिकित्सालय का प्रोन्नयन का प्राविधान है वर्ष 1991-92 में 55 में दो पुराने चिकित्सालयों का उच्चीकरण का लक्ष्य है जिसे वर्ष 1991-92 में 55 हजार रू0 धनराशि की आवश्यकता होगी । इसमें शैय्याएँ फर्नीचर दवाएँ के लिए व्यय होगा ।

17- जिला आयु0/यूनानी अधिकारी कार्यालय साज सज्जा एवं प्रसार

इस योजना के अतंर्गत जनपद में आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी के कार्यालय के प्रसार के लिए वर्ष 1991-92 में 105 हजार रू0 का प्राविधान रक्खा गया है ।

18- आयु0/यूनानी औषधालयों का भवन निर्माण

इस योजना के अतंर्गत आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों के भवन निर्माण का प्राविधान है । इस विभाग को अभी तक भवन निर्माण के लिए धनराशि आवंटित नहीं हुयी है । चिकित्सालय भवन किराये के भवनों में चल रहे हैं जिससे विभाग का अधिक धनराशि किराए के रूप में चली जाती है तथा मकान मालिक भी यदाकदा परेशान करते रहते है । अतः वर्ष 1991-92 में एक चिकित्सालय के भवन निर्माण का लक्ष्य रक्खा गया है जिसके लिए भूमि उपलब्ध है साथ ही स्टीमेट आगणन आदि भी तैयार है इस हेतु 55 हजार रूपये का प्राविधान रक्खा गया है ।

6.2.24 जल निगम :

1- रामपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (तुरन्त राहत) :-

मूल योजना द्वारा पहले से ही योजना में समाविष्ट ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है परन्तु स्रोत वृद्धि हेतु 1 नलकूप तथा 2 कि0मी0 पाइप लाइन बिछाने हेतु 500 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है । इस नलकूप से 0.8 एम0एल0डी0 पानी की बढ़ोत्तरी होगी, तथा 7200 रोजगार दिवस सृजित किये जा सकेंगे ।

2- बाबई ग्राम समूह पेयजल योजना :-

इस योजना में दो ग्राम सम्मिलित है जिससे लगभग 4000 ग्रामवासियों को पाइप लाइन द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी विभिन्न मापों की 3 कि0मी0 पाइप लाइन तथा एक नलकूप के शेष कार्यों हेतु वर्ष 91-92 में 899 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है इस योजना से वर्ष 91-92 में 6400 रोजगार दिवस सृजित किये जा सकेंगे ।

3- उसरगांव ग्राम समूह पेयजल योजना :-

इस योजना में तीन ग्राम सम्मिलित हैं जिसमें लगभग 5000 ग्रामवासियों को पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा विभिन्न मापों की 3 कि0मी0 पाइप लाइन तथा एक नलकूप के शेष कार्यों हेतु वर्ष 1991-92 में 765 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है । इस योजना से वर्ष 1991-92 में 4800 रोजगार दिवस सृजित किये जा सकेंगे ।

4- अकबरपुर इटौरा ग्राम समूह पेयजल योजना :-

इस योजना में दो ग्राम सम्मिलित है जिससे लगभग 3000 ग्रामवासियों को पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा एक नलकूप तथा तत्संबंधित कार्यों के निर्माण हेतु वर्ष 1991-92 में 1000 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है । इस योजना से वर्ष 1991-92 में 6400 रोजगार सृजित किये जा सकेंगे ।

5- पहाड़गांव ग्राम समूह पेयजल योजना :-

इस योजना में एक ग्राम सम्मिलित है तथा इससे लगभग 3500 ग्रामवासियों को पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है विभिन्न मापों की 3 कि0मी0 पाइप लाइन तथा एक नलकूप के अवशेष कार्यों हेतु 500.00 हजार रू0 का वर्ष 1991-92 में परिव्यय प्रस्तावित है । इस योजना से लगभग 6400 रोजगार दिवस सृजित किये जा सकेंगे ।

6- मड़ौरा ग्राम समूह पेयजल योजना :-

इस योजना में 4 सम्मिलित हैं जिसमें लगभग 6000 ग्रामवासियों को पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा । एक नग नलकूप तथा उससे संबंधित कार्यों को करने हेतु 1000 हजार रू0 परिव्यय वर्ष 1991-92 में प्रस्तावित है इस योजना से लगभग 6300 रोजगार दिवस सृजित किये जा सकेंगे ।

7- आटा पेयजल योजना (तुरन्त राहत) :-

मूल योजना द्वारा पहले से ही ग्रामवासियों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है । इस योजना के पूरे हो जाने से लगभग 1.0 एम0 एल0डी0 पानी की बढ़ोत्तरी की जा सकेगी । एक नये नलकूप तथा तत्संबंधित कार्यों को करने हेतु वर्ष 1991-92 में 300 हजार रू0 परिव्यय प्रस्तावित है । इस योजना से लगभग 5600 रोजगार दिवस सृजित किये जा सकेंगे ।

8- खुटैला ग्राम समूह पेयजल योजना :-

यह योजना वर्ष 1992-93 में प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तावित है इस योजना से लगभग 8000 ग्रामवासियों को पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

9- करौर ग्राम समूह पेयजल योजना :-

यह योजना वर्ष 91992-93 में प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तावित है जिससे लगभग 8000 ग्रामवासियों को पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा ।

10- रावड़िया ग्राम समूह पेयजल योजना :-

यह योजना वर्ष 1992-92 में प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तावित है जिससे लगभग 6000 ग्रामवासियों को पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

11- नूरपुर ग्राम समूह पेयजल योजना :-

यह योजना वर्ष 1992-93 में प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तावित है जिससे लगभग 10,000 ग्रामवासियों को पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

12- सरसेला ग्राम समूह पेयजल योजना :-

यह योजना वर्ष 1992-93 में प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तावित है जिससे लगभग 6000 ग्रामवासियों को पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

(13-हरौली ग्राम समूह पेयजल योजना(स्रोत वृद्धि) :-

इस योजना द्वारा पहले से ही ग्राम वासियों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है किन्तु वर्तमान नलकूपों से पानी की मात्रा कम प्राप्त होने के कारण एक नया नलकूप का बनाया जाना प्रस्तावित है । जिससे लगभग 0.8 एम०एल०डी०पानी की बढोत्तरी होगी यह योजना वर्ष 1993-94 में प्रारम्भ की जायेगी ।

14-र्खकसीस ग्राम समूह पेयजल योजना :-

इस योजना द्वारा पहले से ही ग्राम वासियों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है किन्तु वर्तमान नलकूपों से पानी की मात्रा कम प्राप्त होने के कारण एक नया नलकूप बनाना प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त विभिन्न माँप की 5 कि०मी० पाइप लाइन का बिछाया जाना प्रस्तावित है । यह योजना वर्ष 1990-92 में प्रारम्भ की जायेगी ।

15-महेवा ग्राम समूह पेयजल योजना :-

यह योजना वर्ष 1993-94 मे प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तावित है । इस योजना से लगभग 6 हजार ग्राम वासियों को पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

16-हैण्डपम्प योजना(रीवोरिंग) :-

जनपद- जालौन में लगभग 4 हजार हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके है जिसमें से लगभग 200 हैण्डपम्प स्थाई रूप से ख़राब है । तथा 138 हैण्डपम्पों का पानी खारा है अतः 150 स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को पुनः अधिष्ठापित करने हेतु 1858 हजार रुपया का परिव्यय वर्ष 1991-92 में प्रस्तावित है । इस योजना से वर्ष 1991-92 में लगभग 20 हजार रोजगार दिवस सृजित किये जायेगें ।

6.2.25 हरिजन पेयजल कूप

हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत कूप निर्माण :-

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में अनु०जाति/जनजाति के व्यक्तियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना चलाई जा रही है। यह पता लगाने हेतु कि आठवीं पंच-वर्षीय योजना में इस आसय हेतु कितने पेयजल कूपों के निर्माण की आवश्यकता होगी एक सर्वेक्षण कराया गया । इस नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार 225 गाँव ऐसे पाये गये जहाँ कम से कम एक पेयजल कूप का निर्माण कराया जाना आवश्यक है । अतः 1990-95 की पंचवर्षीय योजना में 225 हरिजन-पेयजल कूपों का निर्माण कराया जाना है इससे लगभग 3500 हरिजन परिवार लाभान्वित होंगे वर्ष 91-92 में 48 हरिजन पेयजल कूपों का निर्माण कराने का प्रस्ताव है ।

जनपद मे कुल 9 विकास खण्ड है तथा जनपद की सीमा तीनो ओर से यमुना, वेतवा एवं पहुज से घिरी हुई है । इन्ही के किनारे अधिकांश ग्राम ऊँचाई पर बसे हुऐहै । इन ग्रामों में कूपों की औसत गहराई 100 से 120 फीट है इतनी गहराई तक के कूप निर्माण में स्वाभिविक है कि अधिक धनराशि व्यय होगी । जनपद के अधिकांश भू-भाग में काली मिट्टी होने के कारण ईंट उपलब्ध नहीं हो पाती जो अधिकांश कानपुर जनपद के भोगनीपुर स्थान सेलाई जाती है । इसकी ढुलाई में भी अधिक व्यय होता है । सड़कों की भी कमी है । नदी के किनारे वाले ग्रामों में औसत । कूप की लागत 60 हजार रूपया आती है । जनपद के 9 विकास खण्डों में से 6 विकास खण्ड के ग्राम इन्हीं नदियों के किनारे बसे है । शेष 3 विकास खण्ड के गाँव पैटानी क्षेत्र में हैं जिसके कारण जल स्तर 50 से 60 फीट तक मिल जाता है किन्तु सामग्री में भी अधिक व्यय होता है ।फलस्वरूप एक कूप निर्माण पर 30 से 35 हजार रू० व्यय होता है । इस प्रकार एक नलकूप के निर्माण पर औसत व्यय 40 हजार रू० से 45 हजार रू० आता है ।

अतः 225 कूपों के निर्माण के लिये 97.लाख रू० आठवीं योजना में प्रस्तावित है । वर्ष 91-92 के लिये 1920 हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

जहाँ तक हैण्ड पम्प स्थापित करने का लक्ष्य है इस संबंध में कहना है कि जनपद के लिये इनका लक्ष्य न रखा जाय क्योंकि जितने भी इण्डिया मार्क 2 हैण्ड पम्प जनपद में लगे हैं उनमे आधे से अधिक खराब पड़े हैं क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण एवं जल का स्तर बहुत नीचे मिलता है । फलस्वरूप एक बार खराब होने पर ठीक होना मुश्किल हो जाता है । हरिजन बस्ती में इनकी

6-2-26 निर्बल वर्ग आवास योजना

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल ग्रामीण जनसंख्या 7,84,195 में से 28 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के है जो आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुये है और इनके पास की मूल-भूत आवश्यकता आवास उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त समाज के अन्य जाति वर्ग के भी ऐसे लोगों की पर्याप्त संख्या है जो आर्थिक रूप से पिछड़े है और गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे है तथा रहने के लिए आवासों की कमी है।

ग्रामीण क्षेत्रों के निर्बल वर्ग के लोगों की विषम आवासीय समस्या का अनुभव करते हुए शासन द्वारा विगत कई वर्षों से आवासीय योजना चलाई जा रही है। जिसकी उपलब्धियों का विवरण जी0एन0-3 में दिया गया है। वर्तमान में शासन द्वारा अक्टूबर, 1988 से लागू की गई ग्राम्य विकास विभाग की निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 1989-90 में अनुसूचित जाति के 1782 तथा गैर अनुसूचित जाति के निर्बल वर्ग परिवारों के लिए 495 आवासों के निर्माण का प्रस्ताव है जिसका निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा। वर्तमान में इन आवासों की इकाई लागत निम्नवत है:-

1- मैदानी क्षेत्र रू0- 7,000=00 प्रति आवास
2- काली मिट्टी क्षेत्र रू0 8,800=00 प्रति आवास

अनुसूचित जाति के आवासों के निर्माण हेतु उपरोक्त लागत के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तीय व्यवस्था निम्नप्रकार से की जा रही है।

क्र0सं0	मद	मैदानी क्षेत्र	काली मिट्टीक्षेत्र	
1-	राज्यांश अनुदान	1000=00	1000=00	राज्यसरकार से
2-	रोजगार योजना का अनुदान	3000=00	4800=00	केन्द्रसरकार से
3-	ऋण (उ0प्र0ग्रामीण आवास परिषद द्वारा हडको के माध्यम से)	3000=00	3000=00	
		7000=00	8800=00	

गैर अनुसूचित जाति के आवासों के निर्माण हेतु उपरोक्त लागत के अनुसार वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा निम्नवत की जा रही है।

1-	अनुदान	3000=00	3900=00
2-	ऋण	3500=00	4400=00
3-	लाभार्थी का अंशदान	500=00	500=00
	योग	7000=00	8800=00

यद्यपि कि उपरोक्त योजना शासन द्वारा वर्ष 79-80 से चलाई जा रही है फिर भी अभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे निर्बल वर्ग के लोगों की पर्याप्त संख्या है, जिनके पास रहने के लिए मकान की समस्या जटिल है। आलोच्य वर्ष 1989-90 में सामान्यतः एक गाँव सभा में 2 अनुसूचित जाति के तथा 1 गैर अनुसूचित जाति के निर्बल वर्ग परिवार के मकान बनवाने का प्राविधान किया गया है जो वहां की आवश्यकता को देखते हुए अति न्यून है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में

लक्षित वर्ग के वर्तमान आवासीय समस्या तथा आगामी वर्षों में इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या के परिपेक्ष्य में निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में भी प्रस्तावित की जा रही है जो औचित्यपूर्ण तथा स्वीकृति योग्य है । आठवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त कार्यक्रम के वास्ते 14873 हजार तथा वर्ष 91-92 के वास्ते 2500 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है, जिससे क्रमशः 4205 तथा 2500 आवास निर्माण कराने का प्रस्ताव है ।

6-2-27 पूल्ड हाउसिंग

1- यह योजना जनपद में वर्ष 1988-89 से चल रही है । इस वर्ष 1688 हजार 50 का परिव्यय प्रस्तावित एवं स्वीकृत था । वर्ष 89-90 में 2000 हजार रूपये तथा 90-91 में 700 हजार रूपये के परिव्यय प्रस्तावित किये गये थे ।

2- राजकीय कालोनी निर्माण हेतु वर्ष 91-92 में 2600 हजार रूपये तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में 161 लाख रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

6.2.28 हरिजन एवं समाज कल्याण

1- अनु0 जाति के छात्रों के कल्याण हेतु छात्रवृत्ति :-

(1) प्राइमरी (1-5) तक छात्रवृत्ति :-

इस योजना के अन्तर्गत 12/- रू0 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । जनपद में 924 संस्थायें प्रति संस्था अनु0 जाति के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति देय है जिस पर वर्ष 90-95 तक अनुमानतः 5585 हजार रू0 की धनराशि व्यय करने हेतु प्रस्तावित है तथा 91-92 में 920 हजार रू0 प्रस्तावित है ।

(2) जूनियर स्तर (6-8) छात्रवृत्ति :-

इस योजना के अन्तर्गत 20/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिससे जनपद की 275 संस्थायें लाभान्वित होंगी उनके समस्त अध्ययनरत अनुसू0 जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देय है जिस पर वर्ष 90-95 तक अनुमानतः 1670 हजार रू0 धनराशि व्यय हेतु प्रस्तावित है तथा वर्ष 91-92 के वास्ते 220 हजार रू0 प्रस्तावित है ।

(3) पूर्वदर्शम कक्षा (9-10) तक छात्रवृत्ति :-

इस योजना के अन्तर्गत 30/- रू0 प्रति छात्र छात्रवृत्ति देने का प्रविधान है जिससे जनपद की 73 संस्थाओं के समस्त अध्ययनरत छात्र लाभान्वित होंगे जिस पर वर्ष 90-95 तक अनुमानतः 10877.8 रू0 की धनराशि व्यय हेतु प्रस्तावित है ।

2- पिछड़ी जाति के छात्रों के कल्याण हेतु छात्रवृत्ति :-

(1) प्राइमरी स्तर (1-5) तक छात्रवृत्ति :-

इस योजना के अन्तर्गत 12/- रू0 प्रति माह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रविधान है जिससे जनपद के 924 विद्यालयों के 10 छात्रवृत्ति विद्यालय के हिसाब से कुल 9240 छात्र वर्ष 91-92 में लाभान्वित होंगे । जिस पर वर्ष (90-95) तक अनुमानतः कुल 530 हजार रू0 प्रस्तावित है ।

(2) जूनियर स्तर (6-8) छात्रवृत्ति :-

इस योजना के अन्तर्गत 20/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने का प्रविधान है जिससे जनपद के 275 विद्यालयों के 15 छात्र प्रति विद्यालय के हिसाब से 4125 छात्र वर्ष 91-92 में लाभान्वित होंगे जिस पर वर्ष (90-95) तक अनुमानतः 530 हजार रू0 की धनराशि व्यय हेतु प्रस्तावित है ।

(3) पूर्वदशम कक्षा (9-10) तक छात्रवृत्ति :-

इस योजना के अन्तर्गत 30/- प्रति माह की छात्रवृत्ति के दिये जाने का प्रावधान है जिससे जनपद के 73 विद्यालयों के 764 छात्र वर्ष 91-92 में लाभांवित होंगे जिस पर अनुमानतः वर्ष 90-95 तक 1120 हजार रू० की धनराशि व्यय हेतु प्रस्तावित है ।

3- हरिजन कल्याण की अन्य योजनायें :-

(1) पूर्वदशम कक्षाओं में पढ़ने वाले अनु० जाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के फलस्वरू क्षति पूर्ति :-

इस योजना के अन्तर्गत अनु० जाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के फलस्वरूप क्षति पूर्ति दिये जाने का प्रावधान है जिसमें जनपद के 348 विद्यालयों के 5113 छात्रों को वर्ष 91-92 लाभांवित किया जायेगा । वर्ष (90-95) तक अनुमानत 830 हजार रू० की धनराशि व्यय हेतु प्रस्तावित है ।

(2) विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्रा०पाठशाला, छात्रावास तथा पुस्तकालयों के सुधार एवं विस्तार हेतु अनुदान :-

इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा सहाय प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित आवर्तक अनुदान पर प्रा० पाठशाला, छात्रा तथा पुस्तकालयों के सुधार एवं विस्तार हेतु अनुदान दिया जाता है । जनपद में आवर्तक अनुदान पर 3 प्राइमरी पाठशाला, 2 छात्रावास तथा एक पुस्तकालय पूर्व से ही संचालित है तथा 5 प्राइमरी पाठशालाओं तथा एक छात्रावास वर्ष 91-92 में आवर्तक अनुदान की सूची में लेने हेतु प्रस्तावित है जिस पर वर्ष 91-92 में 541 हजार रू० व्यय हेतु तथा (90-95) तक अनुमानतः 3418 हजार रू० की धनराशि व्यय हेतु प्रस्तावित है ।

4- अनु० जाति के छात्रों को चिकित्सा/अभियंत्रण हेतु आर्थिक सहायता :-

इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा तथा अभियंत्रण विषयों से पढ़ने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता 1000/- प्रति छात्र दिये जाने का प्रावधान है । जनपद में इस प्रकार एक मात्र संस्था राजकीय पोलीटेक्निक कालेज उरई है । जिसमें अनुसूचित जाति के अध्ययनरत समस्त छात्रों को आर्थिक सहायता दी जानी है । वर्ष (91-92) में इस पर 6 हजार रूपया तथा वर्ष 90-95 तक अनुमानित 34 हजार रूपया की धनराशि व्यय हेतु प्रस्तावित है ।

समाज कल्याण योजनायें :-

समाज कल्याण योजनाओं के अंतर्गत समाज की गरीब निर्धन विधवाओं एवं विकलांगों को सहायता प्रदान किये जाने का प्रविधान है । विवरण निम्न प्रकार है ।

1-निराश्रित विकलांग पेंशन :-

इस योजना के अंतर्गत ऐसे विकलांगों को पेंशन की सुविधा देय है जिनकी समस्त श्रोतों से मासिक आय 100/-प्रतिमाह है तथा शारीरिक रूप से अक्षम है वर्ष 91-92 में 508 हजार रूपये वर्ष 90-95 तक अनुमानित 3375 हजार रूपये की धनराशि व्यय हेतु प्रस्तावित है ।

2-निराश्रित विधवा पेंशन :-

इस योजना के अंतर्गत ऐसी निराश्रित विधवाओं को पेंशन देय है जिनकी मासिक आय सभी श्रोतों से 200/-रू0 प्रतिमाह है । वर्ष 90-91 में 1535 हजार रूपये तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं 10180 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

3-विकलांग छात्रों तथा विकलांग व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति कक्षा 1-8 तक :-

इस योजना के अंतर्गत विकलांगों छात्रों तथा विकलांग व्यक्तियों के बच्चों का कक्षा 1-8 तक छात्रवृति कक्षा 1-5 तक 15/प्रति माह तथा 6-8 तक 20/-प्रतिमाह दिये जाने का प्रविधान है । वर्ष 90-91 में 3 हजार रूपये तथा वर्ष 90-95 तक 2020 रूपये व्यय हेतु प्रस्तावित है ।

4-विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग क्रय हेतु अनुदान :-

इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग क्रय हेतु 1000/-प्रति व्यक्ति विकलांगता के आधार पर देय है । वर्ष 91-92 में 30 व्यक्तीयों को 30 हजार रूपये का व्यय किया जायेगा । तथा वर्ष 90-95 तक अनुमानतः 209 हजार रूपये की धनराशि व्यय हेतु प्रस्तावित है ।

5-अकिंचन व्यक्तियों के दाहसंस्कार हेतु अनुदान :-

इस योजना के अंतर्गत लावारिस पाये गये मृतक व्यक्तीयों के दाह संस्कार हेतु प्रति व्यक्ति 300/-रू0 व्यक्ति देय है वर्ष 91-92 में 3 हजार रू0 व्यय हेतु रक्खा गया है तथा वर्ष 90-95 में अनुमानतः 24 हजार रू0 की धनराशि व्यय हेतु प्रस्तावित है ।

6.2.29 पूरक पुष्टाहार योजना

पूरक पुष्टाहार योजना वर्ष 90-91 में विकास खण्ड कदौरा व डकोर मे चालू है । वर्ष 1991-92 में यह योजना विकास खण्ड नदीगाँव के लिऐ भी शासन से स्वीकृत हो गयी है इस योजनान्तर्गत 47.77 लाख रूपया विगत वर्षों का पी0एल0ए0 खाते में जमा है इस कारण से इस योजना के लिऐ वर्ष 1991-92 के लिऐ 48.66 लाख रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

6•2•30 दुग्ध विकास

दुग्ध संघ का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार

1- ट्यूबवेल निर्माण कार्य :-

तरल दूध की प्रोसेसिंग के लिये एक लीटर दूध के सापेक्ष 3 लीटर पानी के आधार पर एक नलकूप 10,000 लीटर दैनिक क्षमता का स्थापित किया गया है । दुग्ध संघ की दुग्ध उपार्जन मात्रा में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1991-92 में अधिकतम 10000 लीटर दैनिक के आधार पर 30000 लीटर दैनिक पानी की आवश्यकता होगी । इसलिये उपलब्ध नलकूप से पर्याप्त जल सुलभ नहीं हो सकेगा इसके साथ ही जनपदीय क्षेत्र में वाटर लेवल नीचे चले जाने के कारण उपलब्ध नलकूप में 20 फुट पाइप चालू सत्र में ही डालना पड़ा है ।, इसके साथ ही ट्यूबवेल का निर्माण पुराना होने एवं एक ही सवमर्सिविल 60 पम्प के कारण इसके खराब हो जाने पर जल उपलब्धता अवरोधित हो जाता है जिससे दुग्ध संघ के दूध खट्टा/फटने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था करने के बावजूद हजारों रू0 की हानि उठानी पड़ती है । इन कमियों को दूर करने के लिये एक वैकल्पिक ट्यूबवेल की और व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है जिसे योजना में निहित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति जल की कमी से प्रभावित न हो सके इसके लिये 4•0 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

2- सिविल निर्माण कार्य :-

दुग्ध संघ के पास अपनी 4•82 एकड़ भूमि उपलब्ध है जिसमें 4000 लीटर दैनिक दुग्ध सम्भरण की क्षमता के अनुरूप भवन भी उक्त उपलब्ध है । वर्तमान दुग्धशाला की स्थापना केवल तरल दूध की प्रोसेसिंग को ध्यान में रखकर की गयी थी जबकि इसने वर्ष 1989-90 में अधिष्ठापित क्षमता का 155% दुग्ध उपार्जन करके उपलब्ध संसाधनों से अधिक दूध का सम्भरण किया है । आठवीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षों में होने वाली दुग्ध उपार्जन वृद्धि एवं दुग्ध उत्पादन के निर्माण एवं संघ में उसकी स्टोरिंग क्षमता की वृद्धि हेतु स्टोरेज टैंक की स्थापना, रेफ्रीजरेशन प्लांट की स्थापना आदि को व्यवस्थित करने के निमित्त उपलब्ध भवन के साथ ही अतिरिक्त भवन निर्माण की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत एक दुग्ध पदार्थ निर्माण कक्ष, प्रोसेसिंग हाल, कोल्ड स्टोरेज की विस्तार स्टोरेज टैंक के स्थापना हेतु कक्ष की व्यवस्था के साथ-2 स्टोर की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है जिसके लिये वर्ष 1991-92 के लिये 10 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

3- इन्फ्लूएण्ट ट्रीटमेण्ट प्लांट (ई0टी0पी0) :-

दुग्धशाला, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की प्रोसेसिंग निर्माण एवं विपणन का कार्य करता है जिससे दुग्ध प्रक्रिया के अन्तर्गत दुग्धशाला से दूध मिला पानी एवं अन्य पदार्थों के निर्माण का शेष गन्दा पानी का डिस्पोजल किया जाता है । यह गन्दा पानी दूषित एवं वातावरण प्रदूषित करने का कार्य करता है तथा इसकी समुचित निकासी तुरन्त न हो सकने के कारण वातावरण प्रदूषित एवं दुर्गन्ध युक्त हो जाता है जिससे अनेक कीटाणु उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है जो दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के साथ-2 जन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है । ऐसे दूषित पानी को उपचारित कर जल का अन्यत्र प्रयोग करने के उद्देश्य जैसे सिंचाई आदि तथा पर्यावरण को दृष्टि होने से बचाने के लिये प्रचलित प्रदूषण नियंत्रण कानून के अन्तर्गत ई0टी0पी0 प्लांट लगाना अत्यंत आवश्यक है जिसके लिये 10 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

4- मशीनरी एवं उपकरण :-

दुग्ध संघ आठवीं पंचवर्षीय योजना में दुग्धशाला में दुग्ध उपार्जन की वृद्धि के साथ ही साथ इसकी स्टोरेज क्षमता 4000 लीटर से बढ़ाकर वर्ष 91-92 में 15000 लीटर तथा 92-93 में 20000 लीटर करने की आवश्यकता है तथा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के प्रोसेसिंग, पाश्चुरीकृत करने हेतु कच्चा दूध एवं पाश्चुराइज्ड दूध पृथक-2 रखने हेतु स्टोरेज टैंक की आवश्यकता पड़ेगी । दुग्ध पदार्थों की प्रोसेसिंग करने एवं दुग्ध पदार्थ के निर्माण हेतु रेफ्रीजरेशन प्लांट, बटर churn तथा कोल्ड स्टोरेज तथा दुग्ध कैनो की आवश्यकता पड़ेगी जिसके लिये 14.50 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

5- सोलर वाटर हीटर प्लांट :-

दुग्धशाला को दूध एवं दुग्ध पदार्थों को गर्म करने तथा बर्तनों को सफाई स्टारलाइजेशन के तहत गर्म पानी तथा स्टीम की महती आवश्यकता होती है जिसके लिये छोटे boilers की स्थापना की गई । boilers में सूखी लकड़ी तथा स्टीम कोल की आवश्यकता होती है । वर्तमान समय में ऐसे ईंधन के मूल्य में बराबर वृद्धि होने के कारण काफी धनराशि खर्च हो जाती है । दूध मात्रा के वृद्धि के साथ इस खर्चे में उपरोक्त वृद्धि होती है होती जायेगी जिस पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है । बुन्देलखण्ड के इस जनपद में अन्य मण्डलों के जनपद के अपेक्षा कही धूप होती है जिसका सदुपयोग सौर्य उर्जा के रूप में पानी गर्मकर के, गर्म पानी का प्रयोग दुग्धशाला में बर्तनों

आदि की धुलाई में प्रयोग किया जा सकता है साथ ही 65 डिग्री सेंटीग्रेड का यह गर्म पानी ब्वायलर में प्रयोग करके कम ईंधन के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाकर वाष्पीयकरण किया जा सकता है । इस सौर्य ऊर्जा के लाभ के लिये सोलर वाटर हीटर प्लांट की स्थापना दुग्धशाला में करके न्यूनतम 30 प्रतिशत ईंधन की बचत की जा सकती है इससे दुग्ध संघ के खर्चों में कमी आयेगी और यह आर्थिक इकाई बन सकेगी । इसके लिये 7 लाख रू0 की आवश्यकता होगी जिसमें से 3.50 लाख रू0 जिला सेक्टर योजना से स्वीकृत किया जाना चाहिये शेष 3.50 लाख धनराशि "वैकल्पिक ऊर्जा भारत सरकार" द्वारा अनुदान स्वरूप में प्राप्त होगी ।

6- आवासीय भवन :-

दुग्धशाला की स्थापना शहर से दो कि0मी0 दूर किया गया है तथा इसमें रात दिन दोनों पालियों में दुग्ध सम्भरण, प्रोसेसिंग, विपणन का कार्य किया जाता है । दूध एवं दुग्ध पदार्थों जैसे शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों के कारण तथा अत्याधुनिक मंहगे संयंत्रों के सुचारू संचालन हेतु प्रबंधक, डेरी इन्चार्ज, शिफ्ट इन्चार्ज, मैकेनिक प्लांट आपरेटर, डेरीमैन, चौकीदार के निवास की आवासीय व्यवस्था दुग्ध संघ की उपलब्ध भूमि पर किया जाना नितान्त आवश्यकता है जिससे आकस्मिक परिस्थितियों, ब्रेक डाउन की स्थिति में हर समय टेकनीकल नान टेकनीकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और कर्मचारियों की सुरक्षा भी हो सके इसके निमित्त 17.30 लाख रू0 की आवश्यकता है जिसकी स्वीकृति आठवीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 92-93 में की जानी चाहिये ।

7- कैटिल फीड गोडाउन :-

जनपद की भौगोलिक स्थिति भूमि की संरचना अन्य जनपदों से भिन्न है परिणाम स्वरूप उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत प्राकृतिक जल श्रोतों के आधार पर हरे चारे की बुआई न्यूनतम क्षेत्र में होती है । जिसके कारण दुधारू पशुओं एवं अन्य पशुओं को खाने के लिये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है । यद्यपि जल संसाधनों को बढ़ाकर हरा चारा उत्पन्न करने के प्रोत्साहन के विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं जो अभी उपर्याप्त है तथा भविष्य में भी दो तीन वर्षों तक अभी काफी प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी । ऐसी स्थिति में दुधारू पशुओं के पर्याप्त मात्रा में संतुलित पशु आहार (कैटिलफीड) उपलब्ध कराकर पोषक तत्व प्रदान कराना एक मात्र विकल्प है । इस सुविधा को समितियों एवं दुग्ध उत्पादकों तक पहुँचाने के लिये कैटिलफीड गोडाउन की दुग्ध संघ स्तर पर आवश्यकता पड़ेगी जिसमें पी0सी0डी0एफ0 अथवा अन्य कैटिल फीड फैक्ट्री से बल्क में कैटिल फीड

पैंगकर स्टोर किया जा सके तथा समितियों एवं उत्पादकों को दिया जा सके यह सुविधा 91-92 में ही उपलब्ध कराना ग्रामोपयोगी होगा जिसके लिये 1.50 लाख रू0 स्वीकृत करने की आवश्यकता है ।

8- दुग्ध समितियों हेतु सहायता :-

जनपद के 9 विकास खण्डों में से 7 विकास खण्डों में पड़ने वाली दुग्ध पट्टी पर वर्ष 1990 तक 103 दुग्ध समितियों का गठन किया गया है जिसके लिये बैंक योजना से आवश्यक संसाधन सुलभ कराया गया था । आठवीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1991-92 में 25 दुग्ध समितियाँ वर्ष 92-93 में 25 दुग्ध समितियाँ, वर्ष 92-93 में 25 दुग्ध समितियाँ तथा वर्ष 93-94 में 30 दुग्ध समितियों का संगठन किया जाना प्रस्तावित है जिससे जनपद के शेष कटौरा तथा डकोर विकास खण्ड एवं अन्य विकास खण्डों में पड़ने वाली पक्की मार्गों पर शेष ग्राम सभाओं में से संगठित किया जायेगा । इस प्रकार सम्पूर्ण दुग्ध पट्टी पर अधिकतम क्षेत्र तक इस योजना की विस्तार हो सकेगा । इसके लिये प्रति समिति 10,500 एवं आगामी वर्षों में 10 प्रतिशत और वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्रमशः 2.70 लाख, तथा 2.95 एवं 3.85 लाख की धनराशि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है ।

9- मिल्कबार की स्थापना की व्यवस्था :-

दुग्ध संघ के विपणन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु नगरीय क्षेत्र में वर्ष 1990-91 में 50 विक्रय डिपो की स्थापना एवं आगामी वर्षों में 100 दुग्ध विपणन डिपो नियुक्त करने का प्राविधान है । इसके साथ ही नगरीय उपभोक्ताओं को नगर के बीच में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों, फ्लेवर्ड मिल्क, मिल्क केक आदि सुलभ कराने के लिये जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण एवं शहर में दो मिल्कबार की स्थापना की आवश्यकता है । इससे जन उपभोक्ताओं को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ नगर में ही उपलब्ध हो जायेगा और 2 कि0मी0 दूर नगर से जाने की असुविधा से मुक्ति मिल जायेगी साथ ही दुग्ध संघ को इससे अतिरिक्त आय हो सकेगी । इस निमित्त 75 हजार रू0 प्रति मिल्कबार के हिसाब से 1.50 लाख रू0 स्वीकृत करने की आवश्यकता है । इसके लिये भूमि की व्यवस्था नगरपालिका एवं जिला प्रशासन के सहयोग से निशुल्क प्राप्त किया जायेगा ।

10- दुग्ध परिवहन एवं जीप की व्यवस्था :-

दुग्ध समितियों के संगठन होने के साथ ही उनके पर्यवेक्षक/निरीक्षक एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु एक डीजल जीप जो दुग्ध संघ के पास उपलब्ध है, पर्याप्त नहीं है । सामान्यतया उपार्जन कार्य हेतु प्रति 50 समितियों

77

के ऊपर एक जीप की आवश्यकता का प्राविधान है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 91-92 तक संगठित 125 समितियों के लिये दो डीजल जीपों की तथा आठवीं योजना के अन्त तक समितियों की संख्या बढ़ाकर 180 हो जाने पर तीन जीपों की आवश्यकता पड़ेगी इस तरह उपलब्ध एक जीप के अतिरिक्त वर्ष 91-92 में एक जीप तथा वर्ष 92-93 में दूसरी जीप की आवश्यकता पड़ेगी । इसी प्रकार समितियों से दुग्ध परिवाहन कार्य हेतु किराये की गाड़ी का प्रयोग किया जाता है किन्तु नगर आपूर्ति एवं अन्य कस्बों को की जाने वाली नगर आपूर्ति के लिये दो महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा एफ०सी० 1100 पिकप ‡ट्रक गाड़ी‡ की आवश्यकता हैं जिससे समय से नगर आपूर्ति की जा सके साथ ही दुग्ध मूल्य की वसूली करना बिना व्यवधान हुए सम्भव हो सके और दूध एवं दुग्ध पदार्थों की क्वालिटी बिना खराब हुए उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में मदद मिल सके ।

उपरोक्त के साथ ही स्थानीय दुग्ध वितरण के पश्चात शेष उपार्जित दूध को एस०एम०जी० के अन्तर्गत कानपुर अथवा अन्य दुग्धशालाओं को भेजे जाने का प्राविधान है । अभी तक साधारण टैंको में दूध भरकर कानपुर भेजने की व्यवस्था की जा रही है जो गाड़ी के ब्रेक डाउन मार्ग अवरूद्ध होने एवं विलम्बित होने के कारण अधिक समय हो जाने पर दूध खट्टा/फटा होने पर हानि का कारण बनता है । इस कमी को दूर करने के लिये अन्य जिलों की तरह इस जनपद की दुग्धशाला के पास भी अपना रोड मिल्क टैंकर होना चाहिये जो इन्सूलेटेड होता है और ठण्डे दूध को उसी ताप क्रम पर 24 घंटे तक रख सकता है ।

परिवाहन से संबंधित उपरोक्त गाड़ियों के औचित्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 91-92 में एक महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा पिकप हेतु 2.25 लाख रू० तथा वर्ष 92-93 में एक जीप, एक महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा पिकप तथा रोड मिल्क टैंकर इन्सूलेटेड हेतु 9.25 लाख रू० की आवश्यकता होगी ।

11- क्रियाशील पूंजी की व्यवस्था :-

दुग्धशाला के दिन प्रतिदिन कार्यों की सुचारू रूप से संचालित करने तथा दुग्ध मूल्य का नियमित एवं साप्ताहिक भुगतान करने के लिये दुग्ध संघ को कम से कम 4.0 लाख क्रियाशील पूंजी की आवश्यकता होगी । वर्ष 91-92 में औसतन 6600 लीटर दैनिक दूध समितियों से मिलेगा जिसकी कीमत 5/- रू० प्रति लीटर के आधार पर कुल 33,000=00 रू० होता है तथा साप्ताहिक दुग्ध मूल्य भुगतान हेतु 2,31,000/- रू० की आवश्यकता होगी जिसके आधार पर दुग्ध संघ के पास दो सप्ताहों ‡15 दिनों‡ के दुग्ध मूल्य भुगतान हेतु क्रियाशील पूंजी होनी चाहिये इसके आधार पर वर्ष 1991-92 में 2.0 लाख वर्ष 92-93 में 2.0 लाख रू० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

6.2.31 शिल्पकार प्रशिक्षण

1- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार एवं सदृढ़ीकरण

(अ) साज सज्जा की आपूर्ति :-

संस्थान की विद्युत व्यवस्था देहात क्षेत्र की लाइन से जुड़ी है जिसके कारण सदैव विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है जिससे प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने में कठिनाई होती है। अतः इस समस्या के निदान हेतु एक विद्युत जनरेटर नितान्त आवश्यक है जिसके लिये वर्ष 91-92 में 1.96 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

(ब) व्यवसायिक प्रशिक्षण :-

इस योजना के अन्तर्गत संस्थान में प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके लिये वर्ष 91-92 में 1.25 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

2- संस्थान के आर्ट रोड व प्रशासनिक कक्ष को घेरने वाली चहारदीवारी का निर्माण :-

---

वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना में उक्त कार्य हेतु 62.00 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

अध्याय - 7

राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम :-

7.0 अधिक रोजगार और निर्धनों की आमदनी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारम्भ पाँचवी पंचवर्षीय योजना से किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य एक निर्धारित समय के अन्दर पूरे देश में जीवन के सर्वोन्मुखी विकास हेतु स्वीकृत मानदण्डों के आधार पर सभी क्षेत्रों में सामाजिक उपयोग की बुनियादी सेवाओं तथा सुविधाओं को उपलब्ध कराना है ।

7.1 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों में प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़शिक्षा, स्वास्थ्य की न्यूनतम सेवाएं, पीनेके लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था, भूमिहीन श्रमिकों को भूमि प्रदान करना, बिजली की पूर्ति बढ़ाना और गाँवों में ग्रामीण विद्युतीकरण करना, काम देने वाली योजना, सड़कें, पुलें, नहरें, का बनाना, मकानों की व्यवस्था और गन्दी बस्तियों की सफाई आदि कार्यों को करना सम्मिलित है ।

7.2 छठी एवं सातवी पंचवर्षीय योजना में इस ओर हमारी सरकार का ध्यान गया उसी के अनुसार आठवी पंचवर्षीय योजना में भी इन लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति हेतु संकल्प लिया गया । आठवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत हजार रुपये का परिव्यय शासन द्वारा स्वीकृत किया गया तथा वर्ष 1991-92 में इस कार्य हेतु हजार रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया । जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	कार्यक्रम विवरण	प्रस्तावित परिव्यय हजार रुपये में
1.	प्रारम्भिक शिक्षा	5867
•	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	11165
•	ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति	7504
(क)	जल निगम	7584
(ख)	हरिजन पेयजलकम	1920
•	ग्रामीण विद्युतीकरण	2750
	ग्रामीण सड़कें एवं पुल	26735
	ग्रामीण आवास	2500
	पुष्टाहार	4866
	ग्रामीण स्वच्छता	1637
	अभिसार	

अध्याय - 8

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना

8.0 उद्देश्य-

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना का मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को आर्थिक उत्थान है। गरीबी एवं ... से उनको ... हीन भावना को समाप्त कर आर्थिक समानता लाकर उनके जीवन में सुख का संचार करना है। इन कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन में ... कमजोर वर्ग के परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु विभिन्न योजनाओं ... उन्हे भी आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विभिन्न योजनाओं द्वारा अब तक लाभान्वित किया जा चुका है।

8.1 योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं पर बैंक ऋण, शासकीय अनुदान तथा मार्जिन ऋण उपलब्ध कराना है। अनु0जाति के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 5500 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 4800 रुपये से अधिक नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत इस योजना में अधिकतम 6000 रुपये तक की योजना जिसमें 50% धनराशि अनुदान से प्राप्त की जाती है। शासन से ... निर्देश दिये हैं कि विभागीय परिव्यय का 20% अनु0जाति एवं जनजाति के परिवारों के उत्थान के कार्यक्रमों में व्यय किया जाये जिसे स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत रखा गया है।

8.2

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास की दिशा में तीव्रतर प्रयास करने के लिए प्रत्येक जनपद में अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) कार्यालय के अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम का कार्यालय भी खोला गया है। विकास में सामाजिक न्याय को मानते हुए जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक विभाग की योजना में अनुसूचित जाति/जनजातियों के विकास की अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। जिसमें से मुख्य निम्न लिखित है।

8.2.1 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु स्वतः रोजगार योजना

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता विभिन्न व्यवसायों हेतु देकर जीवन स्तर उठाया जाता है। इस योजना में 3000 रुपये अनुदान एवं 5000 रुपये मार्जिन मनी बैंक ऋण के साथ उपलब्ध कराये जाते है जो 4% ब्याज के साथ आसान किश्तों में लाभार्थी से वसूल की जाती हैं। यह योजना गरीबी उन्मूलन में सहायक सिद्ध हो रही है।

8.2.2 आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को अनुपूरक अनुदान की योजना –

आई0आर0डी0योजना से लाभान्वित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 50% अनुदान पूर्ण करने हेतु सरकार द्वारा 16 2/3प्रतिशत अनुपूरक अनुदान जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को उपलब्ध कराया जाता है ।

8.2.3 अनुसूचित जाति के परिवारों को नि:शुल्क बोरिंग कार्यक्रम

इस योजना के तहत हरिजनों की कृषि योग्य भूमि पर नि:शुल्क बोरिंग की जाती है एवं उस पात्र व्यक्ति को इंजन क्रय हेतु विभाग द्वारा बैंक से ऋण उपलब्ध कराकर 3000 रुपये अनुदान दिया जाता हैं इस योजना में शासन द्वारा प्रति बोरिंग हेतु 3500 रुपया उपलब्धकराया जाता है ।

8.2.4 अनुसूचित जाति के परिवारों को शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में दुकान निर्माण की योजना –

इस योजना के अन्तर्गत जनपद में शहरी एवं ग्रामीण दोनों में दुकाने बनवाकर अनुसूचित जाति के पात्र लोगों को दी जाती है । इसमें योजना की लागत 5000 रुपये तक अनुदान दिया जाता है । बाकी धनराशि आसान किस्तों में बिना ब्याज के बसूल की जाती है । उन दुकान आवंटियों की इच्छानुसार व्यवासाय करने के लिये बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है । जिसमें 3000 रुपये अनुदान भी दिया जाता है यह योजना गरीबी उन्मूलन में अच्छा सहयोग कर रही है ।

8.2.5 छात्रों केलिये छात्रवृत्तियाँ –

कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 के सभी छात्रों को हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

अध्याय- 9

समस्यायें एवं सुझाव

9.0 उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना से स्थानीय आवश्यकताओं क्षेत्रीय आकांक्षाओं, उपलब्ध संसाधनों, सम्भाव्य क्षमता, योग्यता, स्थानीय पहल शक्ति एवं भौगोलिक विशिष्टताओं के अनुरूप अधिकतम उपयोग कर जनपद के संतुलित विकास को दृष्टिगत रखकर योजनाओं की संरचना करने के लिये नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण किया था । विकेन्द्रित नियोजन की इकाई जनपद है । इससे अन्तर जनपदीय एवं अन्तर्विकास खण्डीय विषमताओं को कम करने की प्रबल कामना की गयी थी । इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सात वार्षिक योजनाओं की संरचना की जा चुकी है एवं आठवीं वार्षिक योजना की संरचना की जा रही है । नियोजन प्रक्रिया का वर्ष 1982-83 में जब विकेन्द्रीकरण किया गया था तब यह आशा की गई थी कि नियोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण की दिशा में मात्र प्रथम सीढ़ी है । यह अन्तिम लक्ष्य नहीं है परन्तु ऐसा प्रतीत हुआ कि नियोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण करने की दशा में इच्छा शक्ति का स्थायित्व आ गया है । अगले कदम बढ़ाने की दिशा में सोचना या उसकेलिये अपेक्षित पृष्ठभूमि तैयार करने का प्रयास नहीं हो रहा है । नियोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण की दिशा में अग्रसर होने, गतिशील बनाने एवं नियोजन का एक रचनात्मक क्षेत्र बनाने की दिशा में अग्रसर होने के लिये समस्याओं का विश्लेषण एवं सुझाव प्रस्तुत है ।

नियोजन इकाई का विकेन्द्रीकरण

9.1.1 नियोजन की अन्तिम इकाई जनपद है । इससे विकास खण्ड की स्थानीय परिस्थितियों उपलब्ध संसाधनों, जनशक्ति का अभीष्ट उपयोग कर संतुलित विकास की दिशा में प्रयास असफल हो जाता है जिला स्तरीय नियोजन होने से विकास खण्ड का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं हो पाता है । राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण विकास खण्ड की आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाओं का प्रस्ताव न होकर अधिकांशतः संविधायक क्षेत्रवाद हो जाता है । इसलिये विकास खण्ड स्तर पर नियोजन की इकाई स्थापित करनी होगी । प्रारम्भ में यदि इसे विकास खण्ड स्तर पर नियोजन इकाई का सृजन सम्भव न हो तो तहसील स्तर पर नियोजन इकाई स्थापित कर तहसील के समस्त विकास खण्डों का दायित्व दिया जा सकता है ।

9.1.2 विकास खण्डवार धन तथा योजनाओं का विभाजन भी करना होगा । ऐसी योजनाओं, जिनका लाभ विकास खण्ड तक सीमित हो, उन्हे विकास खण्ड की परिधि में लाकर उनके लिये धन आवंटन का दायित्व दिया जा सकता है । जिन योजनाओं का लाभ एक से अधिक विकास खण्डो को मिले, उन्हे जिला स्तर योजनाओं में लिया जाये इससे अन्तर्विकास खण्डीय विषमताओं को कम करने की दिशा में बहुत ही सहयोग मिलेगा । इसके लिये प्रमुख सुविधाओं के लिये मानक निर्धारित कर दिये जाय जिससे कि भविष्य में विषमताओं का जन्म न हो सके । और विकास खण्ड में निर्धारित मानक के अनुसार प्रगति हो जाय उससे आगे धन आवंटित न किया जाय विकास खण्डवार धन आवंटन का आधार निर्धारित के लिये निश्चित किया गया है । यह नियोजन इकाइयां स्वतन्त्र रूप से नियोजन का कार्य न कर इस की पूरक इकाई के रूप में कार्य करें । जिससे कि आपस में तालमेल रहे तथा टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो ।

9.2.1 जनपद नियोजन इकाई को सुदृढ करना -

वर्ष 1982-83 में नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण कर जनपद को नियोजन की इकाई माना गया । इस समय से अब तक उसके सुदृढीकरण की दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया । योजनाओं/कार्यक्रम के अनुश्रवण का पूर्ण उत्तरदायित्व भी दिया गया परन्तु इस वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप नियोजन एवं अनुश्रवण xx के दायित्वों को वहन करने के जनपद नियोजन इकाई का अपेक्षित सुदृढीकरण नहीं हो सका है । नियोजन जनपद के विकास का एक प्रमुख अंग न होकर वार्षिक योजना बनाने तक ही सीमित रह गया है । इसके लिये प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार है :-

1. जनपद स्तर पर नियोजन एवं अनुश्रवण के लिये दो छोटे-छोटे अनुभाग बनाये जाय जिनका दायित्व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों पर हो इनका समन्वय प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए । जिला स्तर पर प्रथम श्रेणी का अधिकारी न होने के कारण नियोजन एवं अनुश्रवण में बहुत बाधा होती है । जनपद के विकास के प्रमुख अधिकारी प्रथम श्रेणी में होने के कारण नियोजन तक को प्राथमिकता नहीं देते है । अनुश्रवण के लिये तो अभी तक अपेक्षित समय ही नहीं आ पाया है । परन्तु प्रथम श्रेणी के अधिकारी के लिये यह आवश्यक होना चाहिए कि वह प्रशासनिक सेवाओं का न हो । वह नियोजन का ही होना चाहिए इससे वे नियोजन को कुछ समय का नौकरी न समझकर जीवन का लक्ष्य मानकर समर्पित भावना से कार्य करेंगे । उनके दिये गये अनेक प्रशिक्षणों का लाभ जीवन पर्यन्त नियोजन के क्षेत्र में मिलता रहेगा । प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी जब तक इस दिशा में परिपक्वता लाकर कुछ करने को सोचते है उनका स्थानान्तरण हो जाता है उनको दिये गये प्रशिक्षण का लाभ जनपद नियोजन को नहीं मिल पाता है ।

2. नियोजन अनुभाग में कम से कम 4 सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी होने चाहिए जिन्हे निश्चित रूप से कुछ विभागों का दायित्व दिया जा सके जो इन विभागों से सम्बन्धित सभी योजनाओं कार्यक्रमों का गहन अध्ययन कर संबंधित विकास को दिशा निर्देश कर सकें ।

3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनुभाग में भी 4 सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी के साथ -2 एक और अवर अभियन्ता नियुक्त होने चाहिए । इन्हे कुछ निश्चित विभाग आवंटित कर दिये जाये जिन्हे विभागों की योजनाओं कार्यक्रमों का अध्ययन कर योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करें अवर अभियन्ता से तकनीकी क्षेत्र में नियोजन एवं अनुश्रवण करने मे सहयोग मिलेगा ।

4. जनपद इकाई के अधिकारी/कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । अन्य जनपदों प्रान्तों में जाकर नियोजन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का अध्ययन कर दिशा निर्देशन प्राप्त करने का अवसर सुलभ करना चाहिए ।

5. आवश्यक साज सज्जा उपकरणों के साथ-2 जनपद स्तर पर नियोजन भवन होना अति आवश्यक है जिससे जनपद स्तर पर नियोजन को स्थायित्व दिलाने के साथ-2 आवश्यकता के अनुरूप अधिकारियों के विचार विमर्श एवं नियोजन गोष्ठियों तथा तहसील/ब्लाक खण्ड नियोजन इकाईयों का समन्वय पर्यवेक्षण तथा बैठकों का आयोजन सम्भव हो सकें ।

9.3.0 जनपद स्तर पर इस समय जिला सेक्टर से अन्तरगत विभाग वार निर्धारित जिला सेक्टर योजनाओं में धन आवंटित करने के अधिकार का विकेन्द्रीकरण है । किसी नई योजना का समावेश स्थलीय आवश्यकता के अनुसार करना सम्भव नही हो पाता है इस लिये मुख्य धनराशि की प्रक्रिया को तरल बना दिया जाये । साथ ही स्थलीय परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक विभाग के लिये एक परिवेश निर्धारित कर योजनाओं की संरचना एवं धन आवंटन की स्वतन्त्र जिला इकाई की रहनी चाहिए ।

9.3.2 जिला स्तर से योजनाओं को स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप धन आवंटन करने के उपरान्त मण्डल स्तर से अनुमोदन के उपरान्त भी राज्य स्तर से योजनाओं के आवंटित धन में परिवर्तन कर दिया जाता है संबंधित विभाग अधिकारियों को अधिक वरिष्ठता दी जाती है जो तथ्य राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष देते है, कारण इन तथ्यों को विभागाध्यक्ष अपने जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से जिला समिति के समक्ष नही रख सकते । इससे जिला स्तरीय समितियों के महत्व कम हो जाता है । तथा जिन स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में धन आवंटित किया गया था, उनकी उपेक्षा हो जाती है 2 यही नही विभागाध्यक्ष द्वारा यदि किसी योजना के लिए ,

मानक बना दिया जाता है तो उसी के अनुरूप ही धन आवंटित कर दिया जाता है जबकि स्थानीय स्तर पर उस योजना विशेष को धन आवंटित किया जाता है ।

9.3.3. राज्य सरकार के संसाधनों से ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना का विस्तार नायक योजना में सभी केन्द्रों में पिट्टी के तेल की व्यवस्था अब है प्रत्येक सामग्री इत्यादि के क्रय की व्यवस्था है लालटेन भी प्रत्येक वर्ष क्रय का प्रावधान मानक योजना में शामिल है जबकि अभी केन्द्र पहिलाओं के दिन में चलने के कारण उसमें पिट्टी के तेल की आवश्यकता नहीं होती है लालटेन का जीवन काल कम से कम 3 वर्ष आवश्यक होता है इसी प्रकार इनके अनेक पद है । परन्तु राज्य स्तर पर बिना ध्यान दिये मानक के अनुसार धन आवंटित कर दिया जाता है । इसी प्रकार इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में पूर्णतया संशोधन कर दिया गया है । अन्य विभागों की योजनाओं में भी ऐसी प्रक्रिया अपनायी जा रही है संबंधित विभागाध्यक्ष/मण्डल स्तरीय अधिकारी अपने तथ्यों से जिला स्तरीय अधिकारियों को संतुष्ट किये बिना राज्य स्तर पर यथोचित धनराशि का आवंटन करा लेने के कारण जिला समिति की अपेक्षा करते है । इसलिये राज्य स्तर से जिला स्तर से आवंटित धनराशि में परिवर्तन बिना जिला स्तरीय समिति की अनुमति से नहीं होना चाहिए । कुछ विभागाध्यक्ष जनपद स्तर के लिये आवंटित धनराशि को एक जिले में व्यावर्तित कर देते जबकि सिद्धान्तः नहीं होना चाहिए इसके लिये पुनः स्पष्ट आदेश देने की आवश्यकता है ।

9.4 बजट प्रक्रिया का सरलीकरण -

इस समय नियोजन विभाग द्वारा योजनावार परिव्यय अनुमोदित हो जाने के बाद धन के अनमुक्त करने का अधिकार विभागाध्यक्ष/सचिव/वित्त विभाग को रहता है । इससे विकेन्द्रीकरण की निहित भावना की पूर्ति नहीं हो पाती है । जनपद के लिये आवंटित परिव्यय को जिला समिति के अधिकार क्षेत्र में रख दी जाय। आवश्यकतानुसार कार्य की प्रगति के अनुसार धन वितरित किया जा सकता है । इससे धन अमुक्त होने में लगने वाला अनावश्यक विलम्ब एवं पत्र व्यवहार से मुक्ति मिल सकेगी । समय से कार्य निष्पादन भी हो सकेगा शून्य बजट की प्रक्रिया का भी परिपालन हो सकेगा ।धन समिति को संस्तुति पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से चेक द्वारा दिया जा सकता है । जनपद के केश क्रेडिट लिमिट के आधार पर धन दिया जा सकता है ।

:: परिशिष्टियों की अनुक्रमणिका ::

परिशिष्ट का विवरण	पृष्ठ संख्या
1- जी० एन०-1	1- 2
2- जी० एन०-2	3- 39
3- जी० एन०-3	40- 78
4- जी० एन०-4	79- 84
5- जी० एन०-5	85- 102
6- आधार भूत आंकड़े	103- 111
7- मानचित्र	-

सैक्टरवार व्यय/परिव्यय   जी०एन०-1   (ह०रू०में)

क्र०	सैक्टर / विभाग	सातवीं पंचवर्षीय योजना (85-90) वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95) प्रस्तावित परिव्यय	1990-91 अनुमोदित परिव्यय	1990-91 अनुमानित व्यय	वर्ष 1991-92 प्रस्तावित परिव्यय रा०	पूजी०	कुल	1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कृषि विभाग	5782.2	8510	1250	1250	1025	300	1325	1567	1833	2535
2.	उद्यान विभाग	1936.9	7619	685	685	825	1435	2260	1806	1258	1610
3.	निजी लघु सिंचाई	17298.0	18756	2191	2191	3340	350	3690	4070	4290	4515
4.	राजकीय लघु सिंचाई	78004.0	47637	13437	13437	-	8100	8100	8400	8700	9000
5.	पशुपालन	5820.3	6405	767	767	1097	518	1615	1247	1323	1453
6.	मत्स्य	948.5	1372	196	196	262	-	262	253	298	363
7.	वन	21218.0	31457	5450	5450	5315	325	5640	6155	6645	7567
8.	सहकारिता	686.0	758	101	101	132	-	132	150	175	200
9.	पंचायत	7392.5	10301	898	898	12	1625	1637	1992	2462	3312
10.	ग्राम्य विकास										
अ.	एकीकृत ग्राम्य विकास	30402.2	42978	7378	7378	8116	-	8116	9000	9042	9442
ब.	जवाहर रोजगार योजना	22636.0	55078	11338	11338	9869	-	9869	10924	11204	11743
स.	लघु एवं सीमान्त कृषकों को आर्थिक सहायता	6932.6	5651	851	851	1089	-	1089	1207	1237	1267
द.	सूखोन्मुख कार्यक्रम	11580.0	12375	2475	2475	2475	-	2475	2475	2475	2475
11.	सामुदायिक विकास	11021.0	20241	3000	3000	-	12499	12499	2100	2642	-
12.	भूमि सुधार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	विद्युत	3200.0	18167	2500	2500	600	2150	2750	3355	4194	5368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	4241.7	9045	1326	1326	1355	-	1355	1655	2066	2643
15.	सड़क एवं पुल	54483.0	305217	35975	35975	-	26735	26735	48594	74487	119426
16.	पर्यटन	106.0	1375	-	-	-	150	150	225	400	600
17.	अर्थ एवं संख्या	180.0	289	24	24	20	42	62	47	126	30
18.	प्राथमिक शिक्षा	30730.6	59430	10007	10007	2842	4525	7367	12160	12531	17365
19.	माध्यमिक शिक्षा	947.2	60411	1159	1159	7809	-	7809	13437	18399	19607
20.	प्राविधिक शिक्षा	8369.0	662	412	412	-	250	250	-	-	-
21.	प्रादेशिक विकास दल	3287.0	3227	511	511	328	130	458	590	729	939
22.	खेलकूद	-	1950	60	60	80	-	80	750	720	340
23.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	54293.2	81824	10431	10431	4575	8157	12732	15866	18995	23800
24.	जल निगम	17104.6	70227	10843	10843	-	7584	7584	12099	18100	21601
25.	हरिजन पेयजल कूप	6455.0	9700	2500	2500	1920	-	1920	1840	1720	1720
26.	निर्बल वर्ग आवास	4673.2	14873	2673	2673	2500	-	2500	3000	3200	3500
27.	पूल्ड हाउसिंग	3000.0	18657	2557	2557	-	2600	2600	3500	4400	5600
28.	हरिजन एवं समाज कल्याण										
(अ)	हरिजन कल्याण	9041.0	15512	1224	1224	2567	31	2598	3286	3904	4500
(ब)	समाज कल्याण	5387.9	13673	1769	1769	2079	-	2079	2534	3170	4121
29.	पूरक पुष्टाहार	6258.0	21662	833	833	4866	-	4866	4510	5271	6182
30.	दुग्धशाला विकास	-	10648	-	-	-	5303	5303	2320	1425	1600
31.	शिल्पकार प्रशिक्षण	546.0	3523	369	369	125	258	383	136	139	2496
		433952.6	989210	135190	135190	63423	84867	148290	181250	227560	296920

उप विकास मद — जनपदवार व्यय/ परिव्यय — जी0एन0-2 प्रपत्र-2 (रु0 लाख में)

मुख्य विकास मद

क्र0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजी	1990-91 अनुमानित व्यय कुल	पूंजी	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय रा0	पू0	कुल	92-93 प्रस्तावित परिव्यय	93-94 प्रस्तावित परिव्यय	94-95 प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**कृषि विभाग (चालू योजनायें)**												
1.	प्रदेश के उन्नतिशील बीजों के सम्बर्द्धन एवं संग्रहण की योजना	730.0	2950	600	-	600	-	450	-	450	500	600	800
1-	सम्पूर्ति	1881.6	3600	600	-	600	-	470	-	470	600	800	1130
2-	कृषि रक्षा यंत्रों का क्रय	583.6	360	50	-6	50	-	55	-	55	57	83	105
3-	उरई में विपणन संयत्र की सडक निर्माण कार्य	2573.0	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
	योग चालू योजनायें	5768.2	7110	1250	-	1250	-	975	-	975	1367	1483	2035
	नई योजनायें												
1-	प्रक्षेत्र हेतु टैक्टर क्रय करना	-	500	-	-	-	-	-	150	150	150	200	-
2-	धान्य बीज भण्डार के लिये भण्डार के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करना	-	80	-	-	-	-	-	80	80	-	-	-
3-	जखौली प्रक्षेत्र पर साइफन का निर्माण	-	40	-	-	-	-	-	40	40	-	-	-
4-	जखौली क्षेत्र पर प्रक्षेत्र अधीक्षक के आवास हेतु धान की माँग (अधूरे निर्माण कार्य)		30	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-
5-	प्रक्षेत्र पर आ[illegible]	-	50	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6-	गिरथान प्रक्षेत्र पर एक ग्रेन गोदाम का निर्माण	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-
7-	जुखाला प्रक्षेत्र पर सम्पर्क मार्ग का निर्माण	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
8-	विद्यायन कक्ष तथा गोदाम कक्ष के फर्श का निर्माण	-	200	-	-	-	-	"	-	-	-	-	200
9-	विभिन्न कृषि प्रक्षेत्रों पर अनुरक्षण कार्य	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	कुल योग	5768.2	8460	1250	-	1250	-	1025	300	1325	1517	1833	2535

उप विकास मद:-

मुख्य विकास मद:-

क्र०सं०	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय।	आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजी०	1990-91 अनुमोदित व्यय। कुल	पूंजी०	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	पूं०	कुल	1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2-	**उद्यान विभाग:-**												
	चालू योजनाऐं												
1.	औद्यानिक फसलों गुणात्मक उत्पादन बीज सम्बर्द्धन एवं आधुनिकीकरण।	1936.9	6090	681	-	681	-	825	710	1535	1006	1258	1610
2.	स्पटआन पलस्ट इल	-	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	योग चालू योजनाऐं:-	1936.9	6094	685	-	685	-	825	710	1535	1006	1258	1610
	नई योजनाऐं:-												
1.	इलाइट उद्यानों कीयोजना	-	800	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-
2.	पेराइलाइट इम्प्रूवमेन्ट एण्ड सोर्स एरिया	-	600	-	-	-	-	-	600	600	-	-	-
3.	प्रसंस्करण एवं विधायन की योजना।	-	125	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-
	महा योग:-	1936.9	7619	685	-	685	-	825	1435	2260	1806	1258	1610

(5)

उप विकास मद
मुख्य विकास मद — जनपदवार व्यय/ परिव्यय — जी0एन0-2 (ह0रु0 में)

क्र0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमानित परिव्यय		1990-91 अनुमानित परिव्यय		1991-92 प्रस्तावित परिव्यय		92-93 प्रस्तावित परिव्यय	93-94 प्रस्तावित परिव्यय	94-95 प्रस्तावित परिव्यय
				कुल	पूजी	कुल	पूजी	रा0	पू0 कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3-	निजी लघु सिंचाई												
	चालू योजनायें												
1-	अल्प सिंचाई हेतु अनुदान	8316	7341	1191	-	1191	-	1300	-	1300	1450	1600	1800
2-	बारिंग गोदाम एंव सुदृढीकरण	2300	1460	600	-	600	-	320	-	320	340	200	-
3-	उपकरण एंव संयंत्र	1400	2250	400	-	400	-	420	-	420	450	480	500
4-	अन्य व्यय	1100	860	-	-	-	-	180	-	180	200	230	250
5-	निःशुल्क बोरिंग हेतु नये बोरिंग सेटों का क्रय	4182	1170	-	-	-	-	-	250	250	280	300	340
	योग चालू योजनायें	17298	13081	2191	-	2191	-	2220	250	2470	2720	2810	2890
	नई योजनायें												
1-	वर्कशाप सेट विशेष उपकरण मरम्मत तथा सेड निर्माण	-	1170	-	-	-	-	150	100	250	280	300	340
2-	डिग्री डिप्लोमा होल्डरों का स्टाइपेण्ड		110	-	-	-	-	20	-	20	25	30	35
3-	स्प्रिंकलर	-	1150	-	-	-	-	250	-	250	300	350	250
4-	प्राइवेट एजिनिसपी द्वारा गहरी बोरिंग /नलकूप पर अनुदान	-	3100	-	-	-	-	700	-	700	750	800	850
	महा योग	17298	18611	2191	-	2191	-	3340	350	3690	4075	4290	4365

(9)

जनपदवार व्यय/परिव्यय   जी0एन02   प्रपत्र हजार में

उप विकास मद:-
मुख्य विकास मद:-

क्र0सं0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय		1990-91 अनुमोदित परिव्यय				1991-92 प्रस्तावित परिव्यय	1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
				कुल	पूंजी0	कुल	पूंजी	राजस्व	पूं0	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13	14
4=राजकीय लघु सिंचाई													
1.	राजकीय नलकूप (सामान्य-कार्यक्रम)	78004	47637	13437	13437	13437	13437	-	8100	8100	8400	8700	9000

1

उप विकास मद
मुख्य विकास मद

जनपदवार व्यय / परिव्यय जी0एन0-2 (ह0रू0में)

क्र0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय कुल	1990-91 अनुमोदित परिव्यय पूजी	1090-91 अनुमानित व्यय कुल	1090-91 अनुमानित व्यय पूजी	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय रा0	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय पू0	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय कुल	92-93 प्रस्तावित परिव्यय	93-94 प्रस्तावित परिव्यय	94-95 प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	पशु पालन												
1.	पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोग निदान अनुसंधान के सुधान एवं विस्तार कीयोजना	1645.9	1348	34	-	34	-	186	118	304	320	340	350
2.	खुरपका मुहपकारोग की रोकथाम की योजना के0पी	15.0	22.0	3	-	3	-	4	-	4	5	5	5
3.	अतिहिमीरत वीर्य द्वारा कृ0गर्भा0कार्यक्रम का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना	2148.1	3390	616	-	616	-	624	-	624	650	700	800
4.	कृत्रिम गर्भाशय के ढांचे के सुदृढ़ीकरण की योजना	171.0	25	5	-	5	-	5	-	5	5	5	5
5.	प्राकृतिक गर्भाधान ढांचे के द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं के उपलब्ध करने की एवं सांड़ों की क्रय योजना	764.7	565	-	-	-	-	30	400	430	40	45	50
6.	राज्य में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना तथा अन्य प्रजनन कार्यक्रम की योजना	689.1	352	10	+	10	-	70	-	70	86	86	100
7.	सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण एवं प्रजनन सुविधाओं को उपलब्ध करने की योजना	74.0	120	32	-	32	-	22	-	22	22	22	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	चारा एवं चारागाहो की विकास योजना	78.3	365	26	-	26	-	115	-	115	74	75	75
9.	मेडू प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना तथा उनका विश्लेषण एवं सुदृढ़ीकरण	218.6	176	35	-	35	-	35	-	35	35	35	36
10.	पशुधन विकास सम्बन्धी कार्यक्रमो के प्रसार एवं प्रचार की योजना	19.6	42	6	-	6	-	6	-	6	10	10	10
	योग	5820.3	6405	767	-	767	-	1097	518	1615	1247	1323	1452

उप विकास मद

मुख्य विकास मद

जनपदवार व्यय / परिव्यय

जी0एन-2 (हजार रु0 में)

क्र	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना 90-95	1990-91 अनुमोदित परिव्यय कुल	1990-91 अनुमोदित परिव्यय पूंजी	1990-91 अनुमानित व्यय कुल	1990-91 अनुमानित व्यय पूंजी	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय रा0	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय पू0	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय कुल	92-93 प्रस्तावित परिव्यय	93-94 प्रस्तावित परिव्यय	94-95 प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	**मत्स्य विभाग**												
1.	**मत्स्य पालक विकास अभिकरण चालू योजनाएं**												
1.	कार्यालय व्यय	-	500	80	-	80	-	90	-	90	100	110	120
2.	मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण	-	40	8	-	8	-	8	-	8	[illegible]	[illegible]	8
3.	तालाब सुधार एवं इनपुट्स हेतु अनुदान		787	108	-	108	-	119	-	119	145	180	235
4.	योग चालू योजनाएं	948.5	1327	196	-	196	-	217	-	217	253	298	363
	नई योजनाएं												
5.	अन्टा मत्स्य प्रक्षेत्र का सुधार	-	45	-	-	-	-	45	-	45	-	-	-
	महायोग	948.5	1372	196	-	196	-	262	-	262	253	298	363

उप विकास मद:
मुख्य विकास मद:

जनपदवार व्यय/परिव्यय — जी0एन0-2 — प्रपत्र-2

(हजार रुपये में)

क्रमसं0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजी0	1990-91 अनुमानित व्यय कुल	पूं0	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	पूं0	कुल	1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13	14
7-	**वन विभाग**												
1-	ग्रामीण ईंधन प्रजाति वृक्षारोपण ईंधन व चारा योजना (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)	7198	2850	500	-	500	-	500	-	500	580	620	650
2-	संचार साधन	100	655	100	100	100	100	-	105	105	120	150	180
3-	भवन निर्माण	747	680	100	100	100	100	-	110	110	120	150	200
4-	शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी	308	364	50	-	50	-	55	-	55	67	85	107
5-	वन मनोरंजन केन्द्र	404	729	100	50	100	50	55	55	110	134	170	215
6-	वन कर्मचारियों को सुविधा	548	729	100	50	100	50	55	55	110	134	170	215
7-	सामाजिक वानिकी	11913	25530	4500	-	4500	-	4650	-	4650	5000	5380 6725	6000
	योग	21218	31537	5450	300	5450	300	5315	325	5640	6155	6645	7567

उप विभाग मद
मुख्य विभाग मद

जनपदवार व्यय / परिव्यय

जी0एन0-2 प्रपत्र-2 (हजार रु0 में)

क्र0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय		1990-91 अनुमानित व्यय		1991-92 प्रस्तावित परिव्यय			1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
				कुल	पूंजी0	कुल	पूंजी0	राज0	पूंजी0	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	सहकारिता												
	सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना												
1.	जिला सहकारी बैंक को प्रबन्धकीय अनुदान	72	18	8	-	8	-	10	-	10	-	-	-
2.	उपभोग ऋण वितरण पर रिस्कफण्ड हेतु अनुदान	184	288	43	-	43	-	50	-	50	60	65	70
3.	निर्बल वर्ग (अनु0जाति/जनजाति के लोगों को अंश क्रय हेतु मध्यकालीन ऋण	250	345	50	-	50	-	55	-	55	70	80	90
2.	उपभोक्ता योजना												
1.	केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों की मूल्य उतार चढ़ाव निधि हेतु अनुदान (हानि पटाने हेतु	-	100	-	-	-	-	10	-	10	20	30	40
2.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत समितियों के कैश/क्रेडिट लिमिट/एफ0एस0एफ0 को व्यवसाय केन्द्र पोषित	180	7	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-
	योग	686	758	101	-	101	-	132	-	132	150	175	200

(ख)

उप विकास मद:
मुख्य विकास मद:

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी0एन0-2   (हजार रू0 में)

क्रमसं0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय कुल	1990-91 अनुमोदित परिव्यय पूंजी0	1990-91 अनुमानित व्यय कुल	1990-91 अनुमानित व्यय पूंजी0	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय राजस्व	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय पूंजी0	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय कुल	1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9-	पंचायत विभाग												
1-	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय आदि का निर्माण	102.5	6431	796	796	796	796	-	985	985	1200	1500	1950
2-	गांव सभाओं को अपनी आय में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन	30.0	60	12	-	12	-	12	-	12	12	12	12
3-	पंचायत उद्योग कार्यशाला भवन निर्माण	190.0	90	90	-	90	-	-	-	-	-	-	-
4-	पंचायत भवन निर्माण	1706.0	3720	-	-	-	-	-	640	640	780	950	1350
	योग	2028.5	10301	898	796	898	796	12	1625	1637	1992	2462	3312

(3)

उप विकास मद
मुख्य विकास मद

जनपदवार व्यय/परिव्यय

जो0एन0-2

(रु0 में)

क्रमसं0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय		1990-91 अनुमानित व्यय		1991-92 प्रस्तावित परिव्यय			92-93 प्रस्तावित परिव्यय	93-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
				कुल	पूंजी0	कुल	पूंजी0	राजस्व	पूं0	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10-	ग्राम्य विकास-चालू योजनयें												
अ-	एकीकृत ग्राम्य विकास योजनायें	30402.2	42978	7378	-	7378	=	8116	-	8116	9000	9042	9442
ब-	जवाहर रोजगार योजनायें	22636.0	55078	11338	-	11338	=	9869	=	9869	10924	11204	11743
स-	लघु सीमांत कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता	6932.6	5651	851	-	851	-	1089	-	1089	1207	1237	1267
द-	सूखा-उन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	11580.0	12375	2475	-	2475	-	2475	-	2475	2475	2475	2475
	योग	71550.8	116082	22042	-	22042	-	21549	-	21549	23606	23958	24927

जनपदवार व्यय / परिव्यय

उप विकास मद

मुख्य विकास मद

जी0एन0-2 प्रपत्र-2 (रु0में)

क्र0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय कुल	1990-91 अनुमोदित परिव्यय पूंजी	1990-91 अनुमानित व्यय कुल	1990-91 अनुमानित व्यय पूंजी	91-92 प्रस्तावित परिव्यय रा0	91-92 प्रस्तावित परिव्यय प0	91-92 प्रस्तावित परिव्यय कुल	92-93 प्रस्तावित परिव्यय	93-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
कं0सं0													
	11.सामुदायिक विकास- चालू योजनाएं												
1.	विकास खण्डों में आवासीय भवन निर्माण	9021.0	8782	2000	2000	2000	2000	2040	2040	2100	2642	-	
2.	सामुदायिक विकास जिला संग्रहीत कार्यालय भवन निर्माण	2000.0	11359	1000	1000	1000	1000	10359	10359	-	-	-	
	योग चालू योजनाएं	11021.0	20141	3000	3000	3000	3000	12399	12399	2100	2642	-	
	नई योजनाएं												
1.	प्रशिक्षण संस्थान बोहदपुरा में ओवर हेण्ड टैंक का निर्माण	-	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	
	महायोग	11021.0	20241	3000	3000	3000	3000	12499	12499	2100	2642	-	

(15)

उप विकास क्षेत्र जनपदवार व्यय / परिव्यय जी0एम-3 प्रपत्र-2 (ह0रू0)

मुख्य विभाग ...

क्र0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय		1990-91 अनुमानित व्यय			1991-92 प्रस्तावित परिव्यय		1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
				कुल	पूँजी0	कुल	पूँजी0	ए0	पू0	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13- विद्युत विभाग													
	चालू योजना												
1.	ग्रामीण विद्युतीकरण एवं सुधार	3200	18167	2500	2000	2500	2000	600	2150	2750	3355	4194	5368
	योग	3200	18167	2500	2000	2500	2000	600	2150	2750	3355	4194	5368

(व)

उप विकास मद

मुख्य विकास मद

जनपदवार व्यय / परिव्यय जी0एन0-2 [रू0 में]

क्र0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना [90-95]	1990-91 अनुमोदित परिव्यय		1990-91 अनुमानित व्यय		1991-92 प्रस्तावित परिव्यय			92-93 प्रस्तावित परिव्यय	93-94 प्रस्तावित परिव्यय	94-95 प्रस्तावित परिव्यय
				कुल	पूंजी0	कुल	पूंजी0	रा0	पू0	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	ग्रामीण एवं लघु उद्योग चालू योजनाएं												
1.	औद्योगिक फीडरलाइन लगाने तथा औ0आ0 की मरम्मत एवं रख रखाव	310.0	721	100	-	100	-	110	-	110	130	167	214
2.	उद्यमिता विकास प्रशि0 कार्यक्रम	198.0	363.	50	-	50	-	55	-	55	67	84	107
3.	मेला एवं प्रदर्शनियाँ	110.0	217	30	-	30	-	30	-	33	40	50	64
4.	जिला उद्योग केन्द्र मार्जिनमनी ऋण	459.1	725	100	-	100	-	110	-	110	134	167	214
5.	एकीकृत मार्जिनमनी ऋण	3060.2	6541	900	-	900	-	990	-	990	1208	1510	[illegible]
6.	औद्योगिक सहकारिता अवस्थापना												
अ.	अंश पूंजी ऋण	30.0	70	10	-	10	-	11	-	11	13	16	20
ब.	प्रबन्धकीय सहायकता	14.4	81	11	-	11	-	12	-	12	15	19	24
7.	हस्तकला सहकारी समितियों की सहा0												
अ.	अंश पूंजी ऋण	20.0	146	20	-	20	-	22	-	22	27	34	43
ब.	प्रबन्धकीय सहायकता	10.0	81	11	-	11	-	12	-	12	15	19	24
8.	हथकरघा सहकारी समितियों को सहा0												
अ.	अंश पूंजी ऋण	20.0	25	25	-	25							
ब.	प्रबन्धकीय सहायकता	10.0	45	45	-	45		योजनाओं के प्रस्ताव अप्राप्त					
2.	हथकरघा अनुधनीकरण	-	24	24	-	24							
	कुलयोग	4241.7	9039	1326	-	1326	-	1355	-	1355	1649	2066	2643

क्र0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय कुल	1990-91 अनुमोदित परिव्यय पूंजी0	1990-91 अनुमोदित व्यय कुल	1990-91 अनुमोदित व्यय पूंजी0	1991-92 प्रस्तावित रा0	1991-92 प्रस्तावित पूंजी0	1991-92 प्रस्तावित कुल	92-93 प्रस्तावित	93-94 प्रस्तावित	94-95 प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	सड़क एवं पुल												
क.	मिट्टी स्तर के कार्य	1187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख.	खड़ंजा स्तर के कार्य	25754	118028	16279	16279	16279	16279	-	8120	8120	15817	28970	48842
ग.	मार्ग सतह तथा उपर	23468	165196	17169	17169	17169	17169	-	16845	16845	30373	38685	62124
घ.	सेतु	4074	21993	2527	2527	2527	2527	-	1770	1770	2504	6832	8460
	योग	54483	305217	35975	35975	35975	35975	-	26735	26735	48594	74487	119426

उप विकास मद जनपदवार व्यय / परिव्यय जी0एन0-2 प्रपत्र-2

मुख्य विकास मद

क्र0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजी0	1990-91 अनुमानित व्यय कुल	पूंजी	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय रा0	पू0	कुल	1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	पर्यटन												
	चालू योजनाएं												
1.	अक्षरा देवी मन्दिर का स्थानीय पर्यटन विकास												
अ.	पेयजल व्यवस्था	-	150	-	-	-	-	-	150	150	-	-	-
ब.	बेंचें, रोड, रिटेनरिंग वाल एवं विद्युत व्यवस्था	106	525	-	-	-	-	-	-	-	125	200	200
	योग चालू योजनाएं	106	675	-	-	-	-	-	150	150	125	200	200
	नई योजनाएं												
1.	बैरागढ की शारदा देवी का विश्राम	-	500	-	-	-	-	-	-	-	100	200	200
2.	अक्षरा देवी मन्दिर के स्थानीय तालाब का निर्माण	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	महायोग	106	1375	-	-	-	-	-	150	150	225	400	600

5

(19)

उप विकास मद   जनपदवार व्यय / परिव्यय   जी0एन0-2   प्रपत्र-2 (हजार रू0 में)

मुख्य विकास मद

क्र0 योजना		1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय		1990-91 अनुमानित व्यय		1991-92 प्रस्तावित परिव्यय			1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
				कुल	पूंजी0	कुल	पूंजी	रा0	पू0	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	अर्थ एवं संख्या प्रभाग												
	चालू योजनाएं												
	कार्यालय में साज सज्जा एवं उपकरण आदि की आपूर्ति	180	166	24	24	24	24	-	17	17	25	100	-
	योग चालू योजना	180	166	24	24	24	24	-	17	17	25	100	-
	नई योजनाएं												
1.	फोटो कापियर तथा अमोनिया प्रिंट मशीन अनुरक्षण व्यय	=	54	-	-	-	-	10	-	10	12	15	17
2.	विकास कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अध्ययनहेतु व्यय	-	20	-	-	-	-	5	-	5	5	5	5
3.	सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी के स्थलीय सत्यापन हेतु मोटरसाइकिल तथा उसे रख रखाव की व्यवस्था	-	49	-	-	-	-	5	25	30	5	6	8
		180	289	24	24	24	24	20	42	62	47	126	30

20

उप विकास मद:

मुख्य विकास मद:

जनपदवार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

(हजार रू0 में)

क्रमसं0	योजना	1985-90 अन्तिम वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95)	1990-91 अनुमानित परिव्यय कुल	1990-91 अनुमानित व्यय पूंजी0	1990-91 अनुमानित व्यय कुल	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय पूंजी0 राजस्व	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय पूंजी0	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय कुल	1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18-	प्राथमिक शिक्षा- चालू योजनायें												
1-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में भवन रहित स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान	2094.0	1024.0	765.0	765.0	765.0	765.0	-	370	370	740	740	740
2-	वर्तमान रा0 बेसिक विद्यालयों का भवन निर्माण	-	88	88	88	88	88	-	-	-	-	-	-
3-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में सी0बे0 स्कूलों का भवन निर्माण हेतु अनुदान	298.0	444.0	72.0	72.0	72.0	72.0	760	-	760	1110	740	1110
4-	ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट जू0बे0स्कूल खोलने हेतु अनुदान	226.0	2099.4	85.4	-	85.4	-	602	990	1592	3966	5616	8966
5-	जू0बे0 स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं साज सज्जा हेतु अनुदान	16.0	240	48	-	48	-	48	-	48	48	48	48
6-	ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालकों को पाठ्यपुस्तकों के वितरण प्रोत्साहन अनुदान।	63.0	300	60	-	60	-	60	-	60	60	60	60
7-	नगर क्षेत्र के सी0बी0स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार एवं साज सज्जा हेतु अनुदान।	109.0	230	25	-	25	-	30	-	30	50	50	75
8-	प्रत्येक जिले में जि0वे0अधिकारियों के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण।	51.0	250	50	-	50	-	50	-	50	50	50	50
9-	प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा-6,8 में 15रू0प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए योग्यता छात्रवृत्ति।	200.3	259	67	-	67	-	48	-	48	48	48	48

(12)

10. बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के दक्षता पुरस्कार	41.0	204	33	-	33	-	36	-	36	40	45	50
11. जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों के भवनों का निर्माण	800	3700	200	-	200	-	-	1500	1500	2000	-	-
12. ग्रामीण क्षेत्रों के सी०बे०स्कूलों के लिये साजसज्जा हेतु अनुदान	162.0	855	105	-	105	-	120	-	120	210	210	210
13. जू०बे०स्कूलों में शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	145.0	798	67	-	67	-	175	-	175	180	186	190
14. अवैतनिक मदरसों की अनुरक्षण एवं विकास अनुदान	-	200	40	-	40	-	40	-	40	40	40	40
15. आयुवर्ग-6-14 के बच्चों के लिए अंशकालिक अनौपचारिक कक्षायें खोलने हेतु केन्द्र प्रायोजित	2804.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग चालू योजनाएं	30730.6	42798	10007	8458	10007	8458	1969	2860	4829	8542	7833	11587
16. असेवित क्षेत्रों में बालक/बालिकाओं के सी०बे०स्कूल खोलने हेतु अनुदान	-	16632	-	-	-	-	873	1665	2538	3618	4698	5778
महायोग	30730.6	59430	10007	8458	10007	8458	2842	4225	7367	12160	12531	17365

मुख्य विकासमद — जनपदवार व्यय / परिव्यय — जी0एन0-2 — लाख रु0 में

क्र0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना 90-95	1990-91 अनुमोदित परिव्यय कुल	1990-91 अनुमोदित परिव्यय पूजी0	1990-91 अनुमानित व्यय कुल	1990-91 अनुमानित व्यय पूजी	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय रा0	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय पू0	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय कुल	92-93 प्रस्तावित परिव्यय	93-94 प्रस्तावित परिव्यय	94-95 प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	माध्यमिक शिक्षा चालू योजनाएं												
1.	कक्षा 6-8 में बालकों को 30/- तथा बालिकाओं को 40/-रु0 प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति	102.4	86	50	-	50	-	9	-	9	9	9	9
2.	राजकीय इण्टर कालेज में अतिरिक्त अनुभाग तथा नये विषयों का समावेश	91.4	550	-	-	-	-	150	-	150	150	100	150
3.	विभिन्न स्तरों पर खेलकूद रैली, युवा शिविरों का आयोजन	37.5	114	18	-	18	-	20	-	20	23	25	28
4.	राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास	400.0	205	-	-	-	-	120	-	120	25	30	30
5.	उ0मा0 विद्यालय में छात्रवृत्ति पर कक्षा वृद्धि एवं काष्ठोपकरण आदि हेतु अनुदान तथा विद्यालय में पढ़ रही बालिकाओं को विशेष सुविधा	315.3	566	91	-	91	-	100	-	100	120	125	130
6.	सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास पर अनुदान	0.6	40	-	-	-	-	10	-	10	10	10	10
7.	राजकीय उ0मा0 विद्यालयों के भवन नि0	300.0	6900	1000	1000	1000	1000	-	900	900	2000	3000	-
	योग	1247.2	8461	1159	-	1159	100	409	900	1309	2337	3299	357

(83)

नई योजनायें

1. असहायिक उ०मा०वि० को अनुरक्षण अनुदान	-	22600	-	-	-	-	2000	-	2000	4500	6800	9300
2. विकास खण्ड स्तर पर राजकीय कन्या स्कूल का खोला जाना	-	10350	-	-	-	-	500	-	500	2100	3300	4450
3. कक्षा 9 से 12 तक बालकों को शुल्कमुक्ति	-	19000	-	-	-	-	4000	-	4000	4500	5000	5500
4. महायोग	1247.2	60411	1159	1000	1159	1000	6909	900	7809	13437	18399	19607

उप विकास मद

मुख्य विकास मद

जनपदवार व्यय / परिव्यय — जी0एन0-2 प्रपत्र-2

क्र0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय		1990-91 अनुमानित व्यय		1991-92 प्रस्तावित परिव्यय			1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
				कुल	पूंजी0	कुल	पूंजी	रा0	पू0	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	प्राविधिक शिक्षा												
1.	पॉलिटेकनिक की स्थापना में साज सज्जा एवं भूमि अधिग्रहणप्रतिकर	8369	662	412	412	412	412	~~412~~	250	250	-	-	-
	योग	8369	662	412	412	412	412	-	250	250	-	-	-

उप विकास मद
मुख्य विकास मद

जनपदवार व्यय / परिव्यय   जी०एन०-2   (ह०रु०में)

क्र०	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित कुल	1990-91 अनुमोदित पूजी	1990-91 अनुमानित कुल	1990-91 अनुमानित पूजी	1991-92 परिव्यय रा०	1991-92 परिव्यय पू०	1991-92 परिव्यय कुल	92-93 परिव्यय प्रस्तावित	93-94 परिव्यय प्रस्तावित	94-95 परिव्यय प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	प्रादेशिक विकास दल												
1.	प्रादेशिक विकास दल के रक्षकों को वर्दी एवं प्रशिक्षण दिलाया जाना	382.0	724	100	-	100	-	110	-	110	134	165	215
2.	समाज सेवा / सुरक्षा कार्य	158.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन	289.2	307	43	-	43	-	47	-	47	57	70	90.
4.	युवक मंगल दलों तथा महिला मंगल दलों के सुदृढ़ीकरण हेतु आर्थिक सहायता	755.2	1198	220	-	220	-	152	-	152	218	269	339
5.	युवा संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम	93.0	95	23	-	23	-	13	-	13	15	19	25
6.	व्यायामशालाओं का निर्माण एवं संचालन	569.0	816	120	120	120	120	-	130	130	158	197	256
7.	विवेकानन्द यूथ एवार्ड	57.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	साहसिक कार्य क्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	जिला कार्यालय सुदृढ़ीकरण	94.0	42	5	-	5	-	6	-	6	8	9	14
10.	ग्रामीण युवकों का व्या०प्रशि०/रोजगार	890.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुलयोग	3287.4	3227	511	120	511	120	328	130	458	590	729	936

उप विकास मद
मुख्य विकास मद

जनपदवार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2 प्रपत्र-2

क्र0सं0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय कुल	1990-91 अनुमोदित परिव्यय पूंजी	1990-91 अनुमानित व्यय कुल	1990-91 अनुमानित व्यय पूंजी	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय रा0	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय पू0	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय कुल	1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	खेलकूद (चालू योजनाएं)												
2-1.	खेलकूद उपकरण/सामग्री की सम्पूर्ति	-	225	25	-	225	-	35	-	35	45	55	65
2.	विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन	-	275	35	-	35	-	45	-	45	55	65	75
	चालू योजना योग	-	500	60	-	60	-	80	-	80	100	120	140
	नई योजनाएं												
1.	बहुउद्देशीय हाल का निर्माण (मल्टीपरपज बैडमिंटन खेलने हेतु)	-	1250	-	-	-	-	-	-	-	650	600	-
2.	तहसील स्तर पर स्टेडियम का निर्माण (सभी प्रकार के खेल)	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	महा योग	।	1950	60		60		80		80	750	720	340

(27)

क्र0स0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमानित परिव्यय		1990-91 अनुमानित व्यय		1991-92 प्रस्तावित परिव्यय			92-93 प्रस्तावित परिव्यय	93=94 प्रस्तावित परिव्यय	94-95 प्रस्तावित परिव्यय
				कुल	पूंजी	कुल	पूंजी	रा0	पू0	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23-	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग												
	चालू योजनायें												
1-	प्रा0स्वा0केन्द्र क्षेत्र में उपकेन्द्र भवन निर्माण	2558.0	16155	1950	1950	1950	1950	-	2280	2280	2925	4000	5000
2-	प्रा0स्वा0केन्द्र भवन निर्माण	3861.0	20350	1700	1700	1700	1700	-	1750	1750	4250	6300	6350
3-	प्रा0स्वा0 केन्द्रों की स्थापना	3093.2	1251	1251	-	1251	-	-	-	-	-	-	-
4-	सा0इ0स्वा0केन्द्रों का निर्माण	6267.0	20980	2430	1200	2430	1200	1800	1800	3600	3700	3750	7500
5-	सामु0स्वा0केन्द्र की स्थापना		2710	500	-	500	=	500	-	500	550	570	590
6-	रा0चिकि0में रोगी शैय्याओंका सुदृढीकरण	4062.0	5300	1000	500	1000	500	500	500	1000	1050	1100	1150
7-	अस्पतालों में साजसज्जा एवं डीजल जनरेटर क्रय	207.0	425	-	-	-	-	-	212	212	213	-	-
8-	चीर घर निर्माण	300.0	204	204	204	204	204	-	-	-	-	-	-
9-	आयु0यूनानीऔषधालयों की स्थापना	386.8	1085	200	-	200	-	250	-	250	255	220	160
10-	जिला आयु0यूनानी अधिकारी कार्या0 साज सज्जा एंव प्रसार	464.5	620	100	-	100	-	105	-	105	125	140	150
11-	वर्तमान आयु0यूनानी औषधालयों का प्रान्तीयन	335.0	308	-	-	-	-	55	-	55	68	85	100
12-	राजकीय होम्यो0चि0 की स्थापना	637.6	732	150	-	150	-	155	-	155	157	160	110
13-	रा0होम्यो0चि0भवन निर्माण	350.0	2145	400	400	400	400	-	405	405	510	510	320
14-	रा0होम्या0अस्प0में अतिरिक्त दवाइयों का व्यवस्था	40.0	368	50	-	50	-	55	-	55	68	85	110
15-	उपचारकाओं के आवास गृह की साज सज्जा व्यवस्था हेतु	1450.0	201	91	91	91	91	-	50	50	60	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	एस०टी०डी० क्लीनिंग	-	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-
17.	जिला महिला चिकि० में पैथोलोजी की व्यवस्था	-	35	35	-	35	-	-	-	-	-	-	-
18.	एम्बोलेन्स की व्यवस्था	-	150	150	150	150	150	-	-	-	-	-	-
19.	ई०एन०टी० यूनिट व्यवस्था	-	262	20	-	20	-	-	65	65	65	67	45
20.	25/15 शैयाओं युक्त आयु० यूनानी औषधालयों की स्थापना	-	1025	150	-	150	-	200	-	200	250	210	215
	योग	54293.2	74356	10431	6195	10431	6195	4025	6657	10682	14246	17197	21800
	नई योजनाएं												
1.	सी०एम०ओ० कार्यालय भवन का निर्माण	-	1000	-	-	-	-	-	1000	1000	-	-	-
2.	प्रा०स्वा०/सा०स्वा० केन्द्रों के लिए दवाओं की अतिरिक्त व्यवस्था	-	1780	-	-	-	-	350	-	350	400	480	550
3.	जिला चिकि० के लिये अतिरिक्त दवाओं की व्यवस्था	-	1038	-	-	-	-	200	-	200	220	268	350
4.	आयु० यूनानी औषधालयों का भवन निर्माण	-	3650	-	-	-	-	-	500	500	1000	1050	1100
	महायोग	54293. 2	81824	10431	6195	10431	6195	4575	8157	12732	15866	18995	23800

उप ािकास पद
मुख्य विकास पद

जनपदवार व्यय / परिव्यय

जी0एन0-2 ३ हरु0में३

क्र0 योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना 90-95	1990-91 अनुमोदित परिव्यय कुल	1990-91 अनुमोदित परिव्यय पूजी0	1990-91 अनुमोदित व्यय कुल	1990-91 अनुमोदित व्यय पूजी	रा0	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय फु	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय कुल	92-93 प्रस्तावित परिव्यय	93-94 प्रस्तावित परिव्यय	94-95 प्रस्तावित परिव्यय
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24-जलनिगम												
1. गिरथान ग्रामसमूह पेयजल योजना	3630.6	1000	1000	1000	1000	1000	-	-	-	-	-	-
2. मदारीपुर ग्रामसमूह पेयजल योजना	8360.0	700	700	700	700	700	-	-	-	-	-	-
3. रामपुरा ग्रामसमूह पेयजल योजना	700.0	1400	900	900	900	900	-	500	500	-	-	-
4. वावई ग्रामसमूह पेयजल योजना	700.0	1699	800	800	800	800	-	899	899	-	-	-
5. उसरगांव ग्रामसमूह पेयजल योजना	200.0	2365	600	600	600	600	-	765	765	1000	-	-
6. अकबरपुर इटौरा ग्रामसमूह पेयजल योजना	338.0	2800	800	800	800	800	-	1000	1000	1000	-	-
7. लैटरा ग्रामसमूह पेयजल योजना ३तुरत रा0३	556.0	1559	1559	1559	1559	1559	-	-	-	-	-	-
8. पहाड़गांव ग्रामसमूह पेयजल योजना	600.0	1612	800	800	800	800	-	500	500	312	-	-
9. ववीना ग्रामसमूह पेयजल योजना	600.0	396	396	396	396	396	-	-	-	-	-	-
10. कुठौंद ग्रामसमूह पेयजलयोजना ३तुरन्त रा0३	2100.0	200	200	200	200	250	-	-	-	-	-	-
11. महोरा पेयजल योजना	-	2788	788	788	788	788	-	1000	1000	1000	-	-
12. आटा पेयजलयोजना ३तुरन्त रा0३	-	1250	950	950	950	950	-	300	300	-	-	-
13. करमेर ग्रामसमूह पेयजल योजना	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	1000	2200	2800
14. गहिला ग्रामसमूह पेयजल योजना	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	1000	1700	3300
15. नूरपुर ग्रामसमूह पेयजल योजना	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	1000	1700	3300
16. कुटपिली ग्रामसमूह पेयजल योजना	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	1000	2000	3000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17-	सरसैला ग्राम समूह पेयजल योजना	-	5001	-	-	-	-	-	-	-	+500	1750	1751
18-	हरसैली ग्रा0 समूह पे0यो0 (स्त्रोत वृद्धि)	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000
19-	अरेखी ग्रा0समूहपे0यो0	,,	2000	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000
20-	बहादुरपुर बरवली ग्राम समूह पेयजल योजना (स्त्रोत वृद्धि)	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000
21-	खकसीस ग्रा0 समूह पेयजल योजना (तुरन्त राहत)	-	1999	-	-	-	-	-	762	762	287	950	-
22-	मडेवा ग्राम समूह पेयजल योजना	-	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	2300	2700
23-	हैण्ड पम्प योजना (री बोरिंग)	-	10458	1350	1350	1350	1350	-	1858	1858	2000	2500	2750
	योग		17784-6	17104.6	70227	10843	10843	10843	-	7584	7584	12099	18100	21601

f वकास मद

विकास मद

जनपदवार व्यय / परिव्यय जी०एन०-2 प्रपत्र-2 (रू० में)

योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय कुल	1990-91 अनुमोदित परिव्यय पूंजी०	1990-91 अनुमोदित व्यय कुल	1990-91 अनुमोदित व्यय पूंजी०	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय रा०	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय पू०	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय कुल	1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हरिजन पेयजल कूप												
हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत कूप निर्माण	6455	9700	2500	-	2500	-	1920	-	1920	1840	1720	1720
योग	6455	9700	2500	-	2500	-	1920	-	1920	1840	1720	1720

(32)

उप विकास मद
मुख्य विकास मद

जनपदवार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

पृष्ठ-2

क्रमसं	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमानित परिव्यय	1990-91 अनुमानित व्यय		1991-92 प्रस्तावित परिव्यय		1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
					कुल पूंजी0	कुल	पूंजी0 राजस्व	पू0 कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26-	निर्बल वर्ग आवास												
1-	ग्रामीण निर्बल वर्ग आवास निर्माण	4673.2	14873	2673	-	2673	-	2500	-	2500	3000	3200	3500
	योग	4673.2	14873	2673	-	2673	-	2500		2500	3000	3200	3500

(33)

उप विकास मद
मुख्य विकास मद

जनपदवार व्यय / परिव्यय — जी0एन0-2 प्रपत्र-2 (रू0 में)

क्र0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजी	1990-91 अनुमानित व्यय कुल	पूंजी	रा0 पू0 योग	91-92 परिव्यय प्रस्तावित परिव्यय	92-93 परिव्यय प्रस्तावित परिव्यय	93-94 परिव्यय प्रस्तावित परिव्यय	94-95 परिव्यय प्रस्तावित परिव्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	**पूल्ड हाउसिंग (चालू योजनाएं)**												
1.	पूल्ड हाउसिंग कार्य	3000	2557	2557	2557	2557	2557	-	-	-	-	-	-
	नई योजनाएं												
1.	पूल्ड हाउसिंग कार्य		16100	-	-	-	-	-	2600	2600	3500	4400	5600
	योग	3000	18657	2557	2557	2557	2557	-	2600	2600	3500	4400	5600

34

उप विकास मद
मुख्य विकास मद

जनपदवार व्यय / परिव्यय

जी0एन0-2 (रु0 ल0 में)

क्र0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजी	1990-91 अनुमानित व्यय कुल	पूंजी	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय रा0	पू0	कुल	92-93 प्रस्तावित परिव्यय	93-94 प्रस्तावित परिव्यय	94-95 प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	हरिजन एवं समाज कल्याण												
अ.	हरिजन कल्याण- चालू योजनाएं												
1.	अनुसूचित जाति के छात्रों को कल्याण हेतु छात्रवृत्ति												
2.	प्राइमरी स्तर कक्षा 1 से 5	35366	5585	300	-	300	-	920	-	920	1125	1410	1830
3.	जूनियर हाईस्कूल कक्षा 6 से 8	2555.2	1670	200	-	200	-	220	-	220	300	550	400
2.	पिछड़ी जाति के छात्रों के कल्याण हेतु छात्रवृत्ति*												
अ.	प्राइमरी स्तर कक्षा 1 से 5	909.2	530	80	-	80	-	90	-	90	100	120	140
ब.	जूनियर हाईस्कूल कक्षा 6 से 8	1258.0	530	80	-	80	-	90	-	90	100	120	140
3.	विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्राइमरी पा0शा0छात्रावास एवं पुस्तकालयों का सुधार एवं विस्तार	782.0	3418	564	-	564	-	541	-	541	660	725	928
	योग चालू योजना	[illegible]	11733	1224	-	1224	-	1861	-	1861	2285	2925	3438

(35)

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-11
DOC. No. ....

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
नई योजनाएं												
वाहन व्यवस्था		164	-	-	-	-	-	-	-	164	-	-
2. कार्यालय के सुदृढ़ीकरण एवं साजसज्जा हेतु उपकरण/सामग्री		31	-	-	-	-	-	31	31	-	-	-
3. कक्षा 9 व 10 के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु अनुदान		1600	-	-	-	-	350	-	350	380	420	450
4. कक्षा 9 व 10 के पिछड़ी जाति के छात्रों को योग्यता के के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु अनुदान		1120	-	-	-	-	200	-	200	250	320	350
5. पूर्वदशम कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा से घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु ... शुल्कक्षतिपूर्ति		830	-	-	-	-	150	-	150	200	230	250
6. चिकित्सा/अभियंत्रण विषयों से पढ़नेवाले अनुसूचित जाति के छात्रों को आर्थिक सहायता		34	-	-	-	-	6	-	6	7	9	12
महायोग	70411.0	15512	1224	-	1224	-	2567	31	2598	3286	3904	4510
ब. समाज कल्याण- चालू योजनाएं												
1. निराश्रित विकलांग पेंशन समाज उत्थान हेतु अनुदान	689.4	3375	327	-	327	-	508	-	508	620	775	1010
2. निराश्रित विधवा पेंशन हेतु अदनुदान	4167.0	10180	1395	-	1395	-	1535	-	1535	1870	2340	3040
3. निराश्रित विकलांग हेतु छात्रवृत्ति अन	222.5	20	2	-	2	-	3	-	3	4	5	6
4. विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग हेतु अनुदान	65.0	209	40	-	40	-	30	-	30	36	45	58
5. अकिंचन दाह संस्कार अनुदान	9.0	24	5	-	5	-	3	-	3	4	5	7
योग	5387.9	13808	1769	-	1769	-	2079	-	2079	2534	3170	4121

उप विकास मद:
मुख्य विकास मद:

जनपदवार व्यय/परिव्यय जो0एन0-2 (हजार रू0 में)

क्रमसं0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990-95	1990-91 अनुमोदित परिव्यय		1990-91 अनुमानित व्यय		1990-91 प्रस्तावित परिव्यय			1991-92 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
				कुल	पूंजी0	कुल	पूंजी0	राजस्व	पूंजी0	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29-	पूरक पुष्टाहार (समाज कल्याण)												
1-	पूरक पुष्टाहार	6258	21662	833	-	833	-	4866	-	4866	4510	5271	6182
	योग	6258	21662	833	-	833	-	4866	-	4866	4510	5271	6182

नोट :- वर्ष 90-91 हेतु 3023 हजार रू0 पी0एल0ए0 में जमा है ।

जनपदवार व्यय/परिव्यय जी0एन02 प्रपत्र-2

उप विकास मद:-
मुख्य विकास मद:-

क्र0सं0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95)	1990-91 अनुमोदित परिव्यय		1990-91 अनुमोदित व्यय		1991-92 प्रस्तावित परिव्यय			1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	1993-94 प्रस्तावित परिव्यय	1994-95 प्रस्तावित परिव्यय
				कुल	पूंजी0	कुल	पूंजी0	राजस्व	पूं0	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3अ-दुग्धशाला विकास												
	दुग्ध संघ का सुदृढीकरण एवं विस्तार												
1.	ट्यूब वेल निर्माण		400	-	-	-	-	-	400	400	-	-	-
2.	सिविल निर्माण कार्य		1000	-	-	-	-	-	1000	1000	-	-	-
3.	डी.डी.पी. इन्फ्लएन्टमैंट प्लांट		1000	-	-	-	-	-	1000	1000	-	-	-
4.	मशीनरी एवं उपकरण		1450	-	-	-	-	-	1450	1450	-	-	-
5.	सोलरवाटर हीटर प्लांट		350	-	-	-	-	-	350	350	-	-	-
6.	आवासीय भवन एवं कार्यालय भवन		1730	-	-	-	-	-	-	-	900	830	-
7.	कैटलफीड गोडाउन		150	-	-	-	-	-	150	150	-	-	-
8.	समिति सहायता 25 समिति के लिऐं।		958	-	-	-	-	-	278	278	295	385	-
9.	दो मिल्कवार		150	-	-	-	-	-	150	150	-	-	-
10.	वाहन व्यवस्था		1250	-	-	-	-	-	325	325	925	-	-
11.	क्रियाशील पूंजी		400	-	-	-	-	-	200	200	200	-	-
12.	दुग्ध का निर्माण 40समितियों में		1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400
13.	मशीनरी एवं अनुरक्षण		400	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
	योग:-		10638	-	-	-	-	-	5303	5303	2320	1415	1600

(38)

उप विकास मद

मुख्य विकास मद

जनपदवार व्यय / परिव्यय

जी0एन0-2 (रू0 में)

क्र0	योजना	1985-90 वास्तविक व्यय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (90-95)	1990-91 अनुमोदित कुल	1990-91 अनुमोदित पूंजी0	1990-91 अनुमानित कुल	1990-91 अनुमानित पूंजी0	1991-92 प्रस्तावित रा0	1991-92 प्रस्तावित पू0	1991-92 प्रस्तावित कुल	92-93 प्रस्तावित	93-94 प्रस्तावित	94-95 प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.	शिल्पकार प्रशिक्षण चालू योजनाएं												
1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण												
अ.	साज सज्जा की आपूर्ति	-	488	292	200	292	200	-	196	196	-	-	-
ब.	आवास निर्माण	-	77	77	77	77	77	-	-	-	-	-	
सं.	व्यवसायिक प्रशिक्षण	546	548	-	-	-	-	125	-	125	136	139	148
	योग चालू योजनाएं	546	1113	369	277	369	277	125	196	321	136	139	148
	नई योजनाएं												
1.	संस्थान के आटो सेड व प्रशासनिक कक्ष को घेरे जाने वाली चारदीवार का निर्माण	-	62	-	-	-	-	-	62	62	-	-	-
2.	तहसील स्तर पर कालपी में नई आई0टी0आई0 का सृजन	-	2288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2288
3.	कालपी में आई0टी0आई0 हेतु भवन किराया	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
	महायोग	546	3523	369	277	369	277	125	258	383	136	139	2496

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. कृषि विभाग										
1. फार्मों के बीजों के विधायन हेतु सड़क का निर्माण	मीटर	-	-	300	-	-	300	-	-	-
2. प्रक्षेत्र हेतु ट्रेक्टर क्रय करना	से0	-	-	3	-	-	1	1	1	-
3. धन्जावीज गो0को पूर्ण कराने की अति0 धन की मांग	"	-	-	1	-	-	1	-	-	-
4. जखौली प्रक्षेत्र पर साइफन का निर्माण		-	-	1	-	-	1	-	-	-
5. जखौली पुवर पृक्षेत्र अधीक्षक अधूरे आवास निर्माण हेतु अति0धन की मांग		-								
6. प्रक्षेत्र हेतु एल्यो0पाइप क्रय करना	मी0		-	500	-	-	500	-	-	-
7. गिरथान प्र0 पर ग्रेन गोदाम का निर्माण	सं0		-	1	-	-	-	*	1	=
8. जखौली प्र0 पर सम्पर्क मार्ग का निर्माण करना	मी0		-	200	-	-	-	-	-	200
9. विधायन संयत्र व गोदाम लेमर्श का निर्माण			-	0.2	-	-	=	-	-	02
10. कृषि रक्षा यंत्रों का क्रय करना	सं0		-	250	21	21	23	67	70	75

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि   जा0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 का प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमोदित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. उद्यान विभाग-चालू योजनाए										
प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन केन्द्र की स्थापना										
अ. राजकीय पौधशाला बागी-										
फलदार पौध उत्पादन	सं0	93541	328660	534400	82000	82000	82000	84000	88700	97700
शाकभाजी वहन उत्पादन	लT0	2	10	21	3	3	3	3	4	4
शाक भाजी उत्पादन	कु0	10	50	98	15	17	20	20	21	22
ब. राजकीय पौधशाला 14.41 एकड़ वोहदपुरा										
1. फलदार पौध उत्पादन	सं0	400	155552	371700	71500	71500	74200	74200	75000	76000
सागभाजी वहन उत्पादन	लT0	4	11	22	4	4	4	4	5	5
सागभाजी बीज उत्पादन	कु0	10	42	98	15	17	20	20	21	22
स. राजकीय आलू एवं सागभाजी प्रक्षेत्र करसान										
सागभाजी बीज उत्पादन	कु0	100	481	590	110	110	115	120	120	125
आधारित आलू बीज उत्पादन	कु0	-	347	1900	300	390	400	400	400	400
सागभाजी वहन उत्पादन	लT0	4	11	22	4	4	4	4	5	5
द. राजकीय पौधशाला बाबई										
फलदार पौध उत्पादन	सं0	-	-	9000	-	-	-	30000	30000	30000
सागभाजी बीज उत्पादन	कु0	-	-	15	-	-	-	5	5	5
सागभाजी वहन उत्पादन	लT0	-	-	6	-	-	-	2	2	2

भौतिक लक्ष्य/ जा0ए0-3
उपलब्धि

मद	इकाई	सातवींयोजना 85-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवींयोजना 85-90 की वास्तविक उपलब्धि	आ0वींयोजना 1990-95के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	1990-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3- निजी लघु सिचाई										
1- अल्प सिचाई हेतु अनुदान										
1- निजी नलकूप एंव पम्पसेट	सं0	1716	1816	3325	465	465	465	465	465	465
2- गहरे नलकूप	,,	213	213	190	190	30	30	40	40	40
3- आर्टीजन वेल	,,	243	243	380	60	60	80	80	80	80
2- बोरिंग गोदाम निर्माण एंव सुदढीकरण	,,	-	1	9	4	4	2	2	1	--
3- सिंचन क्षमता	हे0	11351	11351	20805	2985	2935	3205	3205	3205	3205

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि   जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 1985-90 वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1 2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. राजकीय नलकूप सिंचाई										
1. नलकूपों का छिद्रण	सं0	365	34	38	6	6	8	8	8	8
2. एलिमेटेड टैंकों का निर्माण	सं0	365	34	38	6	6	8	8	8	8
3. विकसन	सं0	365	34	38	6	6	8	8	8	8
4. पम्प गृह निर्माण	सं0	365	34	38	6	6	8	8	8	8
5. पम्प सेट स्थापना	365	365	34	38	6	6	8	8	8	8
6. पी0वी0सी0पाइप लाइन	कि0मी0	460	128	166	26	26	35	35	35	35
7. नलकूपों का उर्जीकरण	सं0	365	34	38	6	6	8	8	8	8
8. वरहा	कि0मी0	2190	648	266	42	52	56	56	56	56

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि — जी०एन०8 3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. पशुपालन										
1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें पशु चिकित्सा सुधार एवं विस्तार की योजनायें										
अ. पशुचिकित्सा	ह०सं०	857	857	1324	174	174	275	280	295	300
ब. बधियाकरण	"	991	991	125	25	25	25	25	25	25
स. टीकाकरण	"	1323	1323	1450	350	350	350	350	350	350
2. खरपका/मुंहपका रोग	"	23	23	26	6	6	6	6	7	7
3. अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भा०	सं०	18000	18500	24000	4000	4500	5000	6000	6500	7000
4. प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशुपालन सुविधायें की उपलब्ध कराने की योजना										
गाय-	सं०	45	3842	7500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
भैंस	"	979	7974	12500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
5. प्रदेश में क०ग०सम्बन्धी ढांचे के सुदृढीकरण की योजना	-	3584	15415	20000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
6. बकरीप्रजनन सुविधायें हेतु योजना	सं०	26000	25594	46000	80000	8500	9000	9500	9500	9500
7. चारा बीज एवं चारागाह के विकास की योजना	हे०	535	605	600	120	120	120	120	120	120
8. सूकर प्रजननसुविधायें का विस्तार एवं सुदृढीकरण की योजना	सं०	277	3208	5000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. मत्स्य										
मत्स्यपालक विकास अभिकरण										
1. तालाब सुधार हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव	हे0	250	455	465	85	86	95	95	95	95
2. मत्स्यपालकों के प्रशिक्षण	सं0	270	525	465	85	90	95	95	95	95

रूपपत्र-3 जी0एन0-3

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

क्रमसं0	इकाई	ई0	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उप0	आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	1990-91 अनुमानित उपलब्धि	1991-92	92-93	93-94	94-95
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7- वन विभाग											
1- ग्रामीण ईंधन प्रजाति का वृक्षारोपण/ईंधन एवं चारा प्रयोजन केन्द्र द्वारा पूरे निधानित:											
अ- पुनरोपण कार्य	है0		945	920	735	735	777	567	333	406	
ब- वृक्षारोपण कार्यक्रम	है0		1025	1275	387	387	180	153	253	302	
स- भूमि सुधार कार्य	है0		1115	1236	180	180	153	253	302	348	
द- पौध उत्पादन	ला0में		86.60	-	-	-	-	-	-	-	
2- संचार साधन	कि0		160	5000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
अ- पक्की सड़क निर्माण											
3- भवन योजना			2	4	1भाग	1भाग	1भाग	1	1	1	
4- शहरी क्षेत्र में सा0वा0 पौध सं0			6865	12500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
टागार्ड	सं0		600	-	-	-	-	-	-	-	
5- वन मनोरंजन											
वन पार्कों का विकास	सं0		3	1	-	-	-	-	-	-	
वन पार्कों का रखरखाव	सं0		-	3	2	2	1	-	-	-	
6- वन कर्मचारियों को सुविधा											
अ- ओवर हेड टैंक	सं0		1	4	-	-	1	1	1	1	
ब- हैण्ड पाइप	सं0		3	4	4	4	-	-	-	-	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
स- शौचालय		सं0	1	11	-	-	-	-	-	-	-
द- विद्युतीकरण स्थान		सं0	-	-	4	-	1	1	1	1	1
6- लेवर हट		सं0	-	5	-	-	-	-	-	-	-
7- सामाजिक वानिकी											
अ- पुनर्रोपण कार्य		है0		1413	3065	623	623	544	506	640	752
ब- वृक्षारोपण कार्य		,,		984	1823	190	190	316	324	428	565
स- भूमि सृजन कार्य		,,		804	2263	316	316	324	428	565	630
द- पौधालय	पौध सं0	लाख		81.52	200	40	40	40	40	40	40
य- भवन		सं0		8	5	-	-	-	-	2	2
र- वाहनों का क्रय											
क- ट्रैक्टर				2	4	1	1	1	1	1	-
ख- ढाला				3	4	1	1	1	1	1	-
ग- टैंकर				4	-	-	-	-	-	-	-
घ- जीप				-	2	-	-	1	-	-	1

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भिक स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 90-91 लक्ष्य	वर्ष 90-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. सहकारिता										
अधिकोषण योजना										
1. सह0बैंक की शाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान	(सं0)	1	12	5	3	3	2	-	-	-
सहकारी शाखाओं के नवीनीकरण हेतु	(सं0)	1	4	-	-	-	-	-	-	-
3. उपभोग 38 वितरण पर रिस्कफण्ड	(सं0)	45	136	45	30	30	30	35	40	45
4. उपभोक्ता योजना										
1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पैक्स की उपभोक्ता	(सं0)	69	24	1	-	-	01	:	-	-
2. केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों के मूल्य उतार चढ़ाव हेतु अनुदान	(सं0)	-	-	1	1	1	01	1	1	1

(47)

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि   जी०एन०-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 85-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 85-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 90-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. पंचायत										
1. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम शौचालयों निर्माण	ग्रा०सं०	330	303	~~3550~~ 3540	708	708	708	708	708	708
2. चबूतरा सोखता नाली आदि		-	-	360	72	72	72	72	72	72
3. गाँवसभाओं को अपनी आय में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन	ग्रा०सं०	15	15	15	3	3	3	3	3	3
4. पंचायत उद्योग कार्यशाला भवन निर्माण	पं०उ०	6	6	1	1	1	-	-	-	-
5. ग्रामसभा स्तर पर पंचायत कार्यालय स्थापित करने हेतु पंचायत भवन निर्माण		73	70	64	-	-	9	15	18	22

(49)

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के	सातवीं योजना 1985-90 की	आठवीं योजना 1990-95	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. ग्राम्य विकास- चालू योजनाएं										
अ. एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	सं0	50706	18625	27447	4690	4690	5169	5722	5863	6003
ब. जवाहर रोजगार योजना	ला0मा0दिवस	17.49	47.80	103.78	17.74	17.74	19.51	21.64	22.18	22.71
स. लघु/सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु योजना										
नि:शुल्क बोरिंग	सं0	[illegible]	1264	1755	300	300	330	366	375	384
द. सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम										
1. भूमि संरक्षण	हे0में	40114	8303	3520	704	704	704	704	704	704
2. वृक्षारोपण	हे0में	9274	1465	3463	693	693	693	693	693	693
3. सिंचन क्षमता का सृजन	हे0मे0	26038	956	1640	328	328	328	328	328	328

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि   जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. सामुदायिक विकास										
चालू योजनाएं										
1. विकास खण्डों में आवासीय भवन निर्माण सं0		82	82	62	10	10	16	17	19	-
2. सामुदायिक विकास जिला संग्रहीत कार्यालय भवन निर्माण		-	-	01	50 प्रति	50 प्रति	1	-	-	-
3. प्रशिक्षण संस्थान बहादुरपुर में ओवर हैण्ड टैंक की व्यवस्था		-	-	-	-	-	01	-		-

(5)

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भिक स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	1990-91 अनुमानित उपलब्धि	1991-92 लक्ष्य	1992-93 लक्ष्य	1993-94 लक्ष्य	1994-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13- विद्युत विभाग										
राज्य सामान्य योजना के अन्तर्गत जिला योजना में										
अ. ग्रामों का विद्युतीकरण	संख्या	-	-	60	8	8	9	11	14	18
ब. हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण		-	-	60	8	8	9	11	14	18
स. निजी नलकूपों का विद्युतीकरण		-	-	71	10	10	11	13	16	21

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि जी0एन- 3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 1985-90की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11
14. ग्रामीण एवं लघु उद्योग										
1. औ0आ0में फीडरलाइन संख्या		3	2 **	12 2	2	2	2	2	3	3
2. उदयमिता विकास प्रशिक्षण	संख्या	1229	1650	3967	480	480	528	644	805	1030
3. मेले एवं प्रदर्शनियें		10	22	18	3	3	3	3	3	3
4. जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण		35	39	60	7	8	9	10	12	14
[illegible]										
5. अहै एकीकृत मार्जिन मनी ऋण		30	43	64	8	9	10	11	12	14
6 औद्योगिकी सहकारिता अवस्थीय										
अंश पूजी ऋण		6	3	14	2	2	2	2	3	3
प्रबन्धकीय सहायता		6	3	14	2	2	2	2	3	3
7. हस्तकला सहकारी समितियों की सहायता										
अंश पूजी ऋण		6	4	14	2	2	2	2	3	3
प्रबन्धकीय सहायता		6	4	14	2	2	2	2	3	3

मद	इकाई	सातवींयोजना 1985-90के प्रारम्भ का स्तर	सातवींयोजना 1985-90 का वास्तविक उपलब्धि	आठवींयोजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15- सडक एंव पुल										
1- मिटटी स्तर	कि0मी0									
2- खडजा स्तर	,,	291.5	156	-	25	25	36	40	40	40
3- मध्य सतह स्तर	,,	77.1	185	-	53	53	35	40	50	60
4- सेतु निर्माण	,,	-	22	-	-	-	4	5	6	7

(15)

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के परिव्यय का स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	1990-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
16- पर्यटन										
1. अक्षरा देवी मन्दिर का पर्यटन विकास										
क. वैवी रोड रिटेनरिंग वाल निर्माण	संख्या	9	9	-	-	-	3	1	-	-
ख. विद्युतीकरण	संख्या	-	"	-	-	-	-	1	-	-
ग. तालाब का विकास	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2. बैरागढ की शारदा देवी का विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	1990-91 अनुमानित उपलब्धि	1991-92 लक्ष्य	1992-93 लक्ष्य	1993-94 लक्ष्य	1994-95 लक्ष्य
17. अर्थ एवं संख्या प्रभाग										
1. कार्यालय में साज सज्जा										
(1) रैक	संख्या	-	-	8	4	4	4	-	-	-
(2) अलमारी	"	-	-	4	2	2	2	-	-	-
(3) कूलर	"	-	-	2	1	1	1	-	-	-
(4) एसी0	"	-	-	1	-	-	-	1	-	-
(5) कम्प्यूटर	"	-	-	1	-	-	-	-	1	-
2. सहायक अर्थ एवं संख्या अधिकारी को स्थलीय सत्यापन हेतु मोटर साइकिल की व्यवस्था	"	-	-	1	-	-	1	-	-	-

5

परिशिष्ट-3

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवी योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवी योजना (85-90) की वास्तविक उपलब्धि	आठवी योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	1991-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18- प्राथमिक शिक्षा										
1-ग्रामीण क्षेत्रों के असेवित क्षेत्रों में मिश्रित जू0बे0स्कूलों के अनु0	संख्या	16	8	115	10	10	11	28	28	28
2- असेवित क्षेत्रों में बालक/बालिकाओं के सी0बे0स्कूल खोलने हेतु अनुदान	,,	-	-	30	-	-	9	9	9	9
3- जू0बे0स्कूलों को साजसज्जा तथा शिक्षण सामग्री फर्नीचर तथा साजसज्जा हेतु अनुदान	,,	-	145	952	337	337	878	900	929	950
4- सी0बे0 स्कूलों को शिक्षण सामग्री फर्नीचर तथा साजसज्जा हेतु अनुदान	,,	-	56	57	7	7	8	14	14	14
5- जू0बे0स्कूलों को विज्ञान किट उपलब्ध कराने हेतु अनुदान	,,	-	302	260	40	40	40	40	40	40
6- सी0बे0 स्कूलों को विज्ञान उपकरण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान	,,	-	21	46	5	5	6	10	10	15
7- ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के जू0बे0स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान	,,	-	343	99	85	85	2	4	4	4
8- ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों के सी0बे0 स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान	,,	-	19	24	4	4	4	6	4	6
9- बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार	,,	-	82	223	33	33	40	45	50	55
10- ग्रामीण क्षेत्रों [illegible] हेतु विस्तार [illegible] [illegible] के वेतन			21000	20000	4000	4000	4000	4000	4000	4000

(57)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-	प्रदेश के जू0हा0स्कूलों में दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु छात्र संख्या संख्या	-	200	200	200	200	200	200	200	200
12-	अरबी मदरसों को अनुरक्षण अनुदान एवं सहायता ,,		-	4	1	1	1	1	1	-
13-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण संख्या		-	1	25%	28%	35%	40%	-	-

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना (1990-95) के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	1991-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	94-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19- माध्यमिक शिक्षा										
1- कक्षा 6-8 में बालकों को 30/-रु0 तथा बालिकाओं को 40/- रु0 प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति सं0	-		75	40	8	8	8	8	8	8
2- राजकीय इण्टर कालेज में अतिरिक्त अनुभाग तथा नये विषायों का समावेश	संख्या	-	2	11	-	-	3	3	2	3
3- विभिन्न स्तरों पर खेलकूद, रैली युवा शिविरों का आयोजन	संख्या	-	15	15	3	3	3	3	3	3
4- राजकीय उ0मा0विद्यालयों के भवनों का निर्माण	-		2	2	30%	30%	20%	50%	1	-

प्रपत्र-3

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि   जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना (1990-95) के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	1991-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5- असहायिक उ0मा0वि0 को अनुरक्षण अनुदान	संख्या	-	-	5	-	-	1	1	1	1
6- विकास खण्डस्तर पर राजकीय कन्या स्कूल का खोला जाना	संख्या	-	-	8	-	-	*	2	2	3
7- कक्षा 9 से 12 तक बालकों का शुल्क मुक्ति		-	3,50,000	-	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भिक स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना वर्ष 1990-95 के लक्ष्य	1990-91 लक्ष्य	1990-91 अनुमानित उपलब्धि	1991-92	92-93	93-94	94-95
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20-प्राविधिक शिक्षा										
पालीटैकनिक की स्थापना में साजसज्जा एवं भूमि अधिग्रहण प्रतिकर	सं0	-	-	2	1	1	1	-	-	-

(6)

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि जी0एन0- 3

क्र0 / मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. प्रादेशिक विकास दल										
1. प्रादेशिक विकास दल के रक्षकों को वर्दी एवं प्रशिक्षण दिया जाना	सं0	630	630	225	45	45	45	45	45	45
2. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन	सं0	50	50	50	10	10	10	10	10	10
3. युवक मंगल दलों तथा महिला मंगल दलों के सुदृढ़ीकरण हेतु आर्थिक सहा0		90	590	675	135	135	135	135	135	135
4. युवा संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम		51	52	50	10	10	10	10	10	10
5x प्रशि										

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि जी0एन0- 3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर		सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	1990-91 अनुमानित	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22. खेलकूद											
1. खेलकूद उपकरण की सम्पूर्ति	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. क्रीड़ा एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन	-	-	-	-	10	10	16	15	20	25	30
3. वहुउद्देशीय हाल का निर्माण	संख्या	-	-	*	01	-	*	1	1	-	-
4. तहसील स्तर पर स्टेडियम का निर्माण	"	-		-	01	-	-	-	1	-	-

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 85-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 90-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	94-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य										
1. प्रा0स्वा0केन्द्र क्षेत्र में उपकेन्द्र भवन नि0		14	8	82	10	10	12	15	20	25
2. प्रा0स्वा0केन्द्र भवन का निर्माण		4	8	23	2	2	2	5	7	7
3. प्रा0स्वा0केन्द्रों की स्थापना		10	28	12	12	12	–	–	–	–
4. सा0स0स्वा0केन्द्रों भवनों का निर्माण		–	2	6	1	1	1	1	1	2
5. सा0स0स्वा0केन्द्रों की स्थापना		–	3	5	1	1	1	1	1	1
6. अस्पतालों में डीजल, जनरेटर का क्रय		–	–	2	–	–	1	1	× –	–
7. राज0हो0म्यो0 चिकि0 की स्थापना		14	14	21	4	4	4	5	5	3
8. रा0हो0म्यो0 चिकि0 भवन निर्माण		–	–	14	3	3	3	3	3	2
9. जिला महिला चिकि0 में पैथा0 की व्य0		–	–	1	1	1	–	–	–	–
10. उप चिकित्सा आवासों का सुदृढ़ी0		1	1	3	1	1	1	1	1	–
11. चीरघर का निर्माण		–	–	1	1	1	–	–	–	–
12. जिला महिला चिकि0 एम्बो0 की व्य0		–	–	1	1	1	–	–	–	–
13. एस0टी0डी0 क्ली0 की व्यवस्था		–	–	1	1	1	–	–	–	–
14. सी0एम0ओ0 कार्या0 निर्माण		–	–	1	–	–	1	–	–	–
15. ई0एन0टी0 यूनिट की स्थापना		–	–	12	1	1	3	3	3	2
16. ग्रामीण क्षेत्रों में आयु0/यूनानी औषधा0 की स्थापना		15	5	20	3	3	4	5	4	4
17. आयु0यूनानी औषधालयों का भवन नि0		2	–	7	–	–	1	2	2	2
18. 25/15 शय्या युक्त आयु0/यूनानी औष0 की स्थापना		2	1	5	1	1	1	1	1	1
19. वर्तमान आयु0/यूनानी औषधालयों का प्रोन्नयन		4	4	10	–	–	2	2	3	3

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भिक स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	1991-92 लक्ष्य	1992-93 लक्ष्य	1993-94 लक्ष्य	1994-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24- जल निगम										
1- गिरधान ग्राम समूह पेयजल योजना										
नलकूप निर्माण	सं0	-	1 नग	1 नग	1 नग	1 नग	-	-	-	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	15	14	14	14	-	-	-	-
अर्द्ध जलाशय	सं0	-	50%	50%	50%	50%	-	-	-	-
2- मदारीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना (तुरन्त राहत)										
नलकूप निर्माण	सं0	-	1नग	2 नग	2	2	-	-	-	-
3- रामपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (तुरन्त राहत)										
नलकूप निर्माण	सं0	-	-	1	1	1	-	-	-	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	2	-	-	2	-	-	-
4- बाबई ग्राम समूह पेयजल योजना										
नलकूप निर्माण	सं0	-	1 नग	1 नग	-	-	1	-	-	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	9	3	3	6	-	-	-
उर्ध्व जलाशय	सं0	-	-	1	-	-	1	-	-	-
5- उसरगांव पेयजल योजना										
नलकूप निर्माण	सं0	-	-	3	1	1	1	1	-	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	10	3	3	3	4	-	-
उर्ध्व जलाशय	सं0	-	-	1	-	-	50%	50%	-	-
6- अकबरपुर इटौरा ग्राम समूह पेयजल योजना										
नलकूप निर्माण	सं0	-	-	2	1	1	-	1	-	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	10	-	-	5	5	-	-
उर्ध्व जलाशय	सं0	-	-	1	-	-	50%	50%	-	-
7- कटेरा ग्राम समूह पेयजल योजना (तुरन्त राहत)										
नलकूप निर्माण	सं0	-	-	2	1	1	1	-	-	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	2	1	1	1	-	-	-
उर्ध्व जलाशय	सं0	-	-	1	-	-	1	-	-	-

(61)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8- पहाड़गाँव ग्राम समूह पेयजल योजना										
नलकूप	सं0	-	-	2	1	1	1	-	-	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	10	3	3	3	4	-	-
उर्ध्व जलाशय	सं0	-	-	1	-	-	50%	50%	-	-
9- नबीना ग्राम समूह पेयजल योजना (पाइप लाइन वृद्धि)										
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	1.00	16	8	8	7	-	-	-
10- कुठौंद ग्राम समूह पेयजल योजना										
नलकूप	सं0	-	-	1	1	-	-	--	-	-
11- मड़ोरा ग्राम समूह पेयजल योजना										
नलकूप	सं0	-	-	2	1	1	-	2	-	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	10	-	-	5 /	5 /	-	-
उर्ध्व जलाशय	सं0	-	-	1	-	-	50%	5%	-	-
12- आटा पेयजल योजना (तुरन्त राहत)										
नलकूप	सं0	-	-	1	1	1	-	-	-	-
13- लरोर ग्राम समूह पेयजल योजना										
नलकूप	सं0	-	-	2	-	-	-	1	1	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	50	-	-	-	5	10	35
उर्ध्व जलाशय	सं0	-	-	1	-	-	-	-	50%	50%
14- रा हिया ग्राम समूह पेयजल योजना										
नलकूप	सं0	-	-	2	-	-	-	1	1	35
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	50	-	-	-	5	10	35
उर्ध्व जलाशय	सं0	-	-	1	-	-	-	-	50%	50%
15- नूरपुर ग्राम समूह पेयजल योजना										
नलकूप	सं0	-	-	2	-	-	-	1	1	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	50	-	-	-	5	10	35
उर्ध्व जलाशय	सं0	-	-	1	-	-	-	-	50%	50%
16- ~~[illegible]~~ खुरमिली ग्राम समूह पेयजल योजना										
नलकूप	सं0	-	-	2	-	-	-1	1	1	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	50	-	-	-	5	10	35
उर्ध्व जलाशय	सं0	-	-	1	-	-	-	-	50%	50%

(8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17- सरसेला ग्राम समूह पेयजल योजना										
नलकूप	सं0	-	-	2	-	-	-	1	1	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	40	-	-	-	10.00	10.00	20.00
उर्ध्व जलाशय	सं0	-	-	1	-	-	-	-	50%	50%
18- हरैली ग्राम समूह पेयजल योजना (स्रोत वृद्धि)										
नलकूप निर्माण	सं0	-	-	1	-	-	-	-	1	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	5	-	-	-	-	-	5
19- औरेखी ग्राम समूह पेयजल योजना (स्रोत वृद्धि)										
नलकूप निर्माण	सं0	-	-	1	-	-	1	-	-	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	5	-	-	-	5	-	-
20- बहादुरपुर बावली ग्राम समूह पे0योजना (स्रोत वृद्धि)										
नलकूप निर्माण	सं0	-	-	1	-	-	1	-	-	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	5	-	-	-	5	-	-
21- खकरोस ग्राम समूह पेयजल योजना (तुरन्त राहत)										
नलकूप निर्माण	सं0	-	-	1	-	-	1	-	-	-
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	5	-	-	-	2	3	-
22- महेवा ग्राम समूह पेयजल योजना										
नलकूप निर्माण	सं0	-	-	2	-	-	-	-	1	1
पाइप लाइन बिछाना	कि0मी0	-	-	20	-	-	-	-	10	10
उर्ध्व जलाशय	सं0	-	-	1	-	-	-	-	50%	50%
23- हैण्ड पम्प योजना (रीबोरिंग)										
हैण्ड पम्प	सं0	-	-	4	100	100	150	180	200	200

रूपपत्र - : जी0एन0- 3

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

मद		इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भिक स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	1991-92 लक्ष्य	1992-93 लक्ष्य	1993-94 लक्ष्य	1994-95 लक्ष्य
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	हरिजन पेयजल कूप										
	1. हरिजन पेयजल योजना	संख्या	147	147	225	45	45	48	46	43	43

मद	इकाई	सातवींयोजना 1985-90के प्रारम्भ का स्तर	सातवींयोजना 1985-90की वास्तविक उपलब्धि	आठवींयोजना 90-95 के लक्ष्य	वर्ष 90-91 लक्ष्य	वर्ष 90-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26- निर्बलवर्ग आवास										
निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना	संख्या	1237	4205	14873 15173	2673	2673	2500 2800	3000	3200	3500

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि प्रपत्र-2 जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भिक स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	91-92 अनुमानित	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27- पूल्ड हाउसिंग											
1. पूल्ड हाउसिंग जिला योजना चालू कार्य		-	2	10	10	10	-	-	-		
2. पूल्ड हाउसिंग जिला योजना नये कार्य		5/	-	67	-	-	7	20	20		
योग		-	2	77	10	10	10	20	20		

मद	इकाई	सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28. हरिजन एवं समाज कल्याण										
(अ) हरिजन कल्याण										
1. निदेशन एवं प्रशासन										
अ. जीपकार	संख्या	-	-	1	-	-	-	1	-	-
ब. टाइपराइटर	"	-	-	1	-	-	1	-	-	-
स. डुप्लीकेटिंग मशीन	"	-	-	1	-	-	1	-	-	-
द. अलमारी स्टील	"	-	-	2	-	-	2	-	-	-
य. कुर्सी लकड़ी	"	-	-	6	-	-	6	-	-	-
र. मेज लकड़ी	"	-	-	6	-	-	6	-	-	-
ल. सीलिंग फैन		-	-	6	-	-	6	-	-	-
2. अनुसूचित जाति हेतु छात्रवृत्ति अनुदान										
(1) प्राइमरी स्तर (1-5)	"	26789	26789	43040	5856	5856	6885	7813	9796	12690
अ. निर्धनता के आधार पर										
ब. मेधावी के आधार पर										
(2) जूनियर हाईस्कूल स्तर (6-8)										
अ. निर्धनता के आधार पर	"	8148	8148	6125	833	833	917	1250	1458	1667
ब. मेधावी के आधार पर										
(3) हाईस्कूल (9-10)										
मेधावी के आधार पर	"	12500	12500	4402	-	-	930	1055	1167	1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति									
1.	प्राइमरी स्तर कक्षा 1-5									
	अ. निर्धनता के आधार पर	5472	5472	3691	556	556	625	695	843	972
	ब. योग्यता के आधार पर									
2.	जूनियर स्तर पर (6-8)									
	अ. निर्धनता के आधार पर	5241	5241	1969	333	333	375	380	415	466
	ब. योग्यता के आधार पर									
3.	हाई स्कूल (9-10)									
	योग्यता के आधार पर	1625	1625	2515	-	-	555	600	650	710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	पूर्वदशम कक्षाओं में 7-8 पढ़ने वाले अनु0जाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा से घाटे की प्रतिपूर्ति शुल्क क्षति पूर्ति	25565	25565	40060	5113	5113	6135	7484	9355	11974
5.	नवभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्रा0 मा0छात्रावास एवं पुस्तकालयों का सुधार एवं विस्तार	6	6	11	11	11	11	11	11	11
6.	चिकित्सा /अभियांत्रण विषयों से पढ़ने वाले अनु0जाति के छात्रों की आर्थिक सहायता	-	26	33	-	-	6	8	9	10

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 90-95 का लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(ब) समाज कल्याण										
1. निराश्रित विकलांग पेंशन	संख्या	1540	1540	4117	526	526	631	769	961	1230
2. विकलांग छात्रवृत्ति (कक्षा 1-8 तक)	"	321	321	429	60	60	65	79	98	120
3. निराश्रित विधवा पेंशन	"	5634	5634	18215	1162	1162	1279	1558	1950	2533
4. विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग क्रय हेतु अनुदान	"	-	-	194	25	25	30	36	45	58
5. मलिन बस्तियों में शिशुशाला एवं बालवाड़ी केन्द्रों की स्थापना	"	150	150	384	50	50	60	73	91	110
6. अकिंचन मृतकों के दाहसंस्कार हेतु अनुदान	"	82	78	76	10	10	12	13	18	23

परिपत्र-3
भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि
जा0ए0-3

मद	इकाई	सातवींयोजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवींयोजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवींयोजना (1990-95) के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	1991-92 लक्ष्य	1992-93 लक्ष्य	1993-94 लक्ष्य	1994 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पूरक पुष्टाहार (समाज कल्याण)										
1. लाभार्थी संख्या	संख्या	8400	39662	32100	20600	20600	22300	26900	29500	3210

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि।   जी0एन0-3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ स्तर	सातवीं योजना 1985-90 का वास्तविक उपलब्धि।	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	1991-92 लक्ष्य	1992-93 लक्ष्य	1993-94 लक्ष्य	ल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30-दुग्धशाला विकास विभाग										
1. ट्यूब वेल निर्माण	संख्या	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2. सिविल निर्माण कार्य										
अ. कोल्ड स्टोरेज क्षमता 6 टन	,,	-	-	-	-	-	11	-	-	-
ब. स्टोरेज बैंक रखने का कक्ष	,,	-	-	-	-	-	1	-	-	-
स. दुग्ध उत्पाद कक्ष	,,	-	-	-	-	-	1	-	-	-
द. जेनरल स्टोर हाल	,,	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3. ई0टी0पी0 (इन्टलूमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट)	,,	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4. मशीनरी एवं उपकरण										
अ. रेफ्रीजरेशन प्लांट	,,	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ब. मिल्क बैंक स्टोरेज 5000 ली0 व 10000 लीटर क्षमता	,,	-	-	-	-	-	1	1	-	-
स. वटर वन	,,	-	-	-	-	-	1	-	-	-
द. दुग्ध केन	,,	-	-	-	-	-	3	-	-	-
5. सोलर वाटर हीटर प्लांट 5000 लीटर दैनिक क्षमता।	,,	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6. आवासीय भवन	,,	-	-	-	-	-	-	19	-	-
7. कैटल फीडिंग गोडाउन	,,	-	-	-	-	-	1	-	-	-
8. मिल्कबार	,,	-	-	-	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. समितियां हेतु सहायता संख्या		-	-	-	-	-	25	25	30	-
10. वाहन व्यवस्था :-										
अ. जीप	,,	-	-	-	-	-	8	1	-	-
ब. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा एफ0पी0 पिकप	,,	-	-	-	-	-	1	1	-	-
स. रोडमिल्क टैंकर इन्सूलेटिड	,,	-	-	-	-	-	-	1	-	-
11. दुग्ध समितियों हेतु कक्ष निर्माण	,,	-	-	-	-	-	-	-	-	40

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि जी०एन०- 3

मद	इकाई	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	सातवीं योजना 1985-90 की वास्तविक उपलब्धि	आठवीं योजना 1990-95 के लक्ष्य	वर्ष 1990-91 लक्ष्य	वर्ष 1990-91 अनुमानित उपलब्धि	91-92 लक्ष्य	92-93 लक्ष्य	93-94 लक्ष्य	94-95 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. शिल्पकार प्रशिक्षण										
1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण										
अ. साज सज्जा की आपूर्ति जनरेटर	क्रय सं०	-	-	1	-	-	1	-	-	-
ब. आवास निर्माण इन्स्ट्रक्टर्स	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-
ग. व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों की संख्या	-	368	368	460	92	92	92	92	92	92
2. बाहर दीवार का निर्माण	मी०	-	-	62	-	-	62	-	-	-
3. तहसील स्तर पर आई०टी०आई० का सृजन	सं०	-	-	1	"	-	-	-	-	1 (कालपी में)

विभाग / सेक्टर
वर्ष 191-92

विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित कार्यक्रम

क्र0	योजना का नाम	कुल आवश्यकता	विभिन्न स्रोत: जिला योजना के माध्यम से	विभिन्न स्रोत: आई0आर0 डी0पी0	विभिन्न स्रोत: जे0आर0 वाई0	विभिन्न स्रोत: संस्थागत	अन्य स्रोत 1	अन्य स्रोत 2	अन्य स्रोत 3	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	निजी लघु सिंचाई									
1.	स्प्रिंकलर संयंत्र	500	250	-	-	-	250	-	-	-
2.	निःशुल्क बोरिंग									
अ.	पाइप क्रय एवं मजदूरी भुगतान 10.5	10.50	-	10.50	-	-	-	-	-	
ब.	नये बोरिंग सैटों का क्रय	500	250	-	-	-	250	-	-	-
3-	वर्कशॉप सुदृढ़ीकरण									
	विशेष उपकरण हेतु सर्विस स्टेशन तथा शेड निर्माण कार्य आदि	500	250	-	-	-	250	-	-	-
4.	डिग्री/डिप्लोमा होल्डर्स को स्टाइपेण्ड	80	40	-	-	-	40	-	-	-
	योग	2630	790	1050	-	-	790	-	-	-

रूपपत्र-4

विभिन्न / सेक्टर
1991-92

विभिन्न स्त्रोतों से वित्त पोषित कार्यक्रम

क्र0	योजना का नाम	कुल आवश्यकता	विभिन्न स्त्रोत			विभिन्न स्त्रोत	अन्य स्त्रोत			टिप्पणी
			जिला योजना के माध्यम से	आई0आर0डी0पी0	जे0आर0वाई0	संस्थागत वित्त	1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	पशुपालन									
	1. खुरपका/मुहपका रोग पर नियन्त्रण रखने की योजना	6	3	-	-	-	3	-	-	

विभाग / सेक्टर वर्ष 1991-92 विभिन्न स्रोतों से वित्तीय पोषित कार्यक्रम

क्र0	योजना का नाम	कुल आवश्यकता	विभिन्न श्रोत			विभिन्न श्रोत	अन्य श्रोत	टिप्पणी
			जिला योजना से	आई0टी0डी0पी0	जे0आर0वाई	संस्थागत वित्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मत्स्य पालक विकास अभिकरण							
1.	मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण	16	8	-	-	-	8	
2.	तालाब सुधार एवं इनपुटस हेतु अनुदान	238	119	-	-	-	119	
	योग	254	127	-	-	-	127	

रूपपत्र-4

जी0एन0-4

विभिन्न श्रोतों से वित्त पोषित कार्यक्रम

क्र0सं0	योजना का नाम	कुल आवश्यकता	विभिन्न स्त्रोत			विभिन्न स्त्रोत	अन्य स्त्रोत			विवरण
			जिला योजना के माध्यम से	आई0आर0 डी0पी0	जे0आर0 वाई	संस्थागत वित्त	1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7- वन विभाग										
ग्रामीण ईंधन प्रजाति वृक्षारोपण		11000	500	-	-	-	500	-	-	-
ईंधन व चारा योजना		-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र0	योजना का नाम	कुल आवश्यकता	विभिन्न स्रोतों से जिला योजना के माध्यम से	आई0आर0डी0पी0	जे0आर0वाई0	विभिन्न स्रोत संस्थागत वित्त	अन्य स्रोत 1	2	3	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9-	पंचायत विभाग									
1-	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय निर्माण	1182	985	-	-	-	197	-	-	20% लाभार्थी अंश
2-	गांव सभा स्तर पर पंचायत कार्यालय स्थापित करने हेतु पंचायत भवन निर्माण	704	640	-	-	-	64	-	-	10% गांवसभा अंश
	योग	1886	1625	-	-	-	261	-	-	

विभाग / सेक्टर

विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित कार्यक्रम

वर्ष 1991-92

क्र0	योजना का नाम	कुल आवश्यकता	विभिन्न स्रोत जिला योजना के सहयोग से	आई0आर0 डी0पी0	के0आर0 ए0 फो0	विभिन्न स्रोत संस्थागत	अन्य स्रोत 1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	ग्राम्य विकास चालू योजनाए									
अ.	एकीकृत ग्राम्य विकास योजनाए	56750	8116	-	-	40518	8116	-	-	
ब.	जवाहर रोजगार योजना	49305	9869	-	-	-	39436	-	-	
स.	लघु सीमान्त कृषको की कृषि उत्पादकता बढ़ाने की योजना	5178	1089	-	-	3000	1089	-	-	
द.	सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	4950	2475	-	-	-	2475	-	-	
	योग	116183	21549	-	-	43518 ~~43518~~	51116	-	-	-

रूपपत्र-5

विभाग/सेक्टर सड़क एवं पुल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य जनपद- जालौन ।

वर्ष 1991-92 (हजार रु0 में)

क्र0	मद/कार्य/सड़क/पुल/छूटी कड़ियाँ आदि	सड़क/पुल की लम्बाई	स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत	कार्य स्वीकृति होने का वर्ष	31-3-90 तक किया गया कार्य	1990-91 अनुमानित व्यय	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय	1990-91 में किया जाने वाला कार्य (भौतिक लक्ष्य) खड़न्जा स्तर कि0मी0	मध्यसतह कि0मी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	मिट्टी स्तर के कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-	खड़न्जा स्तर के कार्य									
1-	जालौन मिण्ड से गडेरना मार्ग	4.00	1162.00	1162.00	12/88	329.0	833.00	-	-	-
2-	जगनेवा गढगवा मार्ग से रिनिया मार्ग	2.00	502.00	552.00	12/88	416.00	136.00	-	-	-
3-	जगम्मनपुर से हुसैपुरा उद्योतपुरा जागीर मार्ग	1.300	210.00	231.00	12/88	66.00	165.00	-	-	-
4-	जगनेवा गढगवा मार्ग से हीरापुर मार्ग	2.00	336.00	370.00	12/88	138.00	232.00	-	-	-
5-	उरई कोंच से चमरसेना मार्ग	4.00	672.00	739.00	12/88	466.00	273.00	-	-	-
6-	नदीगांव से नावली मार्ग(भाग-1)	5.00	1243.00	1367.00	2/87	984.00	383.00	-	-	-
7-	नदीगांव से नावलीमार्ग(भाग-2)	5.00	900.00	990.00	2/86	604.00	386.00	-	-	-
8-	कोंच बसोव मार्ग	5.00	1450.00	1450.00	3/90	250.00	1250.00	200.00	2.00	-
9-	रेढर सद्दूपुरा मार्ग	3.00	870.00	870.00	3/90	100.00	870.00	-	-	-
10-	कैलिया सलैया मार्ग से ऊचां मार्ग	1.500	435.00	435.00	3/90	-	265.00	170.00	1.500	-
11-	बघापुरी से मऊ तक मार्ग	4.500	1305.00	1305.00	3/90	185.00	1205.00	200.00	1.00	-
12-	देवगांव से पाडोरी मार्ग	2.00	500.00	500.00	3/90	-	320.00	180.00	2.00	-
13-	माधौगढ हरौली से गोपालपुरा वाया: सूपा गालमपुर	3.00	870.00	870.00	3/90	100.00	770.00	100.00	1.00	-
14-	रजपुरा से गोराभूपका मार्ग	1.500	435.0	435.00	3/90	-	265.00	170.00	1.500	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15-	मुहम्दाबाद गुढा मार्ग	0.400	641.00	641.00	8/87	23.00	537.00	-	0.400	-
16-	ढट घुरट भारसूडा मार्ग	0.500	122.00	122.00	12/89	-	122.00	-	-	-
17-	उरई कोटरा से ऐघा वाया पुर मार्ग	8.00	2234.00	2234.00	2/89	988.00	2000.00	134.0	2.00	-
18-	चुखर्री मार्ग से सिहारी मार्ग	2.00	506.00	506.00	2/89	369.00	137.00	-	-	-
19-	उरई चुखर्री मार्ग से सिहारी का शेष भाग	1.300	273.00	273.00	3/90	-	273.00	-	।	-
20-	खुटमिली सम्पर्क मार्ग	1.00	290.00	290.00	3/90	-	135.00	-	1.00	-
21-	कदौरा चतेला से वेतवा घाट मार्ग	4.70	1363.00	1363.00	3/90	-	1200.00	163.00	1.00	-
22-	उरई वाई पास (जालौन कोंच मार्ग के मध्य)	2.40	400.00	529.00	2/89	498.00	31.00	-	-	-
23-	हमीरपुर कालपी से घामना सम्पर्क मार्ग	2.80	812.00	812.00	3/90	-	812.00	-	-	-
24-	उरई चुखर्री ये बिनौरा सम्पर्क मार्ग	2.80	812.00	812.00	3/90	-	678.00	134.00	1.800	-
25-	कोटरा से किसरी मार्ग	2.00	580.00	580.00	3/90	-	580.00	-	-	-
26-	सिम्हारा पाल ग्राम मार्ग का शेष भाग	1.400	406.00	406.00	3/90	-	203.00	113.0	1.400	-
27-	इटौरा कुरैहना मार्ग का शेष (इटौरा बबीना मार्ग कोजोडने हेतु)	1.800	522.00	522.00	3/90	-	426.00	136.0	1.800	-
28-	उरई बाई पास (उरई जालौन से उरई चुखर्री के मध्य) का शेष कार्य	0.820	180.00	180.00	3/90	-	180.00	-	-	-
29-	ऊमरी मानपुरा पतराही मार्ग	15.00	3180.00	3180.00	2/85	2534.00	646.00	-	0.500	-
30-	बगरा गोपालपुरा से अतरेहटी	5.00	1060.00	1166.00	2/85	1024.00	100.00	-	0.500	-
31-	निबावली सिध्दपुरा मार्ग	5.00	900.00	1000.00	2/85	634.00	366.00	-	2.500	-
32-	सिलऊआ सम्पर्क मार्ग	6.00	840.00	1164.00	2/85	664.00	500.00	-	-	-
33-	बिजदगवा से पचोखरा मार्ग	2.00	460.00	460.00	90-91 में प्रस्तावित	-	-	460.00	1.00	-
34-	गौहन मार्ग से खातौली मार्ग	1.500	345.00	345.00	,,	-	-	345.00	1.00	-
35-	कदौरा चतेला बेतवा घाट से काना खेडा मार्ग	1.500	345.00	345.00	,,	-	-	345.00	1.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36-	उरई चुखर्री मार्ग से रिनिया मार्ग	2.00	460.00	460.00	90-91 में प्रस्तावित	-	-	460.00	1-00	-
37-	नगरी से इअैयया मार्ग	1.500	345.00	345.00	,,	-	-	345.00	1-00	-
38-	मुहम्मदाबाद गुढा मार्ग	2.00	460.00	460.00	,,	-	-	460.00	1.00	-
39-	गुमावली से छिरावली मार्ग	2.300	535.00	535.00	,,	-	-	535.00	1.00	-
40-	कोंच कैलिया से व्योना मार्ग	4.00	920.00	920.00	,,	-	-	920.00	2.00	-
41-	जगम्मनपुर से जमालपुरा मार्ग	1.00	300.00	300.00	,,	-	-	300.00	1.00	-
42-	कुठौंद से पीपरी नरोजपुर मार्ग	2.500	750.00	750.00	,,	-	-	750.00	1.00	-
43-	उरई कोंच मार्ग से व्यासपुर वाया बरहा मार्ग	3.00	900.00	900.00	,,	-	-	900.00	2.00	-
44-	बिरहा वावई से बरसौनी मार्ग	2.00	600.00	600.00	,,	-	-	600.00	1.00	-

लो0 नि0 वि0
निर्माण सेक्टर

[illegible] के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य
वर्ष 1991-92

जनपद-[illegible]
(लाख0 में)

क्र0	मद/कार्य/सड़क/पुल/छूटी कड़ियां आदि	सड़क/पुल की लम्बाई	स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत	कार्य स्वीकृत होने का वर्ष	31.3.90 तक किया गया व्यय	1990-91 अनुमानित व्यय	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय	90-91 में किया जाने वाला कार्य भौतिक लक्ष्य: खड़ंजा स्तर किमी0	मोटरमार्ग किमी0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	मध्य सतह									
(1)	जगन्नाथपुर से जगन्नाथपुर घाट मार्ग	3.00	677.00	745.00	2/89	329.00	416.00	-	-	-
(2)	माधौगढ़ कुठौन्द मार्ग	4.00	903.00	993.00	2/89	600.00	293.00	-	-	-
(3)	बंगरा से कुदारी मार्ग	1.00	253.00	278.00	8/89	35.00	243.00	-	-	-
(4)	माधौगढ़ ऊमरी कुठौन्द मार्ग	4.00	1003.00	1103.00	8/89	693.00	410.00	-	-	-
(5)	परैथा से पहाड़गांव मार्ग	5.00	1129.00	1242.00	2/89	370.00	872.00	-	-	-
(6)	उरई जालौन से माड़री मार्ग	2.500	570.00	570.00	3/90	-	470.00	100.00	-	-
(7)	कौंच पहाड़गांव का शेष मार्ग	5.00	1140.00	1140.00	3/90	-	740.00	400.00	-	-
(8)	एट भदोरा मार्ग	2.00	456.00	456.00	3/90	-	356.00	100.00	-	-
(9)	कौंच कैलिया से नहर की पटरी मार्ग	3.00	684.00	684.00	3/90	-	484.00	200.00	-	-
(10)	एट मलोह मार्ग	1.00	228.00	228.00	3/90	-	188.00	40.00	-	-
(11)	उरई औरैया गोहन मार्ग से अमखेड़ा मार्ग	5.00	1140.00	1140.00	3/90	-	740.00	400.00	-	-
(12)	ऊमरी कुठौन्द वावली मार्ग से वावली तरफ	1.00	223.00	223.00	3/90	-	183.00	40.00	-	-
(13)	ऊमरी कुठौन्द मार्ग के कि0मी0 1 से 5 तक सिरसा	5.00	1140.00	1140.00	3/90	-	740.00	400.00	-	-
(14)	सिरसा दौगड़ी मार्ग	2.50	570.00	570.00	3/90	-	[illegible]	-	-	-
(15)	माधौगढ़ सिहारी मार्ग का शेष भाग	0.300	68.00	68.00	3/90	-	68.00	-	-	-

16. ईंटो से अजीतापुर मार्ग	3.00	684.00	684.00	3/90	-	484.00	200.00	-	-
17. रामपुरा से पहूजवदी तक मार्ग	2.00	456.00	456.00	3/90	-	340.00	116.00	-	-
18. जालौन औरइया मार्ग से जगनेवा मार्ग	1.00	228.00	228.00	3/90	-	170.00	58.00	-	-
19. जालौन भिण्ड से अमखेड़ा मार्ग	3.75	855.00	855.00	3/90	-	340.00	300.00	-	-
20. जालौन भिण्ड से गोपालपुरा तक मार्ग	2.00	456.00	456.00	3/90	-	340.00	116.00	-	-
21. हदरूख पहुरेरा से गोराभूपका मार्ग	3.00	677.00	977.00	2/90	582.00	395.00	-	-	-
22. उरई बाईपास को पक्का करना	2.40	480.00	480.00	2/90	-	480.00	-	-	-
23. लहरा भेड़ी मार्ग	8.00	2000.00	2450.00	8/89	29.00	200.00	[illegible]	-	-
24. एट घुरट से भरसूड़ा मार्ग	4.00	872.00	872.00	2/89	419.00	400.00	53.00	-	-
25. मुहम्मदाबादगुढ़ा मार्ग	4.00	903.00	903.00	2/89	666.00	237.00	-	-	-
26. कालपी मदारीपुर से जखौली मडैया मार्ग	7.00	1596.00	1596.00	3/90	-	803.00	673.00	-	-
27. बनवरसी सम्पर्क मार्ग कि0मी0 16 से 18	3.00	684.00	684.00	3/90	-	542.00	142.00	-	-
28. बावई से सरसई मार्ग	3.200	730.00	730.00	3/90	3	530.00	200.00	-	-
29. बावई सिहारी दाउदपुर मार्ग	7.00	1596.00	1596.00	3/90	-	1146.00	450.00	-	-
30. मुहम्मदाबाद गुढ़ा मार्ग कि0मी0 8 से	3.00	750.00	750.00	3/90	-	630.00	120.00	-	-
31. एटघुरट से भरसूड़ा मार्ग कि0मी0 5 से 8.5 तक	4.500	1125.00	1125.00	3/90	-	725.00	400.00	-	-
32. जालौन चुर्खी मार्ग पर सुदृढ़ीकरण	6.00	1200.00	1200.00	8/87	1145.00	55.00	-	-	-
33. आटा इटौरा मार्ग का सुदृढ़ीकरण	4.00	800.00	900.00	1/88	812.00	88000	-	-	-

(89)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	अप्सरा देवी सम्पर्क मार्ग	1.500	609.00	609.00	1/88	458.00	151.00	-	-	-
35.	इटौरा बाईपास कि0मी0 1, 2, 3	2.400	383.00	600.00	12/89	448.00	152.00	-	-	-
352	कटौरा चतेला मार्ग कि0मी0 1 से 4	4.00	773.00	773.00	12/89	694.00	79.00	-	-	-
37.	बावई सिरसा मार्ग	7.00	1747.00	2500.00	8/87	2422.00	78.00	-	-	-
38.	उरई इटौरा मार्ग	2.00	441.00	441.00	12/89	340.00	101.00	-	-	-
39.	आटा चुर्खी मार्ग कि0मी0 10	1.00	200.00	200.00	3/90	-	200.00	-	-	-
40.	कटौरा चतेला मार्ग कि0मी0 5, 6	1.500	300.00	300.00	3/90	-	300.00	-	-	-
41.	उरई बाईपास मार्ग (चुर्खी जालौन के मध्य सतह)	2.40	480.00	480.00	3/90	-	440.00	140.00	-	-
42.	कालपी राठ से परासन मार्ग (जिला परिषद मार्ग)	4.00	1000.00	1000.00	3/90	-	600.00	400.00	-	-
43.	सिरसा कला से हदरुख मार्ग	7.00	1631.00	1631.00	3/90	-	673.00	1175.00	-	-
44.	जालौन भिण्ड से अमखेड़ा सम्पर्क मार्ग	2.00	460.00	460.00	वर्ष 90-91 से प्रस्तावित	-	-	320.00	-	1.00
45.	सरावन से गोहनी मार्ग	1.00	230.00	230.00	" "	-	-	230.00	-	1.00
46.	माधौगढ़ से हरौली मार्ग	1.500	345.00	345.00	" "	-	-	345.00		1.500
47.	ऊपरी हुठौन्द मार्ग (बरवली की ओर)	2.00	460.00	460.00	" "	-	-	460.00	-	1.00
48.	गोहन से विजवा मार्ग	2.00	460.00	460.00	" "	-	-	460.00	-	1.00
49.	ऊमरी से मजीठ मार्ग	2.00	460.00	460.00	" "	-	-	460.00	-	1.00
50.	हरसिंहपुर ईंट मार्ग (एकौं)	2.00	460.00	460.00	" "	-	-	460.00		1.00
51.	बंगरा माधौगढ़ से अटागाँव मार्ग	2.00	460.00	460.00	" "	-	-	460.00	-	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	सिम्हारा कासिमपुर से पाल ग्राम	3.00	690.00	690.00	वर्ष 90-91 से-प्रस्तावित		-	690.00	-	2.00
53.	अटारा चुर्वी से नूरपुर मार्ग	3.00	690.00	690.00	I "	-	-	690.00	-	2.00
54.	हरदयपुर से मगरैल मार्ग	1.00	230.00	230.00	- "	-	-	230.00	-	1.00
55.	लमसार गुलैली मार्ग	6.00	1380.00	1380.00	"	-	-	1380.00	-	4.00
56.	[illegible] ऐर खास से खरका ददरी मार्ग	3.00	690.00	690.00	"	-	-	690.00	-	2.00
57.	कुल्रगाँव से शाहजादपुरा मार्ग	3.5000	805.00	805.00	"	-	-	600.00	-	2.500
58.	उरई चुर्वी मार्ग से अटरिया मार्ग	3.00	690.00	690.00	-	-	-	690.00	-	1.00
59.	फिलरापुर पनवाड़ी मार्ग से साड़री मार्ग का शेष भाग	1.500	345.00	345.00	"	-	-	345.00	-	1.500
60.	हरदोईगुजर मार्ग से छन्तैली मार्ग से छानी मार्ग	6.00	1380.00	1380.00	-	-	-	960.00	-	4.00
61.	रेढ़र सूदूपुरा मार्ग	7.00	1610.00	1610.00	"	-	-	1100.00	-	5.00
62.	नदीगाँव अस्पताल मार्ग	1.00	230.00	230.00	"	-	-	230.00	-	1.00
63.	कौंच नदीगाँव मार्ग के पुल पहुंच मार्ग से आगे अवशेष काम	5.00	1150.00	1150.00	"	=	-	722.00	-	2.50

विभाग/सेक्टर
1991-92

सड़क एवं पुल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य

जनपद- जालौन 2
(हजार रु० में)

क्र0	मद/कार्य/सडक/पुल/छूटी कडियां आदि	सडक/पुल की लम्बाई	स्वीकृति लागत	पुनरीक्षित लागत	कार्य स्वीकृति होने का वर्ष	31-3-90 तक किया गया कार्य व्यय	1990-91 अनुमानित व्यय	1991-92 प्रस्तावित परिव्यय	1990-91 में किया जाने वाला कार्य (भौतिक लक्ष्य) खडन्जा स्तर (कि0मी0)	मध्य सतह (कि0मी0)	लघु सेतु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4-लघु सेतु											
1-	जालौन मार्ग से घनौरा मार्ग पर (30मी0) लघु सेतु	5×6मी= 30 मी0	1040.00	1144.00	8/87	573.00	571.00	–	–	–	
2-	जालौन कोंच मार्ग के कि0मी010 में मलंगा नाले पर लघु सेतु	3×5= 15 मी0	660.00	725.00	11/88	468.00	258.00	–	–	–	
3-	कमतेरा अमखेडा मार्ग के कि0मी0 2 मे पुलिया	2×5 = 10 मी0	472.00	519.00	1/90	–	519.00	–	–	–	
4-	कोंच महेशपुरा मार्ग के कि0मी0 5 मे लघु सेतु	1 न0	420.00	462.00	2/89	–	462.00	–	–	–	
5-	मई जायगा मार्ग के कि0मी03 में 15 मी0स्पान लघु सेतु	15मी01न0	630.00	693.00	12/88	237.00	456.00	–	–	–	
6-	सोमई हरदोई गूजर मार्ग के कि0मी0 2 मे लघु सेतु	5×4= 20 मी0	258.00	284.00	11/88	191.00	93.00	–	–	–	
7-	महम्मदाबाद गुढा मार्ग पर रपटा तथा पुलिया	1 न0	378.00	378.00	2/86	210.00	168.00	–	–	–	
8-	अण्डा ग्राम मे लघु सेतु का निर्माण	1×9= 9मी0	450.00	450.00	वर्ष 90-91 मेप्रस्तावित	–	–	450.00	–	–	1 न0
9-	पिण्डारी चन्दुरा मार्ग के कि0मी0 में लघु सेतु	1×6= 6 मी0	300.00	300.00	,,	–	–	300.00	–	–	1 न0
10-	चुर्खी सिम्हारा मार्ग के कि0मी0 9 मे ह्यूमपाइप कलवर्ट	2×1=1न0	175.00	175.00	,,	–	–	170.00	–	–	1न0
11-	हथना व उद के बीच रपटे का निर्माण	1न0	500.00	500.00	,,	–	–	500.00	–	–	1 न0

(52)

पंचम अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार ऐसी चिन्हित बस्तियाँ जहाँ प्राइमरी पाठशाला प्रस्तावित किये गये हैं (जनपद-जालौन)

क्रमांक	ग्राम का नाम	अनुमानित जनसंख्या	ब्लाक का नाम
1-	मकटोरा	528	रामपुरा
2-	चाँदपुरा	500	,,
3-	मदनेपुर	426	,,
4-	आलमपुर	524	,,
5-	हुसेपुरा	466	,,
6-	अमवाँपुर	355	,,
7-	जमरेही	311	,,
8-	रूदावली	304	,,
9-	निनावली कोठी	475	,,
10-	रिटावली	304	,,
11-	लोधीपुरा	318	,,
12-	पुरा	381	,,
13-	वेरा	300	,,
14-	महूटा	314	,,
15-	पुरवा	328	,,
16-	मकटोरा	402	,,
17-	निनावली	700	,,
18-	बिजवाहा	597	कुठौन्द
19-	इटहा कालपी	597	
20-	दौलतपुर	331	,,
21-	डेलपुरा	382	माधौगढ
22-	महोई	566	,,
23-	हिंगुटा	579	,,
24-	कुम्भुज	573	,,
25-	महेवा (मडेला)	300	,,
26-	सरपतपुरा	406	,,
27-	वरनपुरा	411	,,
28-	बेनीपुरा	400	,,
29-	छारावा	418	,,
30-	मडनपुरा	1000	,,
31-	ऐवासियन का पुरा	501	,,
32-	पूरनपुरा	411	,,
33-	कुटनपुरा	416	,,
34-	खुदास पुरा	386	,,
35-	धारमपुरा	313	,,

36- झरेला	300	माधौगढ़
37- गीधखौड	411	,,
38- गहोई	415	,,
39- कंचनपुरा	415	,,
40- मालपुरा	800	कुठौन्द
41- धरमपुरा वरेला	874	,,
42- शाहवाजपुर	700	,,
43-जमलापुर ध्यान	900	,,
44-लोहई मु0	750	,,
45- सलेमपुर	700	,,
46- लालपुर हीर0 समस्त	600	,,
47- बुहारी	650	,,
48- मौजापुर	700	,,
49- करमुखा	550	,,
50-पिलउआ	600	,,
51- रनधीरपुर	800	,,
52- मदनेपुर	650	,,
53-हसनुपर	800	,,
54- जरगॉव	600	,,
55-पिरियापुर	600	,,
56- कुतुबपुर	500	,,
57- विजवाहा	650	,,
58- जुगियापुर	500	,,
59- असपुरा	375	कोंच
60- रामपुरा समेता	391	,,
61- कोंच खाकल	638	,,
62- लोधीपुरा	531	,,
63- सलेमपुर काली	734	,,
64- गंगोरा	670	,,
65- बरोला	311	,,
66- धरमपुरा	311	,,
67- बारयापुर	470	,,
68- करभुंजा	435	,,
69- जमलापुर	390	,,
70- ईगुई खुर्द	437	,,
71- कियॉमदी	306	जालौन
72- परसानी	507	नदीगॉव
73- हिन्डोकरा	431	,,
74- शिधनी बुर्जुग	476	,,
75- बुढ़ेरा	403	

76- केमरा	403	नदीगाँव
77- पाडोरी	401	,,
78- सींगपुरा	507	,,
79- ईश्वरी	300	,,
80- करचौली	700	,,
81- सवडी	425	डकोर
82- सिरसौखी	313	,,
83- ऐरी	427	,,
84- वड़ेरा	300	,,
85- करसान	378	,,
86- दौलतपुर	384	,,
87- रगैदा	316	,,
88- हीरापुर	280	,,
89- खालसा	564	,,
90- सिकन्ना	535	,,
91- मदावर	497	,,
92- सुहरापुर	477	,,
93- हदलुपर	444	,,
94- रिनियाँ वेदपुर	375	,,
95- कोहना	352	,,
96- खाडों खुर्द दिवारा	546	,,
97- इकाहरा	488	,,
98- चकगदपुरा	400	,,
99- टहुआ	337	,,
100- केवटन केवड़ा	308	कदौरा
101- निरही	912	,,
102- अभिरवा	597	,,
103- रसूलपुर	481	,,
104- दिवासी	458	,,
105- मझुवार	409	,,
106- सोधी	400	,,
107- अलमेरी	300	,,
108- धमनी	400	,,
109- कैनेहट	450	,,
110- लोधीपुरा	672	,,
111- नगवाँ	667	,,
112- ताहरपुर	436	,,
113- मुहारी	513	,,
114- उकसवा	334	,,

भवन रहित नगर क्षेत्र के जर्जर प्राईमरी स्कूलों की सूची
(वर्ष 91-92 से 94-95 तक)

नगर क्षेत्र उरई

1- प्राइमरी पाठशाला गणेश गंज, उरई ।
2- प्राइमरी पाठशाला बधौरा, उरई ।
3- प्राइमरी पाठशाला रामनगर, उरई ।
4- प्राइमरी पाठशाला तुलसीनगर उरई ।
5- प्राइमरी पाठशाला उमरार खेरा, उरई ।

नगर क्षेत्र- कालपी

6 - प्राइमरी पाठशाला तरीबुल्दा कालपी ।
7- प्राइमरी पाठशाला गणेश गंज कालपी ।
8- प्राइमरी पाठशाला सदर बाजार, कालपी
9- प्राइमरी पाठशाला सदर बाजार (कन्या) कालपी

नगर क्षेत्र - कोंच

10- प्राइमरी पाठशाला लक्ष्मी कन्या, कोंच ।

नगर क्षेत्र- जालौन

11- प्राइमरी पाठशाला हरीपुरा, जालौन ।
12- प्राइमरी पाठशाला कन्या जूनियाना, जालौन ।
13- प्राइमरी पाठशाला तोपखाना, जालौन ।
14- प्राइमरी पाठशाला तोपखाना, जालौन ।

ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के जीर्णशीर्ण ‖जर्जर‖ जूनियर हाई स्कूलों की सूची
वर्ष 90-91 से 94-95 तक‖

1- नगर क्षेत्र -जनपद-जालौन

1- कन्या क्रमोत्तर रामगंज, कालपी ।

2- कन्या क्रमोत्तर मनीगंज कालपी ।

3- कन्या जूनियर हाई स्कूल बधौरा, कालपी ।

4- कन्या उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल राजेन्द्र नगर उरई ।

5- जूनियर हाई स्कूल पिण्डारी ‖कोंच‖

6- जूनियर हाई स्कूल नरी ‖कोंच‖

7- जूनियर हाई स्कूल पतरिया ‖कोंच‖

8- जूनियर हाई स्कूल महेवा ‖महेवा‖

9- जूनियर हाई स्कूल तरावन ‖माधौगढ़‖

10- जूनियर हाई स्कूल बहराई ।

11- जूनियर हाई स्कूल, पतराही ।

12- जूनियर हाई स्कूल, नावर ।

13- जूनियर हाई स्कूल, कन्या नदीगांव ‖नदीगांव ।

14- जूनियर हाई स्कूल, सलैया बुजुर्ग ‖नदीगांव‖

15- जूनियर हाई स्कूल शेखपुर अहीर ‖कुठौन्द‖

16- जूनियर हाई स्कूल, हदरूख ‖कुठौंद‖

17- जूनियर हाई स्कूल शंकरपुर ‖कुठौंद‖

18- कन्या क्रमोत्तर पिरौना ‖कोंच‖

19- कन्या क्रमोत्तर ‖कदौरा‖

20- कन्या क्रमोत्तर हरचन्द्रपुर ‖कदौरा‖

21- कन्या क्रमोत्तर गोहन ‖माधौगढ़ ।

22- कन्या क्रमोत्तर उकासी ‖रामपुरा‖

23- कन्या जूनियर हाई स्कूल, जालौन‖

24- नगर क्षेत्र जूनियर हाई स्कूल, जालौन ।

पंचम अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के आधार पर नवीन जू0हा0स्कूल खोलने वाले ग्रामों का प्रस्ताव जनपद- जालौन ।

क्र0सं0 ग्रामों का नाम	अनुमानित जनसंख्या	ब्लाक का नाम
1-मिर्जापुर	900	रामपुरा
2-विलइया	1086	,,
3- दोना	1070	,,
4- लडउपुरा	970	,,
5- मारुपुरा	1403	,,
6- जमरेही सानी	1133	,,
7- रायडी दिवारा	1022	,,
8- मेहरपुरा	1135	,,
9- भिटारी	847	,,
10- मजीठ	1708	,,
11- नागपुरा	1003	,,
12- टिकरी बुजुर्ग	1618	कुठौन्द
13- करौली	988	,,
14- दौलतपुर	1079	,
15- जहटौली	81[illegible]	,,
16- सिलईया जागीर	827	,,
17- नैनापुर	877	,,
18- पंडितपुर	801	,,
19- मडोरा	821	माधौगढ़
20- विजदुवाँ	3566	,,
21- गोहनी	1190	,,
22- मिर्जापुर	1500	,,
23- भागपुरा	1400	,,
24- पडकुला	912	,,
25- रामपुरा	1600	,,
26- सुखनपुरा	1800	,,
27- स्यापुर	916	,,
28- गायर	1325	जालौन
29- ऐदलपुर	1208	,,
30- पर्वतपुर	1017	,,
31- सारंगपुर	931	,,
32- गिधौसा	895	,,
33- प्रतापुपुरा	813	,,
34- चिलर	1045	,,
35- इटहिया	958	,,

36– भज	971	नदीगाँव
37– परासनी	995	,,
38– वोई	1179	,,
39– इगुई कलां	918	,,
40– किसनुपर	904	,,
41– गोवर्धनपुर	1092	,,
42– मजीठ	944	,,
43– गेदोली	1147	,,
44– जलालपुर	1266	,,
45– कुरकुरू	1233	इकौर
46– ऐसारी कलां	1219	,,
47– केमटा2	939	,,
48– पिरौना	897	,,
49– ऐधा	1564	कौंच
50– वर्द	1368	इकौर
51– जुनसाई	962	,,
52– रंगोली	961	,,
53– [illegible]	101	
54– ऐधापुर	855	,,
55– शहवाजपुर	800	महेवा
56– सुरेनी	954	,,
57– देहलखण्ड	971	,,
58– हथनौरा	924	,,
59– बुधौरा	1665	,,
60– पिनौरा वैद्य	918	,,
61– आल	1340	,,
62– उसरगाँव	2442	कदौरा
63– भदरेखी	1994	,,
64– पाल	1189	महेवा
65– जोराखोरा	1279	कदौरा
66– खुटीभिली	1038	,,
67– मुहम्दाबाद	1038	,,
68– बसरेही	1106	,,
69– बरखेरा	1106	,,
70– सुनहटा2	1052	,,
71– नाका	1338	,,
72– तगारेपुर	874	,,
73– गुलोली	1366	,,
74– मवई अहीर	1179	,,
75– गरेही	1124	,,
76– कुआखेरा	1118	,,
77– रैला	1203	,,
78– अलाईपुरा	801	जालौन
79– बहादुरपुर	806	रामपुरा
80– जमलापुर जुझारपुर8कुठौन	854	,,,

परिशिष्ट-1

वर्ष 1990-91 में उपकेन्द्रों के भवन निर्माण हेतु उपकेन्द्रों की सूची ।

क्रमांक प्रा०स्वा० केन्द्र का नाम		उपकेन्द्रों का नाम
1- प्रा०स्वा०केन्द्र डकोर	-	1- कुकरगांव
2- प्रा०स्वा०केन्द्र पिण्डारी	+	1- पहाड़गांव 2- सतोह
3- प्रा०स्वा०केन्द्र नदीगांव	-	1- कनासी
4- प्रा०स्वा०केन्द्र रामपुरा	-	1- उमरी
5- प्रा०स्वा०केन्द्र माधौगढ़	-	1- सिरसा दोगढ़ी
6- प्रा०स्वा०केन्द्र छिरिया सलेमपुर	-	1- जगनेवा
7- प्रा०स्वा०केन्द्र कुठौंद	-	1- सिरसा कलार
8- प्रा०स्वा० केन्द्र बावई	-	1- दमरास
9- प्रा०स्वा केन्द्र कदौरा	-	1- उदनपुर

परिशिष्ट-2

वर्ष 90-91 में प्रा०स्वा०केन्द्र भवन निर्माण हेतु प्रा०स्वा० केन्द्रों के नाम

1- प्रा०स्वा०केन्द्र कदौरा	-	1- आटा
2- प्रा०स्वा०केन्द्र पिण्डारी	-	1- हरदोई गूजर

परिशिष्ट-3

वर्ष 90-91 में प्रा०स्वा० केन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्तावित नाम

क्रमांक प्रा०स्वा०केन्द्र का नाम		प्रस्तावित नये प्र०स्वा०के० की स्थापना हेतु प्रा०स्वा०केन्द्र का नाम
1- प्रा०स्वा०केन्द्र कुठौंद	-	1- मड़ोरी, 2-अजतापुर, 3-शेखपुर अहीर
2- प्रा०स्वा०केन्द्र रामपुरा	-	4- उमरी
3- प्रा०स्वा०केन्द्र पिण्डारी	-	5- भदारी, 6-धुरट, 7- दिरावटी
4- प्रा०स्वा०केन्द्र नदीगांव	-	8- रेढ़र, 9- कुरचौली ।
5- प्रा०स्वा०केन्द्र बावई	-	10- खुर्दी
6- प्रा०स्वा०केन्द्र कदौरा	-	11- परासन
7- प्रा०स्वा०केन्द्र डकोर	-	12- ऐर

परिशिष्ट-4

वर्ष 90-91 में सामुदायिक स्वा०केन्द्रकी स्थापना हेतु प्रस्तावि

1- जालौन

परिशिष्ट-5

वर्ष 90-91 में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना हेतु प्रस्ताव

क्रमांक प्रा०स्वा०केन्द्र का नाम		प्रस्तावित रा०हो०पै० चिकित्सालय का नाम
1- प्रा०स्वा०केन्द्र नदीगांव	-	1- खकसीस 2- गड़ेरना
2- प्रा०स्वा०केन्द्र माधौगढ़	-	3- अटागांव
3= प्रा०स्वा०केन्द्र कदौरा	-	4- गुलौली

परिशिष्ट-6

90-91 में राजकीय होम्यो०पै० चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव

1- कुकरगांव

2- सरगांया

3- जगनेवा

परिशिष्ट-7

वर्ष 90-91 में सामु० स्वा० केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव

1- सामुदायिक स्वा० केन्द्र कोंच

2- सामुदायिक स्वा० केन्द्र नदीगांव ।

परिशिष्ट-8

वर्ष 91-92 में उपकेन्द्रों के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित उपकेन्द्रों के नाम

प्रा0 स्वा0 केन्द्र का नाम	भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित उपकेन्द्र का नाम
1- प्रा0 स्वा0 केन्द्र डकोर	चिल्ली, विसौरा उरई, जैसारी कला, कौअरा खेर, रहाइया एवं मंहाना ।
2- प्रा0 स्वा0 केन्द्र पिण्डारी	भदारी, एट, हरदोई गूजर, बड़ागांव एवं अण्डा ।
3- प्रा0 स्वा0 केन्द्र नदीगांव	गोबर्द्धनपुरा, रेढ़र, नावली, रूरा सिरसा ।
4- प्रा0स्वा0केन्द्र छिरिया सलेमपुर	धन्तोली, पहाड़पुरा, देवरी, वीरपुरा ।
5- प्रा0 स्वा0केन्द्र रामपुरा	पचोखरा, नावर, जगम्मनपुर, नरोल एवं टीहर
6- प्रा0स्वा0 केन्द्र कुठौंद	शंकरपुर, जखा, हटरूख एवं ईटों ।
7- प्रा0स्वा0 केन्द्र बावई	महेवा, मुसमरिया एवं चुखीं ।
8- प्रा0 स्वा0 केन्द्र कदौरा	परासन, संधी एवं आटा ।
9- प्रा0स्वा0 केन्द्र माधौगढ़	सरावन, अमखेरा, गोपालपुरा एवं गोहन ।

परिशिष्ट-9

वर्ष 91-92 में प्रा0 स्वा0 केन्द्र के भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव

क्रम सं0	प्रा0 स्वा0 केन्द्र का नाम	प्रस्तावित नये प्रा0स्वा0 केन्द्र के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित नाम
1-	प्रा0स्वा0 केन्द्र कुठौंद	1- सिरसा कलार
2-	प्रा0स्वा0 केन्द्र बावई	2- महेवा ।

परिशिष्ट-10

वर्ष 91-92 में सा0सु0 स्वा0 केन्द्रों के भवनों का निर्माण हेतु प्रस्ताव

1- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालपी

2- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जालौन

परिशिष्ट-11

वर्ष 91-92 में सा0सु0 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव

1- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जालौन

2- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुठौंद ।

परिशिष्ट-13

वर्ष 91-92 में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव

1- सन्धी
2- पहाड़गांव
3- सामी

परिशिष्ट-14

वर्ष 91-92 में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को स्थापना हेतु प्रस्ताव

1- प्रा0 स्वा0 केन्द्र बाबई	1- कालपी नगर
2- प्रा0 स्वा0 केन्द्र कुर्रैद	2- मदारीपुर
3- प्रा0 स्वा0 केन्द्र पिण्डारी	3- कोंच नगर
4- प्रा0 स्वा0 केन्द्र रामपुरा	4- पुरा (महरौली)
5- प्रा0 स्वा0 केन्द्र छिरिया सलेमपुर	5- जालौन नगर

आधार भूत आकड़े

जनपद-जालौन

1-	कुल ग्रामों की सं0	1152	
2-	कुल गैर आवाद ग्रामों की सं0	213	
3-	विकास खण्डों की सं0 नाम	§9§	रामपुरा, जालौन, माधौगढ, कुठौन्द
4-	तहसीलों की सं0 नाम सहित	§4§	नदीगॉव, डकोर, महेवा, कदौरा, कोंच जालौन, कोंच, कालपी, उरई ।
5-	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर		4565
6-	भूमि उपयोगिता के लिये प्रतिवेदित क्षेत्र§ हजार है0 में §		456·455
7-	वनों के अतंर्गत क्षेत्र §हजार है0§		25·702 § 1987-88 §
8-	कृषि के उपयोग में लायी गई भूमि § हजार है0 §		346·606 § ,, §
9-	कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लायी गयी भूमि § हजार है0§		30·903 § ,, §
10-	बंजट भूमि का क्षेत्रफल§,,§		14·564 § ,, §
11-	कृषि योग्य बंजर भूमि का क्षेत्रफल § हजार है0 §		6·139 § ,, §
12-	स्थायी चारागाह § हजार है0 §		0·043 § ,, §
13-	उद्यानों / वृक्षों की फसलों का क्षेत्रफल § हजार है0 §		2·713 § ,, §
14-	परती § ,, §		20·114 § ,, §
15-	अन्य परती भूमि § ,, §		9·429 § ,, §
16-	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल §,, §		346·606 § ,, §
17-	संकलन बोया गया क्षेत्रफल § ,, §		370·445 § ,, §

18- मुख्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन वर्ष 1987-88

क्र0सं0	फसल का नाम	क्षेत्रफल (हजार है0)	उत्पादन (हजार टन)
1-	धान	1.627	1.292
2-	गेहूँ	91.531	180.577
3-	ज्वार	23.663	18.802
4-	बाजरा	13.791	8.205
5-	मक्का	0.004	0.003
6-	चना	96.463	69.839
7-	जौ	9.987	13.943
8-	अरहर	11.512	12.439
9-	उर्द	6.604	1.922
10-	मूग	0.237	0.064
11-	मटर	8.571	10.774
12-	मूगफली	0.040	0.026
13-	लाही/सरसों	5.695	2.671
14-	सूर	83.764	84.105
15-	अलसी	8.658	4.260
16-	गन्ना	1.906	71.854
17-	आलू	0.406	7.866

19-	खरीफ फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (हजार है0)	63.625	1987-88
20-	रबी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (हजार है0)	306.491	,,
21-	जायद फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (हजार है0)	0.329	,,

22- जोतों की सं0 तथा उनके अंतर्गत क्षेत्रफल
(कृषि गणना 1981) संख्या एवं क्षेत्रफल हजार है0)

1-	0 से 1 हैक्टर तक	82380	37·591
2-	1 से 3 है0 के बीच	60140	107·408
3-	3 से 5 है0 के बीच	19241	73·412
4-	5 है0 से ऊपर	17988	147·063

23- जनसंख्या हजार में (1981 की जनगणना के आधार पर)

	नगर	ग्रामीण	योग
1- पुरुष	107	430	537
2- स्त्री	90	360	450

24- पिछड़े समुदायों की जनसं0 (1981 की जनगणना के आधार पर)

	नगर	ग्रामीण	योग
1-अनुसूचित जाति	43	224	267
2-अनुसूचित जनजाति	-	-	-

25- सतत् प्रवाह शील नदियां

	नाम	लम्बाई कि0मी0 में
1-	यमुना	106
2-	बेतवा	109
3-	पहूज	70

26- मौसमी नदियां एवं नाले

1-	नून	13
2-	मलगा	-

27- मासिक औसत वर्षा मिली मीटर (1988)

क- सामान्य 783

ख-वास्तविक 783

28- महत्व पूर्ण औद्योगिक उत्पादन के नाम

1- धातु उत्पादन
2- होजरी एवं गारमेंट
3- काष्ट उत्पादन
4- कागज/फाइल कावर उत्पादन

29- पुलों के नाम

1- यमुना नदी पर कालपी में
2- बेतवा नदी पर मोहाना में ।
3- यमुना नदी पर शेरगढ़घाट (कुठौन्द) में निर्माणाधीन

30- सड़क की लम्बाई किलोमीटर में (1987-88)

1- राष्ट्रीय मार्ग	74
2- राजकीय मार्ग	83
3- मुख्य जिला सड़के	137
4- अन्य जिला एवं ग्रामीण सड़के	579
5- जिला परिषदीय सड़के	24
6- नगरपालिका/ टाउन एरिया कीसड़के	49
7- अन्य विभागीय सड़के	25
योग =	950

31- विद्युत

4

1-	11 कि0 वा0	(किलोमीटर)	1201·8
2-	33 कि0 वा0	(,,)	299·7

32- नगरों की सं0 (1987-88)

1- जिनमें बिजली है 10 (उरई,कोंच,कालपी,जालौन,नदीगाँव कोटरा,कदौरा,उमरी,माधौगढ, रामपुरा)

2- जिनमें बिजली नही है - -

33- ग्रामों की संख्या (1988-89)

1- जिनमें बिजली है 589
2- जिनमें बिजली नही है 350

34- जल सम्पूर्ति

1- नगरों की सं0 जिनमें पाइप लाइन द्वारा जल सम्पूर्ति होती है 9 (उरई, कोंच, जालौन, कालपी, माधौगढ, कोटरा, रामपुरा, ऊमरी, कदौरा)

2- नगरों की सं0 जिनमें पाइप लाइन द्वारा जल सम्पूर्ति नही होती 1 (नदीगॉव)

3- ग्रामों की सं0 जिनमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति होती है 259

4- ग्रामों की सं0 जिनमें पाइप लाइन द्वारा जल सम्पूर्ति नही होती है 893

35- शिक्षा (1988-89)

		नगर क्षेत्र में	ग्रामीण क्षेत्र
1- बेसिक/जू0हा0 स्कूल	(सं0)	122/52	868/221
2- हाई सेकेन्डरी स्कूल	,,	28	42
3- कालेज	,,	5	-
4- विश्वविद्यालय	,,	1	-
5- प्राविधिक/प्रशिक्षण संस्थायें	,,	2 पालीटेक्निक कालेज उरई (आई0टी0आई0 ,,)	
6- ग्रामों की सं0 जिनमें प्राइमरी बेसिक स्कूल नहीं है	,,	-	187

36- अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या (1988-89)

बैंक शाखायें	नगर क्षेत्र में	ग्रामीण क्षेत्र में	योग
1- राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाये	29	19	48
2- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखायें	4	31	35
योग =	33	50	83

37- सहकारी बैंकों के नाम (नगर एवं पुखण्डवार)

क- नगरीय क्षेत्र (1989-90)

1- जालौन जिला सहकारी बैंक उरई	-	2
2- " " " कोंच	-	2
3- " " " कालपी	-	1
4- " " " कदौरा	-	1
5- " " " जालौन	-	1
6- " " " रामपुरा	-	1
7- " " " माधौगढ़	-	1
8- " " " उमरी	-	1
9- " " " नदीगांव	-	1
योग	-	11

ख- ग्रामीण क्षेत्र

विकास खण्ड का नाम	जिला सहकारी बैंक का नाम		
1- रामपुरा	"	बंगरा	- 1
2- माधौगढ़	"	सरावन	- 1
3- कुठौंद	"	कुठौंद	- 1
4- डकोर	"	डकोर	- 1
	"	एट	1
5- महेवा	"	बावई	- 1
योग			6

38- गोदामों की संख्या	संख्या	क्षमता (हजार टनों में)
1- नगर क्षेत्र में	14	1400
2- ग्रामीण क्षेत्र में	66	6600
3- शीत गृहों की संख्या	1 (उरई नगर में कालपी रोड पर)	

39- उर्वरक डिपो	संख्या	क्षमता हजार टनों में
कृषि एवं सहकारिता विभाग के	77	7.3

40- भूमि विकास बैंक शाखाओं की संख्या

1" नगर क्षेत्र में	4	(उरई, कोंच, कालपी, जालौन)
2- ग्रामीण क्षेत्र में	-	-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या 1988-89

क्रमसं0	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्था का नाम	नगर क्षेत्र में सं0	ग्रामीण क्षेत्र में संख्या
41-	राजकीय पशु चिकित्सालय/औषधालयों की संख्या	9	14
42-	राजकीय एलोपैथिक अस्पताल/ औषधालयों की संख्या	17	26
43-	राजकीय एलोपैथिक अस्पताल/ औषधालयों में शैयाओं की संख्या	318	104
44-	राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल/ औषधालयों की संख्या	1	10
45-	राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल/ औषधालयों में शैयाओं की संख्या	-	6
46-	राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल/ औषधालयों में शैयाओं की संख्या	6	20
47-	राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल/ औषधालयों में शैयाओं की संख्या	54	64
48-	राजकीय यूनानी अस्पताल/ औषधालयों की संख्या	2	-

49- कृषि एवं सिंचाई

1- विभिन्न श्रोतों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र (1987-88)

क-	नहर	हजार हैक्टर में	78·187
ख-	नलकूप	,,	9·386
ग-	कूप	,,	2·231
घ-	तालाब	,,	0·025
ङ-	अन्य	,,	0·534
	योग=		90·363

2- कृषि धान्यों की उत्पादन दर (कि0ग्रा0/प्रति है0) 1987-88

1- धान	794
2- गेहूँ	1973
3- ज्वार	456
4- बाजरा	595
5- मक्का	876
6- जौ	1396
7- चना	724
8- मटर	1257
9- अरहर	1081
10- मसूर	1003
11- गन्ना	37699
12- मूंगफली	651
13- उर्द	291
14- लाही/सरसों	469

3- रासायनिक उर्वरक वितरण (1987-88)

1- नत्रजन	हजारमीट्रटन	3·549
2- फास्फोटक	,,	2·731
3- पोटाश	,,	0·138

4- गोबर गैस संयंत्रों की संख्या वर्ष 1988-89 1280

5- सिंचाई

क- निजी लघु सिंचाई वर्ग (1988-89)

1-	पक्के कुऐं	सं0	9414
2-	रहट	,,	345
3-	भूस्तरीय श्रोतों पर लगे पम्पिंग सेट	,,	2262
4-	बोरिंग पर लगे पम्पिंग सेट	,,	3116
5-	निजी नलकूप	,,	1310

ख- राजकीय नलकूपों की संख्या 415

6- सहकारिता (प्राथमिक ऋण समितियां (1988-89)

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	समितियों की सं0	समितियों के अंतर्गत ग्राम
1-	रामपुरा	8	73
2-	माधौगढ	11	84
3-	कुठौन्द	9	117
4-	जालौन	12	100
5-	नदीगॉव	7	145
6-	कोंच	5	101
7-	डकोर	9	124
8-	महेवा	4	97
9-	कदौरा	3	90
	योग=	68	232

NIEPA DC D05485

नोट - सदस्यों की सं0, अंश पूँजी, कार्यशील पूँजी, जमाधनराशि की सूचना अप्राप्त

क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	आवादग्रामों की संख्या	विद्युतीकृत ग्रामों की सं0	कुल ग्रामों में प्रतिशत
1-	रामपुरा	73	36	49.2
2-	माधौगढ	84	42	50.0
3-	कुठौन्द	117	76	64.8
4-	जालौन	100	60	60.0
5-	नदीगॉव	145	71	48.9
6-	कोंच	101	43	42.6
7-	डकोर	124	88	70.9
8-	महेवा	97	93	95.9
9-	कदौरा	98	80	81.6
	योग =	939	589	62.7